रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21042020-219090
CG-MH-E-21042020-219090

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2020/चैत्र 28, 1942
No. 147] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2020/CHAITRA 28, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 13 मार्च, 2020

सं. टीएएमपी/46/2019-आईजीटीपीएल.—इस प्राधिकरण ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण ने इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईजीटीपीएल) से उनके दरमानों में सामान्य संशोधन के बारे में प्राप्त प्रस्ताव का प्राधिकरण की 20 फरवरी 2020 को हुई बैठक में निपटान किया था। लेकिन, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमानों के साथ (सकारण) आदेश को अधिसूचित करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखकर प्राधिकरण ने संशोधित दरमानों को तत्काल अधिसूचित कराने का निर्णय लिया। तदनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा 20 फरवरी, 2020 को अनुमोदित दरमानों के भारत के राजपत्र में 03 मार्च 2020 के राजस्व संख्या 92 में अधिसूचित करा दिया गया। उस अधिसूचना में यह बताया गया था कि यह प्राधिकरण सकारण आदेश बाद में अधिसूचित करायेगा। तदनुसार, यह प्राधिकरण एतद्वारा आईजीटीपीएल के दरमानों के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित सकारण आदेश को, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/46/2019-आईजीटीपीएल

इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड --- **आवेदक**

गणपूर्ति:

(i). **श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)**

(ii). **श्री रजत सचर, सदस्य (आर्थिक)**

आदेश

(फरवरी, 2020 के 20वें दिन पारित)

यह मामला इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईजीटीपीएल) से उनके दरमानों के सामान्य संशोधन से संबंधित 28 अगस्त, 2019 के प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. आईजीटीपीएल के मौजूदा दरमान इस प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अंतर्गत 17 सितंबर, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/81/2015-आईजीटीपीएल के द्वारा अनुमोदित किये गए थे जो भारत के राजपत्र में 14 अक्तूबर 2016 के राजपत्र संख्या 380 में अधिसूचित हुए थे। तत्पश्चात्, 15 नवंबर, 2016 के राजपत्र संख्या 2016 में 408 में विस्तृत सकारण आदेश अधिसूचित कराये गए। आदेश में उनकी वैधता 31 मार्च, 2019 तक थी।

2.2. इसके अतिरिक्त, इस प्राधिकरण ने 03 मई, 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/81/2015-आईजीटीपीएल के द्वारा मौजूदा दरमानों की वैधता 30 सितंबर, 2019 तक विस्तारित की थी जो 07 जून, 2019 के राजपत्र संख्या 191 में अधिसूचित हुआ था।

3. इसी बीच एमओएस ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 05 मार्च, 2019 के अपने पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी (भाग-IV) के द्वारा सभी महापत्तन न्यासों में कार्यरत उन बीओटी प्रचालकों के लिए, जो पहले प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अंतर्गत शासित होते थे, दिशानिर्देश जारी किये और इस प्राधिकरण को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का निदेश दिया। महापत्तन न्यासों में कार्यरत उन बीओटी प्रचालकों के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश और जो पहले प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 द्वारा शासित होते थे, भारत के राजपत्र, असाधारण, (भाग 3 खंड 4) में 07 मार्च, 2019 के राजपत्र संख्या 92 में अधिसूचित हुए। तत्पश्चात्, प्रशुल्क नीति 2019 के खंड 1.7 के अनुसार, प्रशुल्क नीति को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारी दिशानिर्देश, महापत्तन न्यासों और प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 के द्वारा शासित उनमें कार्यरत बीओटी प्रचालकों, से परामर्श के पश्चात् भारत के राजपत्र में 11 जुलाई, 2019 के राजपत्र संख्या 244 में अधिसूचित हुए।

4.1. इस पृष्ठभूमि में, आईजीटीपीएल ने, जो पहले प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अंतर्गत शासित थे, 28 अगस्त, 2019 को प्रशुल्क नीति 2019 के अनुसरण में अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दायर किया। आईजीटीपीएल ने निम्नलिखित निवेदन किये:

(i). प्रस्ताव का ब्यौरा:

(क). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2.1 के अनुसार, वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का परिकलन 31 मार्च, 2019 को (2016-17, 2017-18 और 2018-19 के 3 वर्ष के रूप में सुविचारित) 31,235.56 लाख रु. किया गया है।

(ख). चूंकि आईजीटीपीएल के लिए बोली प्रक्रिया 29 जुलाई 2003 से पूर्व निर्णित नहीं हुई थी, इसलिए प्रशुल्क दिशानिर्देश, के खंड 2.2 के अनुरूप एआरआर का परिकलन करते समय पूरे रायल्टी व्यय को अपवर्जित कर दिया गया है।

(ग). चूंकि आईजीटीपीएल के वित्तीय विवरण इंडएएस के अंतर्गत बनाये गए हैं, तत्संबधी इंडएएस समायोजनों को अपवर्जित किया गया हैं और इसके स्थान पर खंड 2.3.2 के अनुसार एआरआर के परिकलन के लिए आईजीएएपी के अनुसार मूल्यह्रास और अन्य समायोजनों को जोड़ लिया गया है।

(घ). इस प्रकार परिकलित एआरआर को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्राधिकरण द्वारा घोषित वृद्धि गुणक 4.26% द्वारा सूचकांकित किया गया है। सूचकांकित एआरआर का परिकलन 32,566.19 लाख रु. किया गया है।

(ङ). प्रतिस्पर्धी दरों पर विश्व स्तरीय टर्मिनल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, पत्तन का सामान्य कंटेनरों के लिए (लदे और खाली दोनों के लिए) बनाए रखने का प्रस्ताव है विदेशी श्रेणी के अंतर्गत मौजूदा दरों पर और उनमें किसी वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन, विदेशी रेस्टो, विदेशी हैच कवर्स, विदेशी प्रशीतन प्लग इन प्रभार, विदेशी पीटीआई और विदेशी कंटेनरों के भंडारण प्रभारों में मौजूदा प्रशुल्क पर नाममात्र के 5% की वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है।

(च). जहां तक तटीय प्रशुल्क का संबंध है, आईजीटीपीएल ने उन्हें भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय के नीति निर्देशों और कार्यकारी दिशानिर्देश के खंड 8.3 और प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के हवाले से सामान्य प्रहस्तन प्रभारों के 60% पर मिलाया जाता है।

[ऐसा करते समय, आईजीटीपीएल ने तटीय कंटेनर प्रशुल्क, जिसके विदेशी प्रतिरूप अमरीकी डालर में निर्धारित है और मौजूदा विनिमय दर 1 अमरीकी डालर =71.00 रु है, को पुन:बहाल किया है तब उस पर 60% प्रशुल्क का प्रस्ताव किया है।]

(छ). पोतांतरण कार्गो को आकर्षित करने के उद्देश्य से, आईजीटीपीएल ने तटीय पोतांतरण के प्रति विदेशी भरे प्रशुल्क में 18% और विदेशी खाली प्रशुल्क में 22% की घटौती का प्रस्ताव किया है और उसे सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप विदेशगामी के 60% पर मिलाया जा रहा है।

(ज). संलग्न दरमानों में प्रस्तावित प्रशुल्क भारत सरकार द्वारा यथाघोषित थोक मूल्य सूचकांक के 60% पर सूचकांकित किया जायेगा। ऐसा संशोधन पहली बार 1 मई 2020 को और तत्पश्चात् 1 मई 2021 को होगा।

(झ). खंड 9.3.3 के अनुसार जोखिमपूर्ण और अति आयामी कार्गो के प्रशुल्क और भंडारण प्रभारों के 50% प्रीमियम का प्रस्ताव किया गया हैं।

(j). अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्गित राजस्व की गणना के लिए 71/- रु. प्रति अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर का प्रयोग किया गया है।

(ii). पूर्वावधि निष्पादन विश्लेषण:

(क). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के खंड 2.13 के अनुसार, मौजूदा प्रशुल्क निर्धारित करते समय सुविचार में लिए गए प्रक्षेपणों के संदर्भ से वास्तविक और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा निर्धारित प्रशुल्क वैधता अवधि के अंत में की जायेगी, यदि निष्पादन विचलन प्रक्षेपणों की तुलना में + अथवा – 20% से अधिक है तो प्रशुल्क उत्तरापेक्षी समायोजित किये जायेंगे।

(ख). प्राधिकरण के 17 सितंबर, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/81/2015-आइजीटीपीएल राजपत्र संख्या 380 में अनुमोदित और यथाप्रदत्त आकलनों की वित्तीय विवरणों के अनुसार वास्तविकों की तुलना नीचे दी गई है:-

	वास्तविक बनाम आकलनों की तुलना				
	2015-16 जनवरी-मार्च	2016-17	2017-18	2018-19	योग
प्रमात्रा (टीईयू)					
आकलन	1,13,286	4,71,300	5,54,400	6,22,600	17,61,586
वास्तविक	1,13,286	4,91,087	5,55,812	5,94,592	17,54,777
विचलन (%)					-0.39%
राजस्व (भारतीय रु लाख में)					
आकलन	5,450.00	22689.25	25,940.75	28,659.85	82,739.85
वास्तविक	5,450.00	22,399.30	25,051.30	28,363.90	81,264.50
विचलन (%)					-1.78%

(ग). ऊपर पैरा (ख) के अनुसार, वास्तविक और वित्तीय निष्पादन दोनों ही 20% से कम हैं। इसलिए, ग्राह्य लागतों और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल से अधिक किसी अतिरेक/घाटे को पिछली प्रशुल्क वैधता अवधि से अग्रेनीत नहीं किया जाता है।

4.2. आईजीटीपीएल ने फार्म 1 में वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का विस्तृत परिकलन और फार्म 3 में प्रस्तावित दर पर राजस्व आकलन प्रस्तुत किया है।

(i). आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत एआरआर परिकलन का सार (फार्म नं.-1 में गणितीय गलती को सुधार कर) नीचे दिया जा रहा है:-

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	वाई1 (2016-17)	वाई2 (2017-18)	वाई3 (2018-19)
(1).	**कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार)**			
(i).	प्रचालन व्यय (मूल्यह्रास सहित)	18,986.30	19,685.00	21,663.21
(ii).	वित्त एवं विविध व्यय (एफएमई)	7,918.90	6,000.93	9,391.94
	कुल व्यय 1=(i)+(ii)	26,905.20	25,685.93	31,055.15
(2).	**उन मदों का समंजन जहां आईएनडीएएस (लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार) और आईजीएएपी के आंकडों में भिन्नता पाई जाती है।**			
(i).	मूल्यह्रास	(3.67)	(3.67)	(3.67)
(ii).	स्वामी पत्तन को दिया गया पट्टा शुल्क	8.72	7.99	8.42
	समायोजनों का योग 2=(i)+(ii)	5.05	4.32	4.74
(3).	**घटाएं समायोजन:**			
(i).	पत्तन को प्रदत्त वास्तविक रॉयल्टी/राजस्व हिस्सा	7,481.70	8,310.30	9,505.70
(ii).	ऋणों पर ब्याज	5,972.10	5,345.80	7,076.34
(iii).	अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			11.92
(iv).	कम खपत वाली माल सूची के लिए प्रावधान	11.20	2.65	-
(v).	अन्य प्रावधान, यदि कोई हो।			
	3 का योग = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)]	13,420.00	13,658.75	16,593.96
(4).	**जोडे: ग्राह्य रॉयल्टी/राजस्व हिस्सा, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2 के अनुसार**	-	-	-

(5).	**साभी समायोजनों के पश्चात् कुल व्यय (5=1+2-3)**	13,490.24	12,031.49	14,465.93
(6).	क्रमांक 5 का औसत व्यय = [वाई1+वाई2+वाई3]/3			
(7).	**नियोजित पूंजी**			13,329.22
	(i). सकल स्थायी आस्तियां (संपत्ति, प्लांट और उपस्कर) वाई3 के31 मार्च और वाई3 के 31 दिसंबर को जो बीओटी प्रचालक द्वारा अपनाया गया हो।(आईजीएएपी को अनुसार)			
	(ii). जोडे: प्रगति अधीन कार्य के वाई3 के 31 मार्च और वाई3 के 31 दिसंबर को बीओटी प्रचालक द्वारा अपनाया गया हो।(लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार)			1,11,269.04
	(iii). जोड़े: कार्यशील पूंजी प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार			
	(क) माल सूची			246.65
	(ख) विविध देनदार			-
	(ग) रोकड़			398.93
	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़			645.58
	(iv) कुल नियोजित पूंजी [(i) +(ii) + (iii)]			1,11,914.62
(8).	**नियोजित पूंजी पर 16% प्रतिलाभ क्रमांक. 7(iv)**			17,906.34
(9).	**वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) वाई3 के 31 मार्च 2019 और वाई3 के 31 दिसंबर को [(6)+(8)]**			31,235.56
(10).	**वर्ष वाई4 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100% पर सूचकांकन उदाहरण यदि वाई4 2018-19 के लिए है तब लागू डब्ल्यूपीआई 4.26% है और वर्ष वाई4 के लिए सूचकांकित एआरआर होगा (9) x 1.0426**			**4.26%**
(11).	**सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) जैसा कि ऊपर क्र.सं.10 में दिया गया है।**			**32,566.91**
(12).	**ऊपर क्रमांक 11 पर आकलित अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित सूचकांकित दरमान, , पर राजस्व आकलन**			**31,554.79**

(ii). प्रस्तावित प्रशुल्क की वैधता अवधि 30 अप्रैल, 2022 तक होगी जो प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.12 और 2.13 के अनुसार मौजूदा प्रशुल्क की आरंभिक समाप्ति के पश्चात् 3 वर्ष है।

(iii). चूंकि विभिन्न फार्मों में दी गई सूचना और वार्षिक लेखे एक निजी कंपनी की गोपनीय सूचना है, आईजीटीपीएल ने इस प्राधिकरण को यह अनुरोध किया है कि उक्त सूचना अथवा दस्तावेज़ों को आम जनता या विभिन्न हितधारकों/व्यापार संस्थाओं को परिपत्रित न करें।

(iv). आकलित एआरआर को पूरा करने के लिए आईजीटीपीएल ने निम्नवत् वृद्धि /(कमी) का प्रस्ताव किया है:-

विवरण	% वृद्धि/कमी
सामान्य व प्रशीतन कंटेनर प्रभार	35% तक
सभी पोतांतरण कंटेनर प्रभार	-18% से 33%
सभी जोखिमपूर्ण और अति आयामीय कंटेनर प्रभार	18% से 36%
घाटशुल्क प्रभार	यथास्थिति
पोतों के हैच कवर प्रहस्तन प्रभार	5% से 71%
पोतों के भीतर कंटेनरों को शिफ्ट करना	5% से 71%
प्रशीतन संबंधी प्रभार	-8% से 5%
भंडारण प्रभार	5%
विविध प्रभार	5%

5.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के सिवा, प्रस्ताव की एक प्रति कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) और प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई।

5.2. सीओपीटी और संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों से प्राप्त विषयक प्रस्ताव पर टिप्पणियों को आईजीटीपीएल को फीडबैक सूचना के तौर पर भेजा गया। आईजीटीपीएल ने 29 अक्तूबर, 2019 के अपने पत्र के द्वारा प्रत्युत्तर दिया। इसके अतिरिक्त, संयुक्त सुनवायी में सीएसएए ने आगे और टिप्पणियां दीं जिन्हें हमारे 22 नवंबर, 2019 के पत्र के द्वारा आईजीटीपीएल को भेजा दिया गया था। इसके बाद उनकी बिंदुवार टिप्पणियों के लिए 10 दिसंबर, 2019 को अनुस्मारक भी भेजा गया। आईजीटीपीएल ने 16 जनवरी, 2020 को अपने ई-मेल द्वारा उत्तर दिया।

6. इस मामले में, 19 नवंबर, 2019 को सीओपीटी परिसर में एक संयुक्त सुनवायी का आयोजन किया गया। आईजीटीपीएल ने अपने प्रस्ताव का पॉवर प्वाईंट प्रस्तुतीकरण दिया। संयुक्त सुनवाई में सीओपीटी, आईजीटीपीएल और संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों और प्रतिनिधि- निकायों ने अपने-अपने निवेदन रखे।

7. जैसा संयुक्त सुनवाई में सहमति बनी, आईजीटीपीएल को हमारे 22 नवंबर, 2019 के पत्र के द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद 10 दिसंबर, 2019 को अनुस्मारक भी भेजा गया।

(i). संयुक्त सुनवाई में अधिकतर प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने तटीय कंटेनरों के लिए प्रस्तावित वृद्धि पर आपत्ति उठायी। तटीय कंटेनरों की कुछेक श्रेणियों के प्रशुल्क में अत्यधिक वृद्धि का कारण यह है कि आईजीटीपीएल तटीय कंटेनर की इस दर पर इस तरह पहुंचा है कि उसने प्रचलित विनियम दर के साथ पुनर्बहाली करने के पश्चात उस पर 60% का मिलान किया है। प्रत्येक सामान्य संशोधन के दौरान तटीय कार्गो/कंटेनर प्रहस्तन दर के लिए प्रचलित विनिमय दर की पुनर्बहाली अनुमत करने के लिए सरकार की तटीय रियायत नीति को नहीं बदला है। जैसा आईजीटीपीएल ने संयुक्त सुनवाई में स्वीकार किया, आईजीटीपीएल को प्रस्ताव का परीक्षण करने तथा 29 नवंबर, 2019 तक संशोधित प्रस्ताव दायर करने का अनुरोध किया गया।

(ii). आईजीटीपीएल को उक्त मुद्दों पर प्राधिकरण को 29 नवंबर, 2019 तक प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। आईजीटीपीएल द्वारा दायर किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव की प्रति सीओपीटी को भी भेजी जाए।

8. पैरा नं. 7 बिंदु संख्या (i) पर संयुक्त सुनवाई में निर्णित कार्रवाई बिंदु के संदर्भ में, आईजीटीपीएल ने 29 नवंबर, 2019 के पत्र के द्वारा राजस्व का संशोधित प्रकलन, प्रसुतावित दरमान और राजस्व का संशोधित आकलन प्रस्तावित दर पर प्रस्तुत किया, जिसका सार इस प्रकार है:-

(i). आईजीटीपीएल ने संशोधित प्रस्तावित दरमान में, तटीय कंटेनरों का प्रशुल्क निकालने के लिए प्रचलित विनियम दर के पुनर्बहाली प्रभाव को हटा दिया है। आईजीटीपीएल ने अब विदेशगामी कंटेनर और तटीय कंटेनर के लिए वहां एक समान वृद्धि चाही है, जहां विदेशगामी कंटेनर के लिए प्रशुल्क अमरीकी डालर में निर्धारित है। संशोधित दरमान में प्रस्तावित वृद्धि आगे के आगामी पैराओं में सारणीबद्ध की गई है और इसलिए यहां नही दोहरायी जा रही है।

(ii). संशोधित प्रस्तावित दरमान में संशोधित राजस्व आकलन मूल प्रस्ताव में आकलित 315.55 करोड़ रु. के स्थान पर 324.62 करोड़ रु. है।

9.1. प्रस्ताव की आरंभिक संवीक्षा के आधार पर, आईजीटीपीएल को हमारे 10 दिसंबर, 2019 के पत्र द्वारा कुछेक मुद्दों पर 26 दिसंबर, 2019 तक अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया था। हमारे द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण और उन पर आईजीटीपीएल द्वारा दिये गए उत्तर का सार नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना	आईजीटीपीएल का उत्तर
1.	**वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) (फार्म नं. 1)**	
(i).	प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.3.2 के अनुसार इंडएएस और आईजीएएपी के अंतर्गत व्यय में विचलन के मामले में, एआरआर परिकलन में इंडएएस आंकड़ों को छोड़कर और आईजीएएपी के आंकडों को शामिल करते हुए आवश्यक समायोजन किया जाना होगा। इस संबंध में, आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत फार्म 6 (क), का क्रमांक 2 में इंड एएस से आईजीएएपी को वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए क्रमश: 8.72 लाख रु., 7.99 लाख रु. और 8.42 लाख रु. लाख रु. की राशि को एआरआर परिकलन के प्रयोजन से पट्टा किराये का समायोजन दर्शाया है। इस संबंध में आईजीटीपीएल निम्न को स्पष्ट करे:	
	(क) टिप्पणी 3 में अंतर्गत दिये गए तथा वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 4 ख के साथ पठित भू प्रयोग अधिकार की टिप्पणी ख से यह समझ आता है कि आईजीटीपीएल ने स्वामी पत्तन को पट्टा शुल्क के लिए वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक क्रमश: 8.72 लाख रु., 7.89 लाख रु. और 8.42 लाख रु. लाख रु. पर एआरआर परिकलन के प्रयोजन से किया है। आईजीटीपीएल विस्तृत टिप्पणी के साथ इन आंकड़ों के समर्शन में गणना प्रस्तुत करे।	(i). आईजीटीपीएल को लाइसेंस करार (एलए), अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है, के खंड 5.3 (ग) के अनुसार सीओपीटी को 'लाइसेंस शुल्क' का भुगतान करना अपेक्षित है। वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान प्रदत्त वास्तविक राशि 8.72 लाख रु., 7.89 लाख रु. और 8.42 लाख रु. है। संबंधित बीजकों की प्रतिया अनुलग्नक II के रूप में संलग्न हैं। [संलग्न अनुलग्नक- II बीजक नहीं हैं। वे खाता बही शेष प्रतीत होते हैं।] (ii). सभी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य को "भू- प्रयोग का अधिकार" पूंजीगत कर दिया गया है और साथ ही एक दायित्व लेखा भी बनाया गया है। इन भुगतानों को पी एंड एल को डेबिट नहीं किया गया है परंतु इन्हें

<table>
<tr><td></td><td></td><td>इंड एएस 116 के अनुरूप दायित्व लेखे को अंतरिम किया गया है। लेकिन अमूर्त आस्ति रियायत जीवन से अधिक पर अमार्टइज किया गया है। उक्त अमूर्त आस्ति पर अमार्टइजेशेन को सुविचार में नहीं लिया है। अत: फार्म 6क में आईजीएएपी के अनुसार मूल्यह्रास तथा अमार्टजेशेन लेखाबहियों के अनुसार डी एंड ए 3.67 रु. से कम है।
(iii). आईजीएएपी के अनुसार, लाइसेंस शुल्क को व्यय लेखे को डेबिट किया जाना है। ऐसा वित्तीय वर्ष 2015-16 तक किया गया। इसी कारण से उक्त राशि को फार्म 6क में जोड़ा गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) आईजीटीपीएल यह भी पुष्टि करे कि आरओसीई के लिए सुविचारित सकल स्थायी आस्तियां भू प्रयोग अधिकार से संबंधित अमूर्त आस्तियों को लेखबद्ध नहीं करती।</td><td>आईजीटीपीएल एतद् द्वारा पुष्टि करता है कि सकल स्थायी आस्तियां भू प्रयोग अधिकार से संबंधित अमूर्त आस्तियों को लेखबद्ध नहीं करती।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ग) आईजीटीपीएल सीओपीटी को प्रदत्त वास्तविक पट्टा किराये की पुष्टि करे।</td><td>सीओपीटी को प्रदत्त वास्तविक पट्टा किराया वि. वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक क्रमश: 8.72 लाख रु., 7.89 लाख रु. और 8.42 लाख रु. लाख रु. है।</td></tr>
<tr><td>(ii).</td><td>(क) आइजीटीपीएल ने, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.3 (ii) के अनुसार, वर्ष 2018-19 में अप्राप्य और संदिगध ऋणों के लिए 11.92 लाख रु. और वर्ष 2016-17 और 2017-18 में क्रमश: 11.92 लाख रु. और 2.65 लाख रु. धीमी खपत वाली माल सूची के अपवर्जन के लिए सुविचार में लिए हैं। इन आंकड़ों को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं से क्रास चैक नहीं किया जा सकता। आईजीटीपीएल पुष्टि करे कि लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं में इन मदों को किन शीर्षों के अंतर्गत लिया गया है।</td><td>अप्राप्य ऋणों के लिए प्रावधान के मामले में वर्ष 2018-19 के लिए टिप्पणी 23 अन्य व्यय के अंतर्गत शीर्ष "वित्तीय आस्तियों पर क्रेडिट हानियों के लिए अलाउंस " देखें।
धीमी खपत वाली माल सूची के मामले में, इसे वित्तीय विवरणों की टिप्पणी-19 के अंतर्गत प्लांट और मशीनरी की मरम्मत और अनुरक्षण लागतों में मिला दिया गया है। लेकिन, सत्यापन के लिए खाताबही की प्रतियां अनुलग्नक- III के रूप में संलग्न हैं।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का खंड 2.3 (ii) ऋणों पर ब्याज, अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, धीमी खपत वाली माल सूची के लिए प्रावधान आदि को वार्षिक राजस्व अपेक्षा के परिकलन से अपवर्जन की अपेक्षा रखता है। आईजीटीपीएल के 2016-17 के लेखापरीक्षित लेखे 3.6 लाख रु. तक की वित्तीय आस्ति पर क्षत हानि का प्रावधान दर्शाते हैं, उसे भी अपवर्जित किया जाना चाहिए क्योकि यह प्रावधान उस किस्म का है जिसे प्रशुल्क दिशानिर्देशों के उक्त खंड के अनुसार एआरआर परिकलन में अपवर्जन के लिए लेखबद्ध नहीं किया गया है।</td><td>एआरआर परिकलन में भूल से उक्त राशि को अपवर्जित नहीं किया गया था। आईजीटीपीएल इसे प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.3 (ii) के अनुरूप अपवर्जन को सहमत है।</td></tr>
<tr><td>(iii).</td><td>टिप्पणी 23 – अन्य व्यय के अंतर्गत 185.90 लाख रु. और 1803.10 लाख रु. वित्तीय आस्तियों और देयतायों की वसूली और परिवर्तन पर विनिमय हानि के रूप में दर्शाया गया है। आईजीटीपीएल इन मदों का ब्यौरा दे और प्रत्येक मद के संबंध में स्पष्टीकरण दे कि क्या विनिमय हानि विदेशी मुद्रा के वास्तविक भुगतान पर हुई है अथवा लेखांकन मानकों को पूरा करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आस्तियों और देयताओं के पुनर्बहाली के कारण हुई है। आईजीटीपीएल को विदेशी मुद्रा में वास्तविक भुगतान के संबंध में विदेशी मुद्रा हानि को ही (विदेशी मुद्रा लाभ के समायोजन के पश्चात्) लेखबद्ध करना चाहिए। ऋण/आस्ति/व्यय के पुनर्बहाल के हवाले से होने वाले विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ या हानि को प्रशुल्क निर्धारण के समय सुविचार में नहीं लिया जाता। इसी प्रक्रिया को तत्कालीन प्रशुल्क दिशानिर्देश 2015 के अंतर्गत शासित सभी बीओटी प्रचालकों द्वारा समान रूप से अनुपालन किया जाता है।</td><td>(क) कथित राशि को संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान हुई विनिमय हानि ही माना गया है क्योंकि विनिमय हानि को वित्तीय वर्ष के आदि में विनिमय की दर के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। कृपया नोट करें कि पिछले वर्षों में वसूल नहीं हुए विनियम लाभ/हानि के रूप में अनुमत नहीं किये गए।
इसलिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कथित देयताओं की बुकिंग के समय आरओई के हवाले से देयताओं के वास्तविक पुनर्भुगतान पर विनिमय लाभ/हानि को निम्नलिखित परिकलित किया जाता है:-
<table>
<tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>(लाख रु. में)</th></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>115.11</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>197.88</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>3060.74</td></tr>
</table>
इसलिए यह अपेक्षित है कि प्रत्येक वर्ष के ग्राह्य व्यय को निम्नवत् संशोधित किया जाय:-
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>वि.व. 2016-17</th><th>वि.व. 2017-□□</th><th>वि.व. 2018-19</th></tr>
<tr><td>फार्म 1 के अनुसार</td><td>13,490.24</td><td>12,031.49</td><td>14,465.93</td></tr>
<tr><td>घटा: प्रत्येक हानि 1(i)(क)</td><td>3.60</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>घटा: अन्य व्यय (टिप्पणी 23)</td><td>-</td><td>185.87</td><td>1,803.10</td></tr>
<tr><td>जमा: वास्तविक भुगतान पर विदेशी मुद्रा हानि</td><td>**115.11**</td><td>**197.88**</td><td>**3,060.74**</td></tr>
<tr><td>संशोधित ग्राह्य व्यय</td><td>**3,601□□5**</td><td>**12,043.50**</td><td>**15,723.57**</td></tr>
</table>
(ख). तत्पश्चात्, आईजीटीपीएल ने 16 जनवरी 2020 के अपने ई-मेल के</td></tr>
</table>

द्वारा आगे और स्पष्ट किया कि आईजीटीपीएल ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में एडीसीबी से (50,000,000 अमरीकी डालर) और स्टैंडर्ड चार्टर्ड से (15,000,000 अमरीकी डालर) ईसीबी ऋण लिया है जो कुल मिला कर 65,000,000 अमरीकी डालर बनते है। इन ऋणों को डीपी वर्ल्ड लिमिटेड दुबई से निगमित गारंटी अधीन हैं। उक्त निगमित गारंटी के प्रति एडीसीबी के बकाया ऋण पर डीपी बर्ल्ड लि. को @1.5% प्रति वर्ष की दर से मासिक आधार पर कमीशन दिया जाता है। कृपया, आाईजीटीपीएल द्वारा लिये गए विभिन्न उधारों के ब्यौरे के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 12 देखें। इस प्रकार, बड़े विदेशी मुद्रा भुगतानों में ईसीबी ऋणों का पुनर्भुगतान डीपी वर्ल्ड को देय गारंटी कमीशन और डीपी वर्ल्ड लि. को प्रबंधन शुल्क भी शामिल है।

(ग) जहां तक विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान का संबंध है, कृपया यह नोट करें कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ईसीबी ऋणों को चालू विनियम दर पर पुनर्लेखन किया जाता है तथा अप्राप्य लाभ/हानि को, तत्कालीन आईजीएएपी के अंतर्गत लेखांकन मानक 11 के अनुपालन में, लाभ-हानि खाते को डेबिट किया जाता है। लेकिन, अप्राप्त विनिमय दर लाभ/हानि को पिछले प्रशुल्क आदेशों में प्राधिकरण द्वारा हिसाब में नहीं लिया गया है। प्राधिकरण का 5 अगस्त, 2009 का आदेश संख्या टीएएमपी/25/2008, अनुलग्नक 1 (पृष्ठ 56) में वित्तीय वर्ष 2005-06 से वि.व. 2008-09 तक के अतिरेक/घाटे का आकलन और 17 सितंबर, 2016 का प्राधिकरण आदेश संख्या टीएएमपी/81/2015-आईजीटीपीएल अनुलग्नक 7 (ग) (पृष्ठ 66) में वि.व. 2010-11 से 2015-16 तक में अतिरेक/घाटा शामिल है। उक्त गणना में, विदेशी मुद्रा हानि को अप्राप्य लेखांकित हानियों के रूप में सुविचार में नहीं लिया गया था।

(घ) इसलिए, आईजीटीपीएल ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष की सारी वित्तीय लागतों को फिर से जोड़ दिया है। उक्त वित्तीय लागत शीर्ष में ईसीबी ऋण के पुनर्लेखन अप्राप्त लाभ/हानि में जोड़ लिया है। इसके अतिरिक्त, आईजीटीपीएल ने ग्राह्य व्यय में से अप्राप्त विदेशीमुद्रा हानियों की सारी राशि को समायोजित कर दिया है, जैसा एएफएस की टिप्पणी 23 में दिया गया है अर्थात् वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए क्रमश: 185.87 लाख रु. और 1803.10 लाख रु.।

(ङ) अब आईजीटीपीएल ने उक्त देयताओं की बुकिंग के समय विदशी मुद्रा विनिमय दर के हवाले से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए देयताओं के वास्तविक पुन: भुगतान पर विदेशी मुद्रा विनियम पर लाभ /हानि का परिकलन किया है जिसे अर्हक व्यय के रूप में अवश्य स्वीकार किया जाये। प्रत्येक वित्तीय वर्ष. के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय दर लाभ /(हानि) का परिकलन इस प्रकार है:-

i) विदेशी मुद्रा ऋण के पुनर्भुगतान पर विनिमय दर लाभ (हानि)

वि.व. 2015-16 (जनवरी से मार्च) शून्य

वि.व. 2016-17 ₹(116.68) लाख

वि.व. 2017-18 ₹ (203.24) लाख

वि.व. 2018-19 ₹ (425.97) लाख

ii) विदेशी मुद्रा देयताओं के भुगतान पर विनिमय दर लाभ /(हानि):

वि.व. 2015-16 (जनवरी से मार्च) ₹ (8.41) लाख

वि.व. 2016-17 ₹ (58.22) लाख

वि.व. 2017-18 ₹42.45 लाख

वि.व. 2018-19 ₹ (2,391.77) लाख

इसलिए यह अपेक्षित है कि प्रत्येक वर्ष के ग्राह्य व्यय को एआरआर में सुविचार में लिया जाए।

विनिमय दर हानियों की गणना और तत्संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत हैं।

आईजीटीपीएल ने तदनुसार फार्म 1 को संशोधित कर दिया है, वह भी प्रस्तुत है।

विनिमय दर हानियों की गणना का सार इस प्रकार है:-

(लाख रु. में)

क्र.सं.	मद	वि.व. 2015-16 (जन.-मार्च)	वि.व. 2016-17	वि.व. 2 17-18	वि.व. 2018-19
(i).	डीपी वर्ल्ड	(8.41)	(31.40)	5.52	(29.32)

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>लिमिटेड को गारंटी कमीशन के भुगतान पर</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(ii).</td><td>डीपी वर्ल्ड को प्रबंधन शुल्क के भुगतान पर</td><td>0.00</td><td>(26.82)</td><td>36.93</td><td>(2,362.45)</td></tr>
<tr><td></td><td>विदेशीमुद्रा देयताओं के पुनर्भुगतान पर कुल विनिमय पर हानि</td><td>(8.41)</td><td>(58.22)</td><td>4.45</td><td>(2,391.77)</td></tr>
<tr><td>(iii).</td><td>ईसीबी ऋण के पुनर्भुगतान पर</td><td>-</td><td>(116.68)</td><td>(203.24)</td><td>(425.97)</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल विनिमय दर लाभ/ (हानि)</td><td>(8.41)</td><td>(174.90)</td><td>(160.79)</td><td>(2,817.74)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(iv).</td><td>वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखे शीर्ष अन्य व्ययां के अंतर्गत 1504.3 लाख रु. के विविध व्यय दर्शा रहे हैं। टिप्पणी संख्या 24 (ii) बताती है कि यह लाइसेंस करार के दायित्व को निर्वहन करने में लाइसेंस प्रदाता को आरोप्य व्यापार में हानि के लिए आईजीटीपीएल द्वारा सीओपीटी पर किये गए दावे के हैं जिन्हें मई 2017 में आईजीटीपीएल के पक्ष पंचार अवार्ड के आधार पर वर्ष 2016-17 में लेखबद्ध किया गया। कृपया इस मद को अपवर्जित करें। यह स्पष्ट करें कि यह प्राकृति में प्रचालन व्यय कैसे है। आईजीटीपीएल द्वारा सीओपीटी पर किया गया दावा प्राप्त होने पर आईजीटीपीएल की आय होगी। इसे व्यय कैसे समझा गया? आखिरकार यह प्रासव्य ही हो सकता है।</td><td>जबकि आईजीटीपीएल ने हानि के लिए सीओपीटी के विरूद्ध विधिक कार्रवाई आरंभ की थी, सीओपीटी ने भी आईजीटीपीएल के विरूद्ध विभिन्न मामलों में वाद डाला था। उन दावों में एक दावा फरवरी 2011 से दिसंबर 2015 तक सीआईएसएफ कार्मियों की तैनाती की लागत का दावा भी शामिल था। सीओपीटी द्वारा किया गया कुल दावा 18.20 करोड़ रु. था जबकि आईजीटीपीएल ने इसे अपनी बहियों में 15.03 करोड़ रु. प्रबुद्ध मामले के रूप में, ही दर्शाये थे। इसके अतिरिक्त, 12 मई, 2017 के पंचाट अवार्ड के अनुसार, यह निर्णय दिया जाता है कि सीआईएसएफ की तैनाती की लागत आईजीटीपीएल द्वारा वहन की जायेगी। इस प्रकार वि.व. 2016-17 के दौरान आईजीटीपीएल द्वारा 15.03 करोड़ रु. का प्रावधान, प्रबुद्ध मामले के रूप में, और स्वतंत्र विधिक राय के आधार पर किया गया था।</td></tr>
<tr><td>(v).</td><td>(क) कार्यशील पूंजी के परिकलन से संबंधित फार्म संख्या 3 में (मानकों के अनुसार), आईजीटीपीएल ने क्रमांक (iii) पर 398.93 लाख रु. के रोकड़ को सुविचार में लिया है जिसे कार्यकारी दिशानिर्देश के खंड 2.6 के अनुरूप नहीं पाया गया है। कार्यशील पूंजी परिकलन के लिए रोकड़ व्यय को ठीक किया जाए और वर्ष 2018-19 के एक माह के रोकड़ व्यय के रूप में सुविचार से लिया जाए। व्याखा के लिए, आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत लागत विवरण में, रोकड़ व्यय 754.41 लाख रु. है (यानी वर्ष 2018-19 के लिए ग्राह्य व्यय 14465.93 – 5413.02 मूल्यह्रास/ 12 = 754.41 लाख रु.) । आईजीटीपीएल संशोधित लागत विवरण के आधार पर आवश्यक आशोधन करे जिससे प्रशुल्क दिशानिर्देशों का अनुपालन हो।</td><td>टिप्पणी को नोट किया और तदनुसार अनुपालन किया जायेगा।
इस संबंध में, ऊपर क्रमांक I (iii) देखने का कष्ट करें, जहां आईजीटीपीएल ने वि. व. 2018-19 की ग्राह्य कार्यशील पूंजी की पुनर्गणना की है। तदनुसार, लागत विवरण के प्रयोजन से ग्राह्य रोकड़ व्यय को निम्नवत् परिकलित किया गया और उसे संशोधित लागत विवरण में सुविचार में लिया गया है:
(रु. लाख में)
<table>
<tr><td>कुल ग्राह्य व्यय</td><td>₹ 15,723.57</td></tr>
<tr><td>घटा: मूल्यह्रास</td><td>₹ 5,413.02</td></tr>
<tr><td>वार्षिक रोकड़ व्यय</td><td>₹ 10,310.55</td></tr>
<tr><td>एक माह का व्यय</td><td>₹ 859.21</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>राजस्व आकलन (फार्म 4)</td><td></td></tr>
<tr><td>(i).</td><td>जहां तक फार्म 4 में प्रस्तुत राजस्व आकलन का संबंध है, रेस्टो कंटेनरों से प्रस्तावित प्रशुल्क तटीय, क्रमांक 6(ख) यानी (क) के सिवा कंटेनर अंतरण के लिए आईजीटीपीएल ने 20', 40' और 45' से अधिक के कंटेनरों के लिए क्रमश: 2705.85 रु. 4058.77 रु. और 5411.71 रु. सुविचार में लिए हैं। प्रशुल्क एक्सैल गणना पत्रक में, नामत: "प्रशुल्क, समेकित प्रशुल्क दर्शाता है जिसमें क्यूसी से यार्ड को परिवहन लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ के 20', 40' और 45' से अधिक के कंटेनरों के लिए क्रमश: 4809.75 रु. 7214.71 रु. और 9619.47 रु. भी शामिल हैं, जिन्हें आईजीटीपीएल द्वारा विदेशी रेस्टो कंटेनरों के लिए अपनायी गइ पद्धति के आधार पर लेखबद्ध किया गया है। इसलिए आईजीटीपीएल राजस्व आकलन में आवश्यक संशोधन करे।</td><td>टिप्पणी को भली भांति नोट कर लिया है। हमने फार्म 4 में आवश्यक संशोधन कर दिये हैं।</td></tr>
<tr><td>(ii).</td><td>"प्रशुल्क" नामक एक्सेल गणना पत्रक में, अनुसूची 1.4 के अंतर्गत खाली कंटेनर के लिए लिफ्ट ऑफ/लिफ्ट ऑन का प्रशुल्क प्रस्तावित करने के लिए, आईजीटीपीएल ने मौजूदा प्रशुल्क पर 20% वृद्धि का प्रस्ताव किया है और कुछ राशि भी जोड़ा है। इस प्रकार, वृद्धि विदेशगामी कंटेनर के लिए 69% और तटीय कंटेनर के लिए 80% बनती है प्रस्तावित प्रशुल्क निकालने के लिए जोड़ के रूप में दर्शायी</td><td>कृपया तटीय खाली के 20' की दर को देखें।
मौजूदा प्रशुल्क 2361.05 रु. ("प्रशुल्क" शीट का सैल एस60) 20% की वृद्धि का अर्थ प्रस्तावित प्रशुल्क 2779.26 रु. (सैल एएफ60)
कृपया सैल संख्या एओ60 देखे, जो यह दर्शाता है कि समग्रता में, तटीय प्रशुल्क 44.37 है और तटीय भरा विदेशगामी का 52.32% है (सैल एओ78)</td></tr>
</table>

	गई राशि को स्पष्ट करें। इसके इस मद के तटीय कंटेनर हेतु प्रस्तावित प्रशुल्क, तटीय रियायत नीति से मेल नहीं खाता है यानी यह विदेशगामी कंटेनर की दर के 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए, आईजीटीपीएल अनुसूची 1.4 में खाली तटीय कंटेनर की दर को आशोधित करे जिससे यह सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुरूप रहे।	इस प्रकार, समग्र तटीय दर विदेशगामी दर के 60% से भी कम है जैसा सरकार का अधिदेश है। बाद में, आईजीटीपीएल ने 16 जनवरी, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा आगे और बताया कि आईजीटीपीएल ने तटीय रियायत नीति के अनुपालन में तटीय प्रशुल्क में आवश्यक संशोधन किया है। तदनुसार, आईजीटीपीएल ने दरमान में संशोधन किया है और उसे प्रस्तुत भी किया है।
3.	**दरमान:**	
(i).	लाइसेंस करार (एलए) के खंड 4.2 के अनुसार, अंतराष्ट्रीय कंटेनर पोतांतरण केंद्र और क्षेत्र में बड़े प्रतिस्पर्धी पत्तनों में पर प्रशुल्क के मौजूदा स्तर के साथ प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए। इस संबंध में आईजीटीपीएल पुष्टि करे कि अपने दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए दायर संशोधित प्रस्ताव लाइसेंस करार के खड 4.2 के अनुरूप हैं।	आईजीटीपीएल पुष्टि करता है कि संशोधित दरमानों के अंतर्गत प्रस्तावित प्रशुल्क मौजूदा अंतरराष्ट्रीय पोतांतरण केंद्रों और क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी पत्तनों के मौजूदा प्रशुल्क स्तर के साथ प्रतिस्पर्धी हैं।
(ii).	सामान्य निबंधन और शर्तें: इस प्राधिकरण आईजीटीपीएल सहित सभी महापत्तन न्यासों और उनमें कार्यरत बीओटी प्रचालकों के लिए समय-समय पर कॉमन अडाप्शन आदेश पारित किये हैं और सभी महापत्तन न्यासों और उनमें कार्यरत बीओटी प्रचालकों, आईजीटीपीएल सहित, उन्हें दरमानों में उपयुक्त टिप्पिणयां शामिल करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन आईजीटीपीएल ने प्रस्तावित दरमानों में निम्नलिखित कॉमन अडाप्शन आदेशों के अनुपालन में उपयुक्त टिप्पणियां अंतर्विष्ट नहीं की हैं।	कृपया आईजीटीपीएल के प्रस्तावित दरमान का भाग 2 देखें। उक्त खंडों को 2016 में प्रशुल्क संशोधन के दौरान पहले ही जोड़ दिया गया था। [आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तावित दरमान में संशोधित खंडों को नहीं जोड़ा गया है।]
	(क). (i). पोत संबंधी प्रभारों (वीआरसी) की उगाही के लिए पोत के वर्गीकरण की प्रणाली और पोत संबंधी प्रभारों की उगाही के मानदंड तथा रियायती तटीय दर से संबंधित 26 नवंबर, 2015 के कॉमन अडाप्शन आदेश संख्या टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी में 10 जून 2016 का संशोधन आदेश संख्या टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी ।	
	(ii). वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा जारी 11 मई 2018 की अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमाशुल्क (एनटी) के निबंधन में एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन को श्रीलंका अथवा बांग्लादेश के सीमांतर्गत जल क्षेत्र से होकर गुजरने वाले जलयानों और कार्गो के लिए रियायती तटीय प्रशुल्क संबंधी उपबंधों के निर्धारण के बारे में 26 नवंबर 2015 के कॉमन अडाप्शन आदेश संख्या टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी में 25 सितंबर, 2018 के संशोधन आदेश संख्या टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी	
	(ख). इस प्राधिकरण ने एक कॉमन अडाप्शन आदेश के रूप में 24 जुलाई 2019 को आदेश संख्या टीएएमपी/12/2019-एमयूसी पारित किया जिसके द्वारा सभी महापत्तन न्यासों और उनमें कार्यरत बीओटी प्रचालकों के दरमानों में दिल्ली-मुंबई कारिडोर विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली संभरण डाटा बैंक सेवा के लिए कंटेनरों पर अनिवार्य प्रयोक्ता प्रभारों की 2 वर्ष की अवधि के लिए सभी महापत्तन न्यासों और उनमें कार्यरत बीओटी प्रचालकों को कॉमन अडाप्शन आदेश के अनुसार उगाही करनी है, यह आईडीटीपीएल पर भी लागू है। आईजीटीपीएल अपने दरमानों में इन कॉमन आदेशों में अनुबद्धताओं को अंतर्विष्ट करें।	हमने टिप्पणी को नोट कर लिया है और प्रस्तावित दरमान में इस अंतर्विष्ट किया है। कृपया संशोधित दरमान का अध्याय XVII देखें।
(iii).	आईजीटीपीएल ने नई प्रशुल्क मदों का प्रस्ताव किया है अर्थात 20’ कंटेनर के लिए 1800/-रु. रेडियोलॉजिकल स्कैनिंग प्रभार, 20’ कंटेनर के लिए 800 रु. प्रति कंटेनर शिपिंग बिल/ अन्य सीमाशुल्क दस्तावेजों की प्रिंटिंग के लिए। प्रस्तावित नई प्रशुल्क मदों के लिए आधार स्पष्ट करें। राजस्व आकलन में नई मदों से राजस्व को लेखबद्ध नहीं किया गया है। आईजीटीपीएल इन नई मदों के संभावित राजस्व को शामिल करे चाहे वर्ष 2018-19 में कोई राजस्व अर्जित न भी हुआ हो।	आईजीटीपीएल ने किसी रेडियोएक्टिव सामग्री के लिए कंटेनर को स्कैन करने हेतु रेडियो पोर्टल मानीटर की स्थापना और कार्यान्वित किया है। यह विशेषकर अनकतरे/धातु के कबाड़ वाले कंटेनरों के लिए है। इसलिए हमने इन कंटेनरों की स्कैनिंग के लिए 1800/- रु. प्रति 20’ प्रभार का प्रस्ताव किया है। इससे 54 लाख रु. का राजस्व आकलित किया है। आईजीटीपीएल ने निर्यात कंटेनरों और/अथवा आयात/डीपीटी कंटेनरों के लिए आऊट ऑफ चार्ज (ओओसी) के शिपिंग बिल प्रिंट करने के लिए 800/- रु. प्रति 20’ कंटेनर के लिए उगाही के लिए प्रभारित करने का प्रस्ताव किया है। इसमें अतिरिक्त मानव शक्ति आईटी हार्डवेयर कनैक्शन आदि की लागते शामिल हैं। इसलिए इन लागतों की वसूली अलग प्रभार से करने का प्रस्ताव है। उक्त दोनों मदों से राजस्व को राजस्व आकलन में

		शामिल कर लिया गया है।
4.	**पूर्वावधि अतिरेक:**	
(i).	प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का खंड 3.1.2 अनुबद्ध करता है कि उन प्रचालकों के मामले में जिन्होंने न्यायालयों से संपर्क नहीं किया है, इस दिशानिर्देश के अंतर्गत पहले प्रशुल्क निर्धारण की अवधि तक के अतिरेक/घाटें को प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के खंड 2.13 के अनुसार निपटाया जाये। नीचे पुन:उद्धरत है:- *"विद्यमान प्रशुल्क नियत करते समय आश्रित पूर्वानुमानों के संदर्भ में निर्धारित प्रशुल्क वैधता अवधि के अंत में वास्तविक और वित्तीय निष्पादनों की समीक्षा की जायेगी। यदि निष्पादनों में पूर्वानुमानों की तुलना में 20% से अधिक अथवा कम परिवर्तन देखा जाता है तो प्रशुल्क को बाद में समायोजित किया जायेगा। ऐसा करते समय प्राप्त किये जा चुके लाभ/हानि का 50% प्रशुल्क को संशोधित करते समय समंजित किया जायेगा।"* इसलिए, आईजीटीपीएल वास्तविक और वित्तीय निष्पादन और पूर्व के प्रशुल्क चक्र में हिसाब में लिए गए आकलनों का समीक्षा विवरण प्रस्तुत करे जैसा तत्कालीन प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अंतर्गत प्रशुल्क संशोधन के समय किया गया था और यदि वास्तविक और वित्तीय प्रतिमानों में आकलित एआरआर में +/-20% परिव्‍र्तन होता है तो आवश्यक समंजन करें।	कृपया हमारे 28 अगस्त, 2019 के द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत प्रस्ताव की विशिष्टताओं सहित कवरिंग पत्र को देखे। पूर्वावधि निष्पादन की वास्तविक भौतिक और वित्तीय निष्पादनों की तुलना मूल प्रस्ताव में दिये गए तथा प्राधिकरण के पिछले आदेश के अनुसार की गई है। उक्त पत्र अनुलग्नक IV के रूप में इसके साथ संलग्न है। दोनों ही वाल्यूम (वास्तविक) और राजस्व (वित्तीय) आकलनों के 20% से अधिक नहीं हुए और इसलिए एआरआर आकलन में किसी समंजन की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात् आईजीटीपीएल ने अपने 16 जनवरी, 2020 के ई-मेल के द्वारा यह और बताया कि उक्त के अतिरिक्त, इसने तुलनात्मक पिछले आदेश में प्राधिकरण द्वारा सुविचारित और तुलनात्मक अवधि के वास्तविकों के साथ, भी प्रस्तुत की है। इनको उक्त अनुलग्नक में दिया गया है। आइजीटीपीएल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के, प्राधिकरण के पिछले आदेश में सुविचारित, अंतरिम आकंडों की लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार वास्तविक के साथ तुलना भी प्रस्तुत की है।
(ii).	प्राधिकरण ने 17 सितंबर, 2016 के पिछले संशोधन आदेश संख्या टीएएमपी/81/2015- आईजीटीपीएल (सकारण आदेश) में पैरा 10(iii)(ठ)(क)(छ) और पैरा 10(iii)(II).(iv). पूर्वावधि विश्लेषण में प्रबंधन सेवा शुल्क को स्वीकार करते समय और आईसीटीटी के लिए प्रशुल्क निर्धारण करते समय आईजीटीपीएल को सलाह दी थी कि अगली समीक्षा के समय आय कर प्राधिकारियों से 2013-14 से प्रत्येक वर्ष का आय कर निर्धारण आदेश प्रस्तुत करें जिसमें यह दिखाया गया हो कि आय कर विभाग ने लागत की इस मद का स्वीकार कर लिया है और यह भी पुष्टि करे कि आईजीटीपीएल ने भुगतान कर दिये हैं। यदि ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए तो अब अनुमत व्यय को आगामी प्रशुल्क समीक्षा के दौरान सैट-आर्फ कर दिया जायेगा। इसलिए, आईजीटीपीएल वि.व. 2013-14 से आगे के वर्षों के आय कर निर्धारण आदेश प्रस्तुत करे ताकि यह पता चल सके कि आय कर प्राधिकारियों ने व्यय को अनुमत कर दिया है।	हम वर्ष 2013-14 और 2014-15 के आय कर निर्धारित आदेश अनुलग्नक V के रूप में संलग्न कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आय कर निर्धारण अभी चल रहा है। हम आदेश के प्राप्त होते ही भेज देंगे। तत्पश्चात्, आईजीटीपीएल ने 16 जनवरी, 2020 के ई-मेल के द्वारा वि.व. 2013-14 (वित्तीय वर्ष 2014-15), तथा वित्तीय वर्ष (2015-16) तथा (वित्तीय वर्ष 2016-17) के निर्धारण आदेश भेज दिये हैं।
(iii).	इसके अतिरिक्त, पिछले संशोधन के दौरान पूर्वावधि विश्लेषण में वर्ष 2015-16 के सितंबर 2015 तक के और जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक के प्रशुल्क निर्धारण में सुविचारित आंकड़े वर्ष 2015-16 के अंतरिम लेखाओं पर आधारित थे। आदेश के पैरा 10(iii)(ii)(vii) में यह बताया गया है कि वर्ष 2015-16 के आंकड़े की समीक्षा, हर हाल में अगली, समीक्षा के दौरान की जायेगी। इसलिए, आईजीटीपीएल, पिछले संशोधन के दौरान सुविचारित अंतरिम लेखाओं के अनुसार लेखापरीक्षित लेखाओं के वास्तविकों के साथ तलना प्रस्तुत करे, ताकि पिछले आदेश का अनुपालन हो सके।	आईजीटीपीएल ने 16 जनवरी, 2020 के ई-मेल के द्वारा पूर्वावधि अतिरेक का परिकलन प्रस्तुत किया है, जिसमें पिछले आदेश में प्राधिकरण द्वारा सुविचारित अंतरिम लेखाओं की तुलना वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखापरीक्षित लेखाओं से की गई है।
5.	प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 1.9 के अनुसार बीओटी प्रचालक संबंधित महापत्तन न्यास के साथ किये गए मौजूदा रियायत करार में दिये गए प्रावधानों से बंधा रहेगा। साथ ही साथ, बीओटी प्रचालक संबंधित महापत्तन न्यास के साथ इन दिशानिर्देशों से बंधे रहने की सहमति के लिए पृथक करार करेगा। आईजीटीपीएल एमओएस के 9 मार्च, 2019 के पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी(भाग **IV)** के द्वारा सीओपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों के भेजे गए निर्धारित प्रपत्र में सीओपीटी और आईजीटीपीएल के बीच विधिवत् हस्ताक्षरित भेजे।	आईजीटीपीएल विधिवत् निष्पादित करार जनवरी के प्रथम सप्ताह में भेज देगा। तत्पश्चात्, आईजीटीपीएल ने 16 जनवरी 2020 के ई-मेल द्वारा यह स्वीकार किया कि विधिवत् निष्पादित करार जनवरी के तीसरे सप्ताह में भेज देगा।

9.2. हमारे 10 दिसंबर 2019 के पत्र के द्वारा सीओपीटी को यह अनुरोध किया गया कि हमारे द्वारा कुछेक मुद्दों पर मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण 26 दिसंबर, 2019 तक दें। प्रत्युत्तर में सीओपीटी ने 27 दिसंबर, 2019 के ई-मेल द्वारा अपना उत्तर दिया। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण और सीओपीटी द्वारा दिया गया उत्तर नेची सारणीबद्ध किया जाता है:-

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण</th><th>सीओपीटी का उत्तर</th></tr>
<tr><td>(i).</td><td>प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.3.2 के अनुसार यदि इंडएएस और आईजीएएपी के अधीन प्रतिवेदित व्यय में कोई अंतर हो तो इंडएएस आंकड़ों को अलग रखते हुए और आईजीएएपी के अनुसार आंकड़ों पर विचार करते हुए एआरआर में जरूरी समायोजन किये जायेंगे। इस संबंध में, आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत फार्म 6क, क्रमांक 2, पट्टा किराये पर कुल व्यय के वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए क्रमश: 8.72 लाख रु., 7.99 लाख रु. और 8.42 लाख रु. दर्शाता है। लेकिन, आईजीटीपीएल के वार्षिक लेखे इन तीन वर्षों के पट्टा किराये दर्शाते ही नहीं। आईजीटीपीएल और सीओपीटी के बीच हुए लाइसेंस करार का खंड 5.3 (ग) टर्मिनल विकास, अतिरिक्त भूमि, बर्थ निर्माण और रेलवे साइडिंग के विकास के लिए भूमि हेतु आईजीटीपीएल द्वारा सीओपीटी को संदेय लाइसेंस शुल्क संबंधी उपबंध निर्धारित करता है। आइ्जीटीपीएल द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के वर्षों के लिए सीओपीटी की दिया गया वास्तविक पट्टा किराया, यदि कोई हो, सूचित करें।</td><td>आईजीटीपीएल द्वारा प्रदत्त वास्तविक पट्टा किराया, निम्नवत् है:
<table><tr><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th></tr><tr><td>₹11,11,875*</td><td>₹8,00,844</td><td>₹ 8,28,844</td></tr></table>
*घाट क्षेत्र में लाइसेंस शुल्क के 1,12,363 रु. और 2015-16 के बकाया पट्टा किराया के 1,85,874 रु. शामिल हैं।</td></tr>
<tr><td>(ii).</td><td>आईजीटीपीएल द्वारा फार्म नं. 1 में प्रस्तुत एआरआर परिकलन पर भी टिप्पणियां दें।</td><td>एआरआर परिकलन पर कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
<tr><td>(iii).</td><td>फार्म नं. 4 में, अजीटीपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक वास्तविक यातायात, जैसा नीचे दिया गया है, दर्शाया है और राजस्व आकलन के लिए औसत यातायात 5,47,181 टीईयू दर्शाया है। सीओपीटी आईजीटीपीएल द्वारा उक्त वर्षों के लिए सुविचारित वास्तविक याताया त और 5,47,181 टीईयू औसत यातायात की पुष्टि करें।
<table><tr><th colspan="3">वास्तविक यातायात टीईयू में</th><th rowspan="2">औसत</th></tr><tr><th>वाई1 (2016-17)</th><th>वाई2 (2017-18)</th><th>वाई3 (2018-19)</th></tr><tr><td>491,087</td><td>555,812</td><td>594,644</td><td>547,□□1</td></tr></table></td><td>आईजीटीपीएल द्वारा सूचित वास्तविक यातायात सही है।</td></tr>
<tr><td>(iv).</td><td>आईजीटीपीएल द्वारा फार्म संख्या 4 में यथा प्रस्तुत प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर राजस्व आकलन पर टिप्पणी करें।</td><td>राजस्व आकलन पर कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
<tr><td>(v).</td><td>आईजीटीपीएल के वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं में "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत 1,504.3 लाख रु. के विविध व्यय सूचित किये हैं। 24 (ii) में अंतर संबद्ध टिप्पणी में यह बताया गया है कि यह आईजीटीपीएल द्वारा सीओपीटी पर लाभ की हानि के दावे के हैं क्योंकि लाइसेंस प्रदाता की ओर से लाइसेंस के दायित्वों को निभाने में विलंब किया था और आईजीटीपीएल ने इसे आईजीटीपीएल के पक्ष में मई 2017 में पंचाट निर्णय के आधार पर लेखबद्ध किया है।</td><td>आईजीटीपीएल ने पंचाट ट्रिब्यूनल के समक्ष 300 करोड़ रु. का दावा दायर किया था, इसके प्रति पत्तन ने 1070.71 करोड़ रु. का प्रति दावा दायर किया जिसमें पूंजीगत और अनुरक्षण तलकर्षण कार्य, पोत संबंधी प्रभारों की वसूली में हानि, सुविधाओं के न्यून उपयोग के कारण राजस्व हिस्से की हानि, आईसीटीटी में सीआईएसएफ की तैनाती, 1.4.2005 से 28.02.2011 तक पत्तन कर्मचारियों की तैनाती के दौरान छुट्टी वेतन और उपदान की प्रतिपूर्ति, से संबंधित दावे हैं। पंचाट ने वास्तव में 12 मई, 2017 को निर्णय दिया। लाइसेंस अवधि के आरंभ की तारीख का मुद्दा आईजीटीपीएल के पक्ष में गया। आईसीटीटी में सीआईएसएफ की तैनाती, छुट्टी का वेतन, पेंशन और उपदान के अंशदान के बारे में ट्रिब्यूनल ने कहा कि आईजीटीपीएल को लागत को वहन करना चाहिए परंतु राशि नहीं बताई। पंचाट ट्रिब्यूनल ने आदेश में बताया कि दोनों पक्षों को आपसी सहमति से राशि का फैसला करना है कि दावेदार को कितनी राशि देनी है। भारत के महान्यायवादी की विशिष्ट राय के आधार पर, सीओपीटी ने माननीय जिला न्यायालय, एर्नाकुलम में 16.08.2017 को पंचाट ट्रिब्यूनल के 12.05.2017 आदेश के विरूद्ध याचिका दायर की। चूंकि दोनों में से किसी के भी पक्ष में राशि का निर्णय नहीं दिया गया अत: आईजीटीपीएल का 2016-17 में लाभ की हानि सही नहीं है।</td></tr>
</table>

(vi).	लाइसेंस करार (एलए) के खंड 4.2 के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर पोतांतरण केंद्र और क्षेत्र में बड़े प्रतिस्पर्धी पत्तनों में पर प्रशुल्क के मौजूदा स्तर के साथ प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए। इस संबंध में सीओपीटी पुष्टि करे कि आईजीटीपीएल दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए दायर संशोधित प्रस्ताव लाइसेंस करार के खड 4.2 के अनुरूप हैं।	प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 5.8 के अनुसार, दरमानों में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर की हैं। इसी प्रकार रियायतें और छूटें निम्नतय स्तर की हैं। बीओटी प्रचालक, यदि चाहे तो, कम दरें प्रभारित कर सकता है और/अथवा उच्च रियायत और छूट दे सकता है। आईजीटीपीएल दरमान की दरों पर रियायतें मामला–दर-मामला आधार पर देता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान आईजीटीपीएल द्वारा प्रहस्तित कुल प्रमात्रा में 11.50% की वृद्धि हुई हैं। लेकिन, पोतांतरण प्रमात्रा आइजीटीपीएल द्वारा प्रहस्तित कुल प्रमात्रा का 5% ही है।
(vii).	प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 1.9 के अनुसार बीओटी प्रचालक संबंधित महापत्तन न्यास के साथ किये गए मौजूदा रियायत करार में दिये गए प्रावधानों से बंधा रहेगा। साथ ही साथ, बीओटी प्रचालक संबंधित महापत्तन न्यास के साथ इन दिशानिर्देशों से बंधे रहने की सहमति के लिए पृथक करार करेगा। आईजीटीपीएल एमओएस के 9 मार्च, 2019 के पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी (भाग IV) के द्वारा सीओपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों के भेजे गए निर्धारित प्रपत्र में सीओपीटी और आईजीटीपीएल के बीच विधिवत् हस्ताक्षरित भेजे।	आईजीटीपीएल को पृथक करार निष्पादन के लिए अभी प्रस्तुत करना है।

10.1. अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजते समय, जैसी पिछले पैराओं में चर्चा की गई है, आईजीटीपीएल ने 20 दिसंबर, 2019 और 16 जनवरी 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा संशोधित फार्म 1 (एआरआर) और संशोधित फार्म 4 (राजस्व आकलन) सहित संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। संशोधित प्रस्ताव के मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं:-

(i). **प्रस्ताव की विशिष्टियां:**

(क). आईजीटीपीएल ने विदेशी मुद्रा विनियम दर लाभ/हानि से संबंधित समायोजन अंतर्विष्ट किये हैं अर्थात् वर्ष के अंत में पुनर्कथन के कारण विनियम लाभ/हानि को अपवर्जित किया है और देयताओं के पुनर्भुगतान की वजह से वास्तविक विनियम दर लाभ/हानि को लेखबद्ध किया है।

(ख). आईजीटीपीएल ने निर्धारित मानकों के अनुसार रोकड़ संबंधी कार्यशील पूंजी के आंकड़ों को संशोधित किया है।

(ग). संशोधित एआरआर का परिकलन प्रशुल्क दिशानिर्देश के खंड 2.1 के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए 4.26% के सूचकांकन गुणक लागू करने के पश्चात् 331.23 करोड़ रु. किया है।

(घ). प्रतिशत के निबंधन से संशोधित दरमान में प्रस्तावित प्रशुल्क वृद्धि, मुख्य प्रशुल्क मदों के लिए निम्नानुसार है:-

विवरण	**विदेशगामी**		**तटीय**	
	लदे	**खाली**	**लदे**	**खाली**
सभी सामान्य और प्रशीतन कंटेनर प्रभार				
लैशिंग/अनलैशिंग, स्टोवेज योजना सहित गैंट्री क्रेन प्रभार	13%		13%	
क्यूसी से यार्ड और इसके विपरीत परिवहन	13%	20%	13%	20%
कंटेनर यार्ड से रेल यार्ड इसके विपरीत परिवहन	13%	20%	13%	20%
क्वे से प्राप्त करने समय लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ के लिए कंटेनर यार्ड में प्रहस्तन	13%	69%	13%	80%
ग्राहकों से और सुपुर्दगी/प्राप्ति के लिए ट्रक/रेल से प्रहस्तन	13%	69%	13%	80%
सभी पोतांतरण कंटेनर प्रभार	5%		5%	
सभी जोखिमपूर्ण और अति आयामी कंटेनर प्रभार	36%	-	36%	-
घाट शुल्क प्रभार	13%	20%	13%	20%
भंडारण प्रभार	5%		5%	
विविध प्रभार	5%		5%	

(ङ). आईजीटीपीएल ने संशोधित प्रस्तावित दर पर संशोधित राजस्व आकलन प्रस्तुत किया है। अमरीकी डॉलर मूल्य वर्ग के लिए विनिमय दर 70/- रु. है।

(च). संशोधित एआरआर का परिकलन:

क्र.सं.	विवरण	वाई1 (2016-17)	वाई2 (2017-18)	वाई3 (2018-19)
(1).	**कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार)**			
(i).	प्रचालन व्यय (मूल्यह्रास सहित)	18,986.30	19,685.00	21,663.21
(ii).	वित्त एवं विविध व्यय (एफएमई)	7,918.90	6,000.93	9,391.94
	कुल व्यय 1=(i)+(ii)	26,905.20	25,685.93	31,055.15
(2).	**उन मदों का समंजन जहां आईएनडीएएस (लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार) और आईजीएएपी के आंकडों में भिन्नता पाई जाती है।**			
(i).	मूल्यह्रास	(3.67)	(3.67)	(3.67)
(ii).	स्वामी पत्तन को दिया गया पट्टा शुल्क	8.72	7.99	8.42
	समायोजनों का योग 2=(i)+(ii)	5.04	4.32	4.74
(3).	**घटाएं समायोजन:**			
(i).	पत्तन को प्रदत्त वास्तविक रॉयल्टी/राजस्व हिस्सा	7,481.70	8,310.30	9,505.70
(ii).	ऋणों पर ब्याज	5,927.10	5,345.80	7,076.34
(iii).	अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			11.92
(iv).	कम खपत वाली माल सूची के लिए प्रावधान	11.20	2.65	-
(v).	वित्तीय परिसंपत्तियों / देयताओं के रुपांतरण पर विनिमय हानि	3.60		
(vi).	विदेशी मुद्रा लाभ /हानि वित्तीय विवरणों के नोट 23 के तहत बुक		185.87	1,803.10
	जोड़ें: समायोजन			
(vii).	देनदारियों के चुकौती पर वास्तविक विनिमय हानि	183.31	160.79	2,817.74
	3 का योग = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)-3(vii)]	13,240.30	13,683.82	15,579.32
(4).	**जोडे: ग्राह्य रॉयल्टी/राजस्व हिस्सा, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2 के अनुसार**			
(5).	**सारे समायोजनों के पश्चात् कुल व्यय**	13,669.95	12,006.42	15,480.57
(6).	क्रमांक 5 का औसत व्यय = [वाई1+वाई2+वाई3]/3	13,718.98		
(7).	**नियोजित पूंजी**			
	(i). सकल स्थायी आस्तियां (संपत्ति, प्लांट और उपस्कर) वाई3 के 31 मार्च और वाई3 के 31 दिसंबर को जो बीओटी प्रचालक द्वारा अपनाया गया हो।(आईजीएएपी के अनुसार)	1,11,269.04		
	(ii). जोडे: प्रगति अधीन कार्य के वाई3 के 31 मार्च और वाई3 के 31 दिसंबर को बीओटी प्रचालक द्वारा अपनाया गया हो।(लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार)	-		
	(iii). जोड़े: कार्यशील पूंजी प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार			
	(क) माल सूची	246.65		
	(ख) विविध देनदार	-		
	(ग) रोकड़	838.96		
	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़	1,085.61		
	(iv) कुल नियोजित पूंजी [(i) +(ii) + (iii)]	1,12,354.65		
(8).	**नियोजित पूंजी पर 16% प्रतिलाभ क्रमांक. 7(iv)**	17,976.74		
(9).	**वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) वाई3 के 31 मार्च 2019 मार्च और वाई3 के 31 दिसंबर को**	31,695.72		

	[(6)+(8)]	
(10).	**वर्ष वाई4 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100% पर सूचकांकन उदाहरण यदि वाई4 2018-19 के लिए है तब लागू डब्ल्यूपीआई 3.45% है और वर्ष वाई4 के लिए सूचकांकित एआरआर होगा (9) x 1.0345**	**4.26%**
(11).	**जैसा कि ऊपर दिया गया क्र.सं.10 सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)**	**33,045.96**
(12).	**अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा के भीतर प्रस्तावित सूचकांकित दरमान, ऊपर क्रमांक 11 पर आकलित, पर राजस्व आकलन**	**32,466.74**

(छ). आईजीटीपीएल ने व्यवसायरत सनदी लेखाकार से विधिवत् प्रभारित सभी संबंधित फार्म प्रस्तुत किये हैं।

(ज). आईजीटीपीएल ने 22 जनवरी, 2020 के अपने पत्र के साथ विवरण भी प्रस्तुत किये हैं और विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि को वास्तविक भुगतान के अनुसार, व्यवसायरत सनदी लेखाकार से विधिवत् प्रमाणित करवाकर, प्रभाव को भी प्रस्तुत किया है।

10.2. प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 1.9 के अनुसार बीओटी प्रचालक संबंधित महापत्तन न्यास के साथ किये गए मौजूदा रियायत करार में दिये गए प्रावधानों से बंधा रहेगा। साथ ही साथ, बीओटी प्रचालक संबंधित महापत्तन न्यास के साथ इन दिशानिर्देशों से बंधे रहने की सहमति के लिए पृथक करार करेगा। आईजीटीपीएल एमओएस के 8 मार्च, 2019 के पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी (भाग IV) के द्वारा सीओपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों के भेजे गए निर्धारित प्रपत्र में सीओपीटी और आईजीटीपीएल के बीच विधिवत् हस्ताक्षरित भेजे।

11. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

12. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर निम्नलिखित सूचना उभर कर सामने आती है:

(i). इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईजीटीपीएल) के दरमान पिछली बार इस प्राधिकरण द्वारा 17 सितंबर, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/81/2015-आईजीटीपीएल, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अनुपालन में, किये गए थे, जो लागत जमा कीमत मॉडल को अनुबद्ध करते थे। दरमान की वैधता 31 मार्च, 2019 निर्धारित की गई थी।

बाद में, इस प्राधिकरण ने 03 मई, 2019 को आदेश संख्या टीएएमपी/81/2015-आईजीटीपीएल के द्वारा मौजूदा दरमानों की वैधता को, आईजीटीपीएल के अनुरोध पर 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा दिया जिसे 01 जून 2019 के राजपत्र संख्या 191 में अधिसूचित किया गया था।

(ii). पोत परिवहन मंत्रालय(एमओएस) ने, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एमओएस द्वारा उन बीओटी प्रचलकों के लिये प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 जारी किये जो पहले प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 द्वारा शसित थे। प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 जारी किये जाने के परिणामस्वरूप, आईजीटीपीएल के प्रशुल्क निर्धारण का कार्य प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 और प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों में अंतर्विष्ट अनुबद्धताओं द्वारा शासित होगा।

प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 और प्रशुल्क दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत आईजीटीपीएल द्वारा अपने दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए 28 अगस्त, 2019 को प्रस्ताव दायर किया था। अगस्त, 2019 के अपने मूल प्रस्ताव में, आईजीटीपीएल ने तटीय कंटेनरों की कुछ श्रेणियों के लिए प्रशुल्क में अत्यधिक वृद्धि का प्रस्ताव किया है अर्थात् लदे और खाली तटीय पोतांतरण कंटेनर क्रमश: 33% और 26% जबकि इसके प्रतिरूप विदेशगामी कंटेनरों के लिए घटौती का, और सामान्य लदे तथा खाली तटीय कंटेनरों में 14% व 35% की वृद्धि जबकि इसके प्रतिरूप विदेशगामी श्रेणी के लिए यथास्थिति बनाये रखने का प्रस्ताव किया है। इसका प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने घोर विरोध किया जैसे इंडियन शिप आनर्स एसोसिएशन (इनसा), कोचीन स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन आदि। तटीय श्रेणी के लिए दरों के प्रस्ताव में अत्यधिक वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि आईजीटीपीएल ने इनका प्रचलित विनिमय दर के साथ पुनर्लेखन करने और तब उसके 60% पर पैगिंग करके निकाला है, जो सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुरूप नहीं है। प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों द्वारा किये गए पुनजोर विरोध को देखते हुए और हमारे द्वारा आईजीटीपीएल को बतायी गई सरकार की तटीय रियायत नीति को ध्यान में रखकर आईजीटीपीएल ने विदेशगामी कंटेनर और तटीय कंटेनर के बीच प्रस्तावित दरों में अत्यधिक अंतर को करते हुए संशोधित प्रस्ताव दायर किया। आईजीटीपीएल द्वारा संशोधित प्रस्ताव में प्रस्तावित प्रशुल्क वृद्धि को पूर्व के पैराओं में सारणीबद्ध किया गया है इसलिए उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। आईजीटीपीएल द्वारा 20 दिसंबर, 2019 के पत्र के द्वारा और 16 जनवरी, 2020 तथा 22 जनवरी 2020 के ई-मेल के द्वारा दायर अंतिम संशोधित प्रस्ताव के साथ संशोधित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर), संशोधित प्रारूप दरमान ओर इस मामले में विवेचना के दौरान आईजीटीपीएल द्वारा किये गए निवेदनों के साथ आशोधित राजस्व आकलन पर इस विश्लेषण में सुविचार के लिए लिया जाता है। आईजीटीपीएल ने व्यवसायरत सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित संशोधित लागत विवरण और आशोधित राजस्व आकलन भी प्रस्तुत किया है।

(iii). (क). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का खंड 2.1 प्रत्येक बीओटी प्रचालक से वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) के निर्धारण की अपेक्षा करता है जो प्रस्ताव के प्रस्तुत करते समय तत्काल पहले के तीन वर्षों (वाई1), (वाई2) और (वाई3) के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार औसत व्ययों के योग की औसत है तथा यह प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के और इस प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में निर्धारित कुछेक अपवर्जनों के अधीन होगा जमा वाइ3 के 31 मार्च को ली गई नियोजित पूंजी के 16% पर प्रतिफल लिया जायेगा जो एक व्यवसायरत चार्टरित लेखाकार/लागत लेखकार द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।

(ख). आईजीटीपीएल ने तीन वर्षों अर्थात 2016-17 (वाई 1), 2017-18 (वाई 2), और 2018-19 (वाई 3), की कार्यरत सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का आकलन किया है। एआरआर का निर्धारण करते समय आईजीटीपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में निर्धारित उन व्ययों का अपवर्जन किया है जो एआरआर परिकलन में ग्राह्य नहीं हैं। आईजीटीपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 और कार्यकारी दिशानिर्देश के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में निर्धारित उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित समायोजन किये हैं जिन का विशेष उल्लेख किया जा रहा है:

(i). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 का खंड 2.2 अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबद्ध करता है कि बीओटी प्रचालक द्वारा स्वामी पत्तन को देय रॉयल्टी/राजस्व का प्रशुल्क परिकलन के लिए यथाग्राह्य लागत के रूप में अनुमेय नहीं होगा जिनकी बोली प्रक्रिया 29 जुलाई, 2003 से पहले पूरी हो गयी है, एआरआर परिकलन में प्रशुल्क परिकलन में अगले उच्चतम बोली लगाने वाले तक हिसाब में ली जायेगी। प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 का खंड 2.3.1(ii) के अनुसार रॉयल्टी/राजस्व हिस्सा भुगतान की हद तक प्रशुल्क निर्धारण के लिए ग्राह्य नहीं है उसे खंड 2.2 के अनुपालन में अपवर्जन करना होगा।

आईजीटीपीएल के मामले में, बोली 29 जुलाई, 2003 के बाद में हुई है, आईजीटीपीएल लाइसेंस करार की संबंधित शर्त और सरकार द्वारा जारी प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.3.1 (ii) के अधिकार प्रशुल्क परिकलन में राजस्व को पास-थ्रू का पात्र नहीं है। राजस्व हिस्से को पिछले प्रशुल्क आदेश में लागत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। आईजीटीपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के प्रत्येक वर्ष के कुल व्यय के 7481.70 लाख रु., 8310.30 लाख रु. और 9505.71 लाख रु. तक के राजस्व हिस्से का एआरआर परिकलन में से ठीक ही अपवर्जित किया है।

(ii). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.3.1(ii) के अनुसार, ऋण पर ब्याज, अप्राप्य और संदिग्ध उधारों के लिए प्रावधान, कम खपत वाली माल सूची आदि को अपवर्जित किया जाना है। तदनुसार, आईजीटीपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के वर्षों में, क्रमश: 5927.10 लाख रु. 5345.80 लाख रु. और 7076.34 लाख रु. ऋणों पर ब्याज के; वर्ष 2018-19 में 11.92 लाख रु. अप्राप्य और संदिग्ध उधारों के लिए प्रावधान तथा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए क्रमश: 11.20 लाख रु., 2.65 लाख रु. और शून्य कम खपत वाली मालसूची के अपवर्जित किये हैं। वर्ष 2016-17 के आईजीटीपीएल का लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा वित्तीय आस्तियों पर 3.60 लाख रु. तक की हानि दर्शाता है। आईजीटीपीएल ने इसे भी एआरआर परिकलन में से अपवर्जित किया है क्योंकि यह भी प्रावधान की प्राकृति के हैं।

(iii). आईजीटीपीएल के वार्षिक लेखे टिप्पणी 23 - अन्य व्यय के अंतर्गत 185.90 लाख रु. और 1803.10 लाख रु. वित्तीय आस्तियों और देयताओं की वसूली और परिवर्तन पर विनिमय हानि के रूप में दर्शाया गया है। वास्तविक भुगतान विदेशी मुद्रा विनियम दर पर होने वाले लाभ अथवा हानि को प्रशुल्क निर्धारण के दौरान लागत के रूप में लिया गया। ऋण/आस्ति/व्यय के पुनर्बहाल के हवाले से होने वाले विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ या हानि को प्रशुल्क निर्धारण के समय सुविचार में नहीं लिया जाता। इसी प्रक्रिया को तत्कालीन प्रशुल्क दिशानिर्देश 2015 के अंतर्गत शासित सभी बीओटी प्रचालकों द्वारा समान रूप से अनुपालन किया जाता है। इस संबध में आईजीटीपीएल ने स्पष्ट किया है कि आईजीटीपीएल ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में एडीसीबी से (50,000,000 अमरीकी डालर) और स्टैंडर्ड चार्टड से (15,000,000 अमरीकी डालर) ईसीबी ऋण लिया है जो कुल मिला कर 65,000,000 अमरीकी डालर बनते है। इन ऋणों को डीपी वर्ल्ड लिमिटेड दुबई से निगमित गारंटी अधीन हैं। उक्त निगमित गारंटी के प्रति एडीसीबी के बकाया ऋण पर डीपी वर्ल्ड लि. को @1.5% प्रति वर्ष की दर से मासिक आधार पर कमीशन दिया जाता है। जैसा वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 12 में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ईसीबी ऋणों को चालू विनियम दर पर पुनर्लेखन किया जाता है तथा अप्राप्य लाभ/हानि को, तत्कालीन आईजीएएपी के अंतर्गत लेखांकन मानक 11 के अनुपालन में, लाभ-हानि खाते को डेबिट किया जाता है।

आईजीटीपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के दौरान ऋणों के पुनर्भुगतान, प्रबंधन शुल्क तथा गारंटी कमीशन के भुगतान के कारण होने वाले वास्तविक विदेशी मुद्रा के लाभ/हानि का विस्तार से परिकलन भी प्रस्तुत किया है। जो व्यवसायरत सनदी लेखाकार से विधिवत् प्रमाणित है। जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक और फिर वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दो वर्षों के पुनर्भुगतानों के संबंध में विदेशी मुद्रा के वास्तविक लाभ/हानि, आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत गणना के आधार पर, की सार स्थिति इस प्रकार है:-

(लाख रु. में)

क्र.सं.	मद	वि.व. 2015-16 (जनवरी- मार्च)	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19
(i).	डीपी वर्ल्ड लिमिटेड को गारंटी कमीशन के भुगतान पर	(8.41)	(31.40)	5.52	(29.32)
(ii).	डीपी वर्ल्ड को प्रबंधन शुल्क के भुगतान पर	0.00	(26.82)	36.93	(2,362.45)
(iii)	**विदेशी देयताओं के पुनर्भुगतान पर कुल विनिमय दर हानि (i) +(ii)**	**(8.41)**	**(58.22)**	**42.45**	**(2,391.77)**
(iv).	ईसीबी ऋण के पुनर्भुगतान पर	-	(116.68)	(203.24)	(425.97)
(v)	**कुल विनिमय दर लाभ /(हानि) (iii +iv)**	**(8.41)**	**(174.90)**	**(160.79)**	**(2,817.74)**
	आईजीटीपीएल द्वारा एआरआर परिकलन में सुविचारित वास्विक भुगतान पर विदेशी मुद्रा हानि		**(183.31) 2015-16 जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक) का [174.90+8.41**	**(160.79)**	**(2,817.74)**

आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत व्यवसायरत सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित वास्तविक भुगतान से होने वाले विदेशी मुद्रा हानि के विस्तृत परिकलन पर भरोसा करते हुए, उसे वर्ष 2016-17 में हल्के से सुधार के साथ सुविचार में लिया जाता है। आईजीटीपीएल ने वर्ष 2015-16 के यानी जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक की हानि के 8.41 लाख रु. की विदेशी मुद्रा हानि को भी जोड़ा है। प्रशुल्क संशोधन के लिए आईजीटीपीएल द्वारा दायर प्रस्ताव वाई1, वाई2 और वाई3 को 2016-17, 2017-18 और 2018-19 को एआरआर परिकलन के लिए लेखबद्ध करता है। अत: वर्ष 2015-16 (जनवरी से मार्च 2016) में वास्तविक भुगतान पर विदेशी मुद्रा हानि के 8.41 लाख रु. को वर्ष 2016-17 के लिए सुविचार में नहीं लिया जा सकता, इसलिए अपवर्जित किया जाता है। लेकिन, इसे वर्ष 2015-16 के आकलनों की समीक्षा के दौरान, वास्तविकों के साथ तुलना के समय, लेखबद्ध किया जा सकता है, जैसी आगामी पैराओं में चर्चा की गई है। उक्त आशोधन के अधीन, एआरआर परिकलन में सुविचारित, वास्तविक भुगतान से होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए क्रमश: 174.90 लाख रु., 160.79 लाख रु. और 2817.74 लाख रु. होती

(iv). वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखे शीर्ष अन्य व्यय के अंतर्गत 1504.3 लाख रु. के विविध व्यय दर्शा रहे हैं। टिप्पणी संख्या 24 **(ii)** बताती है कि यह लाइसेंस करार के दायित्व को निर्वहन करने में लाइसेंस प्रदाता को आरोप्य व्यापार में हानि के लिए आईजीटीपीएल द्वारा सीओपीटी पर किये गए दावे के हैं जिन्हें मई 2017 में आईजीटीपीएल के पक्ष पंचार अवार्ड के आधार पर वर्ष 2016-17 में लेखबद्ध किया गया। कृपया इस मद को अपवर्जित करें। यह स्पष्ट करें कि यह प्राकृति में प्रचालन व्यय कैसे है। आईजीटीपीएल द्वारा सीओपीटी पर किया गया दावा प्राप्त होने पर आईजीटीपीएल की आय होगी। इसे व्यय कैसे समझा गया**?** आखिरकार यह प्राप्तव्य ही हो सकता है। आईजीटीपीएल और लाइसेंस प्रदात्ता पत्तन दोनों को ही इस मद को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में आईजीटीपीएल ने स्पष्ट किया कि आईजीटीपीएल ने हानि के लिए सीओपीटी के विरूद्ध विधिक कार्रवाई आरंभ की थी, उन दावों में एक दावा फरवरी 2011 से दिसंबर 2015 तक सीआईएसएफ कार्मियों की तैनाती की लागत का दावा भी शामिल था। सीओपीटी द्वारा किया गया कुल दावा 18.20 करोड़ रु. था जबकि आईजीटीपीएल ने इसे अपनी बहियों में 15.03 करोड़ रु. प्रबुद्ध मामले के रूप में, ही दर्शाये थे। इसके अतिरिक्त, 12 मई, 2017 के पंचाट अवार्ड के अनुसार, यह निर्णय दिया गया कि सीआईएसएफ की तैनाती की लागत आईजीटीपीएल द्वारा वहन की जायेगी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आईजीटीपीएल द्वारा 15.03 करोड़ रु. का प्रावधान, प्रबुद्ध मामले के रूप में, और स्वतंत्र विधिक राय के आधार पर किया गया था।

लेकिन इस संबंध में, सीओपीटी ने बताया कि भारत के महान्यायवादी की विशिष्ट राय के आधार पर, सीओपीटी ने माननीय जिला न्यायालय, एर्नाकुलम में 16.08.2017 को पंचाट ट्रिब्यूनल के 12.05.2017 आदेश के विरूद्ध याचिका दायर की। चूंकि दोनों में से किसी के भी पक्ष में राशि का निर्णय नहीं दिया गया अत: आईजीटीपीएल का 2016-17 में लाभ की हानि सही नहीं है।

पत्तन द्वारा बतायी गई स्थिति को देखते हुए, और इस बात को मान्य करते हुए कि आईजीटीपीएल ने इस मद को लाभ की हानि के प्रावधान के रूप में, लेखबद्ध किया है, इस मद को वर्तमान प्रशुलक संशोधन विवेचना में एआरआर परिकलन में व्यय की मद के रूप में सुविचार में नहीं लिया जा सकता। यह प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.3.1 (ii) में आता है जो यह अनुबद्ध करता है कि अप्राप्य और संदिग्ध उधारों के प्रावधान को एआरआर परिकलन में नहीं लिया जा सकता। अत:, एआरआर परिकलन को वर्ष 2016-17 के कुल व्यय में से 1504.30 लाख रु. को अपवर्जित करके उस हद तक आशोधित किया जाता है।

(v). खंड 2.3.2 अनुबद्ध करता है कि आंकडों को शामिल करते हुए आवश्यक समायोजन किया जाना होगा। आईजीटीपीएल के लेखपरीक्षित लेखे इंड एएस के अनुसार हैं। आईजीटीपीएल ने मूल्यह्रास तथा ऋण शोधन और सीओपीटी को भुगतान किया गया पट्टा किराश में आवश्यक समंजन किये हैं ताकि इन मदों को आईजीएएपी के अनुसार लेखबद्ध किया जा सके और दिशानिर्देशों की स्थिति का अनुपालन हो सके। आईजीटीपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्यह्रास में 3.67 लाख रु. की घटौती का समायोजन दर्शाया है। इसके अतिरिक्त, आईजीटीपीएल ने इंडएएस से आईजीएएपी में जाने के लिए पट्टा किराये में वर्ष 2016-17 से 2018-19 में क्रमश: 8.72 लाख रु., 7.99 लाख रु. और 8.42 लाख रु. जोडते हुए आवश्यक समंजन किया है। सीओपीटी ने बताया है कि आईजीटीपीएल द्वारा भुगतान किया गया वास्तविक पट्टा किराया वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक क्रमश: 11.19 लाख रु. (2015-16 के बकाये सहित) 8.01 लाख रु. तथा 8.29 लाख रु. है। सीओपीटी और आईजीटीपीएल के आंकड़ों में हल्का सा अंतर है। विश्लेषण के प्रयोजन से, वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के पट्टा किराये के आईजीटीपीएल द्वारा दिये गए आंकडों पर सुविचार किया जाता है जो व्यवसायरत सनदी लेखाकार से प्रमाणित हैं। आईजीटीपीएल ने फार्म 6क में वांछित गणना प्रस्तुत की है यह भी व्यवसायरत सनदी लेखाकार से विधिवत् प्रमाणित है।

(ग). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 और कार्यकारी दिशानिर्देश के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में निर्धारित उपबंधों का अनुपालन करते हुए और समंजनों के आधार पर, जैसी ऊपर चर्चा की गई है, आईजीटीपीएल वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए 13,718.98 लाख रु. पर पहुंचा है। उक्त आशोधनों को ध्यान में रखते हुए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 4 में निर्धारित अनुबद्धताओं के अनुसार आशोधित औसत व्यय 13,214.74 लाख रु. निकलता है।

(iv). (क). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.5 के अनुसार नियोजित पूंजी में एकल अचल परिसंपत्तियां (संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर); (भारतीय सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों, (आईजीएएपी) के अनुसार निर्धारित), जमा वर्ष 3 के 31 मार्च/31 दिसंबर के अनुसार प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं में आईएनडी एएस के अधीन प्रतिवेदित आंकडों को कार्यशील पूंजी से पुन:उल्लिखित किया जाएगा तथा निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यशील पूंजी शामिल हैं। वर्ष 2018-19 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे इंडएएस के अंतर्गत 1,755.19 करोड रु. की सकल स्थायी मूर्त आस्तियां दर्शा रहे हैं। आईजीटीपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.5 में निर्धारित उपबंधों के अनुरूप आईजीएएपी के अनुसार 1,112.69 करोड़ रु. की सकल स्थायी आस्तियों पर सुविचार किया है। आईजीटीपीएल ने यह भी पुष्टि की है कि सकल स्थायी आस्तियों में भू-प्रयोग अधिकार से संबंधित अमूर्त आस्तियां शामिल नहीं हैं क्योंकि आईजीएएपी के अनुसार एआरआर परिकलन में पट्टा किराये को लेखबद्ध करने के लिए उपयुक्त समंजन किये गए हैं। आईजीटीपीएल ने आईजीएएपी के अलुसार सकल स्थायी आस्तियों देते हुए, व्यवसायरत सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित फार्म 7 प्रस्तुत किया है। आईजीटीपीएल ने इस संबंध में समाधान विवरण भी प्रस्तुत किया है। आईजीटीपीएल द्वारा आईजीएएपी के अनुसार 2018-19 को सुविचारित सकल स्थायी आस्तियां व्यवसायरत सनदी लेखाकार से विधिवत् प्रमाणित हैं इसलिए भरोसा किया जाता है और सुविचार में लिया गया है।

आईजीटीपीएल ने वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार पूंजीगत प्रगति अधीन कार्य को सुविचार में नहीं लिया है।

(ख). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.6 के अनुसार कार्यशील पूंजी में मालसूची, विविध देनदार और रोकड शेष शामिल होते हैं। आईजीटीपीएल वर्ष 2018-19 के दौरान माल सूची खपत का ब्यौरा दिया है और निर्धारित मानक के अनुसार कार्यशील पूंजी के परिकलन में 6 महीने पर विचार किया है। रोकड़ शेष को प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित मानक के अनुसार परिकलित किया गया प्रतीत होता है। प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.6 और कार्यकारी दिशानिर्देशों में दिये गए उपबंधों का अनुपालन करते हुए, आईजीटीपीएल 1085.61 लाख रु. की कार्यशील पूंजी पर पहुंचा है। इस पर सुविचार किया जाता है।

(ग). आईजीटीपीएल द्वारा परिकलित कुल पूंजी 1123.55 करोड़ रु. है [अर्थात् सकल स्थायी आस्तियां 1,112.69 करोड़ रु. + 10.86 करोड़ रु.] है। नियोजित पूंजी पर 16% की दर से प्रतिफल (आरओसीई) 179.77 करोड़ रु. है। इसे हिसाब में लिया जाता है।

(v). एआरआर में 2016-17 से 2018-19 के तीन वित्तीय वर्षों का व्यय का औसत जमा 16% आरओसीई शामिल है। आईजीटीपीएल द्वारा निकाला गया एआरआर 316.96 करोड़ रु. (137.19 करोड़ रु. + 179.77 करोड़ रु.)। हमारे द्वारा निकाला गया आशोधित एआरआर 311.92 करोड़ रु. (132.15 करोड़ रु. + 179.77 करोड़ रु.)। इसके अतिरिक्त, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.8 के अनुसार, कथित एआरआर को वर्ष 2019-20 के लिए डब्ल्यूपीआई के @ 100% पर सूचकांकित किया जाना है जो 4.26% है। आईजीटीपीएल द्वारा सूचकांकित अधिकतम निर्धारित एआरआर 4.26% सूचकांकन लागू करने पर, 330.46 करोड़ रु. है। हमारे द्वारा परिकलित आशोधित एआरआर के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए आशोधित सूचकांकित अधिकतम एआरआर 324.20 करोड़ रु. बनता है। (311.92 करोड़ रु. x 1.0426)। इसमें पूर्वावधि समायोजन शामिल नहीं है। पूर्वावधि से संबंधित विश्लेषण पर आगामी पैराओं में चर्चा की गई है।

आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत एआरआर परिकलन की अंतिम विस्तृत गणना जो व्यवसायरत सनदी लेखाकार से विधिवत् प्रमाणित है, पर भरोसा किया जाता है। यह मामूली से आशोधन के अधीन है, जैसा ऊपर बताया गया है। आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत विस्तृत एआरआर परिकलन और आशोधित एआरआर परिकलन, जैसी ऊपर चर्चा की गई है, क्रमश: **अनुलग्नक –1(क) और (ख)** पर संलग्न है।

(vi). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का खंड 3.1.2 अनुबद्ध करता है कि उन बीओटी प्रचालकों के मामले में जो इस प्राधिकरण के पिछले आदेश के विरूद्ध न्यायालय नहीं गए, पूर्वावधि अतिरेक/घाटा को प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अंतर्गत पहले प्रशुल्क आदेश निर्धारित के दौरान प्रशुल्क निर्धारण की अवधि तक प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के खंड 2.13 के अनुसार किया जायेगा।

आईजीटीपीएल ने 2016-17 से 2018-19 की पूर्वावधि के लिए पिछले प्रशुल्क आदेश में सुविचारित आकलनों और प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के खंड 2.13 के साथ पठित प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.2 के अनुरूप वास्तविकों की समीक्षा करते हुए लागत विवरण प्रस्तुत किया है। पिछली अवधि के वासुतविकों के साथ आईजीटीपीएल द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए प्रस्तुत आकलनों की पूर्वावधि समीक्षा आशोधित/सुधार किया जाता है जिसके कारण आगामी पैराओं में किये गए विश्लेषण में स्पष्ट किये गए है।

(vii). विश्लेषण इस प्रकार है:

(क). वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान आईजीटीपीएल द्वारा प्रहस्तित वास्तविक यातायात क्रमश: 4.91, 5.56 और 5.95 लाख टीईयू है कुल मिलाकर 16.42 लाख टीईयू बनता है जबकि सितंबर 2016 के प्रशुल्क आदेश में आकलित सदृश अवधि के लिए यह क्रमश: 4.71, 5.54 और 6.23 लाख टीईयू के साथ कुल 16.48 लाख टीईयू था।

सीओपीटी द्वारा सूचित आईजीटीपीएल का कुल वास्तविक यातायात वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए 16.42 लाख टीईयू है जो आईजीटीपीएल द्वारा सूचित 16.48 लाख टीईयू के वास्तविक कुल यातायात से थोड़ा सा विचलित है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से, आईजीटीपीएल द्वारा सूचित वास्तविक यातायात पर विचार किया जाता है।

वास्तविक निष्पादन में 0.41% का नकारात्मक परिवर्तन है जिसे +/-20% से कम पाया जाता है।

(ख). वर्ष 2016-17 के लिए पिछले प्रशुल्क आदेश में सुविचारित आय का आकलन 5 महीने के लिए समंजित किया गया था यानी नवंबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 की अवधि के लिए और वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यथानुपात आधार पर जिससे सितंबर, 2016 के प्रशुल्क आदेश में मंजूर की गई प्रशुल्क वृद्धि के प्रभाव के लेखबद्ध किया जा सके और आदेश के कार्यान्वियन की तारीख से वास्तविक आय के साथ तुल्य तलना हो सके।

पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने 12 जून, 2015 के पत्र के द्वारा भारत के महान्यायवादी की राय संसूचित की है कि प्रचालक द्वारा अर्जित वास्तविक आय की गणना उनके लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर सुविचार में ली जानी चाहिए न कि काल्पनिक आय के आधार पर। इसलिए, पूर्वावधि के विश्लेषण के प्रयोजन से, वार्षिक लेखाओं में दी गई वास्तविक को सुविचार में लिया जाता है।

(ग). आईजीटीपीएल ने उनके द्वारा तैयार किये गए लागत विवरण में पूर्वावधि के लिए मूल्यह्रास के आंकड़े पर सुविचार आईजीएएपी के अनुसार लिया गया है। उसे इस आधार पर सुविचार में लिया गया है कि पिछले संशोधन के दौरान तैयार किया गया लागत विवरण उन आकलनों के आधार पर किया गया था जो आईजीएएपी पर आधारित था। वर्ष 2016-17 से आईजीटीपीएल ने लेखांकन की इंडएएस विधि को अपनाया। परंतु, सदृश तुलना के लिए, जैसा आईजीटीपीएल ने किया है, आईजीएएपी के अंतर्गत मूल्यह्रास के आंकडे व्यवसायरत सनदी लेखाकार से विधिवत् प्रमाणित हैं, आईजीटीपीएल द्वारा किये गए अनुसार सुविचारित हैं।

(घ). यह देखा जाता है कि आईजीटीपीएल ने इंड एएस से आईजीएएपी में पट्टा किराये का आवश्यक समंजन वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए क्रमश: 8.72 लाख रु., 7.99 लाख रु. और 8.42 लाख रु. जोड़ कर किया है। चूंकि पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान वर्ष 2016-17 से 2018-19 के आकलन आईजीटीपीएल द्वारा तब अपनायी जा रही लेखांकन विधि आईजीएएपी पर आधारित थे, उसी अवधि के लिए वास्तविक और आकलनों की तुलना करते समय पट्टा किराया, आईजीटीपीएल द्वारा यथाप्रस्तुत, सुविचार में लिया जाता है। जैसा पहले बताया गया है, विश्लेषण के प्रयोजन से वर्ष 2016-17 से 2018-19 के पट्टा किराये, आईजीटीपीएल द्वारा यथा प्रस्तुत, व्यवसायरत सनदी लेखाकार से प्रमाणित है, सुविचार में लिया जाता है।

(**ङ**). यह पाया गया है कि आईजीटीपीएल ने अप्राव्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान, कम खपत की मालसूची का प्रावधान और वित्तीय आस्तियों पर क्षति हानि के लिए प्रावधान को वर्ष 2016-17 से 2018-19 के पूर्वावधि लागत विवरण में आवश्यक समंजन नहीं किया है यद्यपि उन्होंने एआरआर परिकलन में इन मदों को अपवर्जित करने के लिए आवश्यक समायोजन किये हैं। अत: हमारे द्वारा तैयार किये गए पूर्वावधि लागत विवरण में से उक्त मदों को वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के वर्षों से अपवर्जित कर दिया है। पूर्व के पैराओं में स्पष्ट किये गए कारणों से वर्ष 2016-17 में सीआईएसएफ की तैनाती के लिए 15.04 करोड़ रु. के उपबंध को भी वर्जित किया जाता है।

(च). आईजीटीपीएल ने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं में विदेशी मुद्रा लाभ/हानि के निवल प्रभाव को वर्जित कर दिया है और वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान वास्तविक भुगतान से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को अलग से लेखबद्ध किया है। इस संबंध में आईजीटीपीएल द्वारा किये गए समायोजनों पर सुविचार किया जाता है। जैसा पहले बताया गया है कि आईजीटीपीएल ने वर्ष 2015-16 में (जनवरी 2015 से मार्च 2016 तक) 8.41 लाख रु. की विदेशी मुद्रा हानि को लेखबद्ध किया है, जिसे कथित तीन महीनों के वास्तविकों की समीक्षा करते समय सुविचार में लिया जाता है, जिस पर आगामी पैराओं में चर्चा की जाती है।

(छ). आईजीटीपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के प्रत्येक वर्ष के लिए सीओपीटी को भुगतान किये गए राजस्व हिस्से को, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 और प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अनुरूप वर्जित कर दिया है।

(ज). आईजीटीपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के प्रत्येक वर्ष के लिए, इस प्राधिकरण द्वारा अपनायी जा रही सामान्य पद्धति के अनुरूप ऋणों पर ब्याज को भी वर्जित कर दिया है।

(झ). अन्य सभी लागत मदों को वार्षिक लेखाओं के अनुसार सुविचार में लिया जाता है। व्यय की ओर, इन वर्षों के लिए वास्तविक समग्र व्यय 12,937.28 लाख रु. है जबकि पिछले आदेश में यह 12,667.74 लाख रु. था। इस प्रकार, कुल वास्तविक व्यय पिछले आदेश में आकलित व्यय की तुलना में 2.13% का नकारात्मक परिवर्तन दर्शाता है।

(ञ). पिछले प्रशुल्क आदेश के दौरान सुविचारित नियोजित पूंजी तत्समय लागू प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अंतर्गत यथानिर्धारित मानकों के अनुसार, निवल स्थायी आस्तियां + कार्यशील पूजी है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं में निवल स्थायी आस्तियां इंडएएस पर आधारित है। आईजीटीपीएल ने आरओसीई परिकलन के प्रयोजन से वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए नियोजित पूंजी क्रमश: 67,358.25 लाख रु., 62,425.74 लाख रु. और 57,380.66 लाख रु. सुविचार में ली है। आईजीटीपीएल द्वारा सुविचारित नियोजित पूंजी का समर्थन गणना के द्वारा दिया है। लेकिन, आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत, व्यवसायरत सनदी लेखाकार से विधिवत् प्रमाणित, निवल स्थायी आस्तियां आइ्‍जीएएपी के अंतर्गत, वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक क्रमश: 66,353.38 लाख रु., 61,009.14 लाख रु. और 55,692.67 लाख रु. हैं। को सुविचार में लिया जाता है जिससे पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान सुविचारित निवल स्थायी आस्तियों के आकलन की सदृश तुलना हो सके जो आईजीटीपीएल द्वारा तब अनुपालन किये जा रहे लेखांकन के आईजीएएपी विधि पर ही आधारित हैं।

कार्यशील पूंजी पर सुविचार मानकों के अनुसार हैं। खपत हुए भंडार और स्पेयर्स को प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार लेखबद्ध किया गया है। रोकड़ शेष को दिशानिर्देशों की स्थिति के अनुरूप एक महीने के रोकड़ व्यय के अनुसार विचार में लिया गया है। चालू देयताएं संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं दर्शाये गए अनुसार सुविचारित हैं। उक्त समायोजनों के अधीन कार्यशील पूंजी नकारात्मक है अत: शून्य समझी जाती है।

इस प्रकार, आशोधित नियोजित पूंजी वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के वर्षों के लिए क्रमश: 66,353.38 लाख रु., 61,009.14 लाख रु. और 55,692.67 लाख रु. मात्र आस्तियों के निवल ब्लाक युक्त हैं।

(ट). 2016-17 से 2018-19 के आकलन और समान अवधि के वास्तविकों की समीक्षा के लागत विवरण की प्रति **अलुनग्नक-**II के रूप में संलग्न है।

(ठ). पिछले प्रशुल्क आदेश में सुविचारित वास्तविकों की आकलनों के साथ तुलना का सार नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:-

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17 से 2018-19 वर्षों का पूर्णयोग स्पष्ट शब्दों में		परिवर्तन % में
	प्रति प्रशुल्क आदेश के अनुसार आकलन	वास्तविक	
यातायात (टीईयू में)	16.48	16.41	(0.41%)
कुल प्रचालन आय	841.48*	758.15	(9.90%)
कुल व्यय, एफएमई घटा एफएमआई, मूल्यह्रास और उपरिव्यय सहित	365.66	394.98	8.02%
प्रतिफल से पूर्व अतिरेक/घाटा	475.82	363.16	--
नियोजित पूंजी (औसत)	643.71	610.19	(5.21%)
नियोजित पूंजी पर 16% प्रतिफल	308.98	292.89	(5.21%)
आरओसीई पश्च निवल अतिरेक (पूर्व अतिरेक के समंजन से पूर्व)	166.84	70.28	--
पूर्वावधि के लिए पिछले प्रशुल्क आदेश में किया गया कुल समंजन और जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक आकलित निवल घाटा।	(163.79) + (2.99)	--	--
पूर्वावधि हानियों के समंजन के पश्चात् निवल अतिरेक/घाटा।	0.07	--	--

* *प्रचालन आय के आकलनों को सितम्बर 2016 के प्रशुल्क आदेश में नवम्बर 2016 से 31 मार्च 2019 तक प्रदान की गई प्रशुल्क वृद्धि के प्रभाव को दर्शाने के लिए अद्यतन किया गया है।*

(ड). 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि से संबंधित पिछली अवधि के संदर्भ में विश्लेषण से प्राप्त तथ्य नीचे दिए गए हैं:

(i). 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान आईजीटीपीएल ने आकलित 16.41 लाख टीईयू यातायात के स्थान पर वास्तव में कुल 16.48 टीईयू यातायात का प्रहस्तन किया है। वास्तविक प्रतिमानों में परिवर्तन अर्थात् वास्तव में प्रहस्तन किए गए यातायात में अनुमानों की तुलना में 0.41% की कमी आई है।

(ii). आईजीटीपीएल द्वारा इसी अवधि के लिए अर्जित प्रचालन आय 848.48 करोड रु. के आकलन स्थान पर 758.15 करोड रु. है जिससे 9.90% का नकारात्मक अंतर आया।

(iii). व्यय में, 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए पिछले आदेश में आकलन किए गए 365.66 करोड रु. के स्थान पर वास्तविक कुल व्यय 394.98 करोड रु. है। इस प्रकार यह कुल वास्तविक व्यय पिछले आदेश में आकलित व्यय की तुलना में 8.02% का सकारात्मक अंतर दर्शा रहा है।

(iv). 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान आकलित 643.71 करोड रु के औसत पूंजी निवेश के स्थान 610.19 करोड रु. की औसत पूंजी निवेश की गई। औसत पूंजी निवेश में 5.21% का नकारात्मक अंतर है।

(v). हमारे द्वारा पिछली अवधि के लिये तैयार किए गए आशोधित लागत विवरण के अनुसार आईजीटीपीएल ने 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान ग्राह्य लागत और 16% आरओसीई के पश्चात 70.28 करोड रु. का कुल अतिरेक अर्जित किया है।

(vi). जब हम उक्त तीन वर्षों के लिए आईजीटीपीएल द्वारा अर्जित औसत आरओसीई के निर्धारण के लिए आरओसीई पूर्व स्थिति को देखते हैं, हमारे द्वारा तैयार किये गए लागत विवरण से यह पता चलता है कि आईजीटीपीएल ने 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि के लिए नियोजित पूंजी पर प्रतिफल पूर्व कुल 363.16 करोड़ रु. का अतिरेक अर्जित किया है। इस प्रकार, औसत नियोजित पूंजी पर अर्जित औसत वार्षिक प्रतिफल 19.84% निकलता है, जैसा नीचे की सारणी में दर्शाया गया है:-

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	औसत
प्रतिफल पूर्व वास्तविक अतिरेक/घाटा	102.73	130.94	129.50	363.17 (कुल) 121.06 (औसत)
वास्तविक नियोजित पूंजी	663.53	610.09	556.93	610.18 (औसत)
नियोजित पूंजी पर वास्तविक प्रतिफल	15.48%	21.46%	23.25%	19.84%

(vii). प्रशुल्क दिशानिर्देश के खंड 2.13 के अनुसार, पिछली प्रशुल्क अवधि की वास्तविक भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन की समीक्षा में + अथवा - 20% से अधिक भिन्नता होती है तो तब ऐसे उपार्जित लाभ/हानि को अगली प्रशुल्क अवधि में समायोजित किया जाए। पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा संप्रेषित महालेखा परीक्षक की राय के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रतिमानों मे भिन्नता खंड 2.13 के उद्देश्यार्थ ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त, महालेखा परीक्षक की राय के अनुसार, यदि भौतिक एवं वित्तीय प्रतिमानों में भिन्नता 20% से अधिक होती है तो प्रचालक को 20% अधिशेष रखने की अनुमति होगी। केवल वही अतिरेक जो 20% से अधिक है उसे ही बांटा जा सकता है अर्थात प्रचालक एवं उपयोगकर्ता के मध्य 50:50 की हिस्सेदारी होगी। संक्षेप में, भावी प्रशुल्क में समायोजन पर विचार करते हुए प्रचालक 60% अतिरिक्त अधिशेष रखेगा और उपयोगकर्ता 40% अधिशेष रखेगा।

उक्त विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि, वास्तविक प्रतिमानों में परिवर्तन अर्थात् वास्तविक प्रहस्तित यातायात 20% से कम है यानी 0.41% नकारात्मक और जियोजित पूंजी पर प्रतिफल के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन 20% से अधिक है (16% से अधिक पर 20% अंतर 19.20% निकलता है)। जबकि आईजीटीपीएल द्वारा अर्जित आरओसीई 19.84% है जो 20% परिवर्तन से अधिक है। लेकिन, चूंकि दोनों ही प्रतिमानों में परिवर्तन +/- 20% से अधिक नहीं पाया गया है, इसलिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के खंड 2.13 की व्याख्या पर एजी की राय के अनुरूप चालू प्रशुल्क चक्र में पूर्वावधि अतिरेक के समायोजन का कोई मामला नहीं बनता है।

(ढ). पिछले संशोधन के दौरान पूर्वावधि विश्लेषण में वर्ष 2015-16 के लिए सुविचारित आंकडे दिसंबर 2015 तक के थे और प्रशुल्क निर्धारण में सुविचारित जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक के थे जो 2015-16 के अंतरिम लेखाओं पर आधारित थे। आदेश के पैरा 10 (iii) (II) (vii) में यह बताया गया था कि वर्ष 2015-16 के आंकड़ों की समीक्षा वर्ष 2015-16 के अंतिम लेखापरीक्षित लेखाओं के संदर्भ से अगली समीक्षा के दौरान की जायेगी। इस संबंध में आईजीटीपीएल ने वर्ष 2015-16 के वास्तविकों के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं में दर्शाये आंकड़ों का समाधान भी प्रस्तुत किया है। उन्हें सुविचार में लिया जाता है सिवा उन प्रावधानों के वर्जन से जिन्हें आईजीटीपीएल ने सुविचार में नहीं लिया है। यह 2016-17 से 2018-19 के पूर्वावधि के वास्तविकों की समीक्षा के लिए अपनायी गई पद्धति के अनुरूप है। 2015-16 के वास्तविकों की समीक्षा **अनुलग्नक-II** में अगल से दर्शायी गई है। उक्त अनुलग्नक से यह देखा जा सकता है कि के लिए अपनायी गई पद्धति के अनुरूप लेखापरीखित लेखाओं के अनुसार यातायात और आय के वास्तविकों में और अंतरिम लेखाओं के आधार पर पिछले प्रशुल्क संशोधन में सुविचारित आंकडों में कोई परिवर्तन नहीं है। व्यय और नियोजित पूंजी में 0.12% से 1.5% का नगण्य अंतर है। पिछले प्रशुल्क संशोधन आदेश में पहले ही सुविचारित 22.45 करोड़ रु. के निवल घाटे के प्रति वास्तविक निवल घाटा 24.78 करोड़ रु. है।

(ण). वर्तमान प्रशुल्क चक्र में, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए वास्तविकों की समीक्षा और पिछले प्रशुल्क आदेश में आकलनों पर सुविचार प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.2 के अनुसार की गई है। आईजीटीपीएल के मौजूदा दरमानों का 30 सितंबर, 2019 तक विस्तार किया गया था और उन्हें संशोधित दरमानों के प्रभावी होने तक विस्तारित माना जाता है। जब तक संशोधित दरमान प्रभावित होंगे तब तक वित्तीय वर्ष 2020-21 के आरंभ होने के आस-पास का समय होगा। अत: वर्ष 2019-20 के वास्तविकों की समीक्षा भी वर्ष 2019-20 के अंतिम लेखापरीक्षित, लेखाओं के संदर्भ से आगामी समीक्षा के दौरान की जायेगी और प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.2 में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए समायोजित किया जायेगा।

(viii). जैसा पूर्व के पैराओं में चर्चा की गई है, आशोधित अधिकतम एआरआर वर्ष 2019-20 के लिए 325.50 करोड़ रुपये निकला है। जैसा पहले बताया गया है, वर्तमान प्रशुल्क चक्र में पूर्वावधि समायोजनों का कोई मामला नहीं है।

(ix). (क). प्रशुल्क दिशा-निर्देश 2019 के खंड 2.10 के अनुसार, दरमान प्राप्त करने के लिए बीओटी प्रचालक द्वारा वर्ष वाई1, वाई2, वाई3 के दौरान वास्तविक प्रहस्तित यातायात के औसत पर विचार किया जाएगा जो संबन्धित पत्तन द्वारा विधिवत प्रमाणित होगा। आईजीटीपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए औसत यातायात 5,47,181 टीईयू माना है। कोचीन पत्तन न्यास (सीएचपीटी) ने पुष्टि की है कि यातायात के

आंकडे सही हैं। इसलिये, आईजीटीपीएल द्वारा राजस्व आकलन में वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए सुविचारित औसत यातायात पर भरोसा किया जाता है।

(ख). आईजीटीपीएल द्वारा संशोधित प्रस्ताव में, प्रस्तावित प्रशुल्क वृद्धि, को पूर्व के पैराओं में सारणीबद्ध किया गया है अत: इसे दोहराने की जरूरत नहीं है।

प्रशुल्क दिशा-निर्देश 2019 के खंड 2.11.1 के अनुसार, बीओटी प्रचालक को व्यावसायिक निर्णय के आधार पर बाजार की स्थितियों के अनुसार आकलित एआरआर की सीमा में दरों का निर्धारण करने की छूट है। आईजीटीपीएल का प्रस्ताव दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुरूप है।

संशोधित प्रस्तावित दर पर, आईजीटीपीएल ने 324.67 करोड़ रु. का राजस्व आकलित किया है। आईजीटीपीएल ने राजस्व आकलन की विस्तृत गणना प्रस्तुत की है और दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.11.1 की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के लिए प्रस्तावित दरमान की प्रत्येक प्रशुल्क मद को तुलनात्मक औसत यातायात के लिए दर्शाया है। राजस्व आकलन विवरण सनदी लेखाकार से विधिवत् प्रमाणित है। आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत राजस्व आकलन पर भरोसा किया जाता है।

(x). उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत अधिकतम सूचकांकित एआरआर और हमारे द्वारा आशोधित लागत विवरण के आधार पर यथा सुविचारित, नीचे दिया जाता हैं:-

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत किए अनुसार एआरआर परिकलन	हमारे द्वारा विचार किए अनुसार एआरआर परिकलन
1	औसत ग्राहय व्यय 2016-17, 2017-18 और 2018-19 [वाई1+वाई2+वाई3]/3	137.19	132.15
2	31.03.2019 तक जारी प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य सहित 31.03.2019 तक नियोजित पूंजी और मानदंडों के अनुसार कार्यशील पूंजी	1,123.55	1,123.55
3	नियोजित पूंजी पर 16% की दर से प्रतिफल	179.77	179.77
4	31 मार्च 2019 को एआरआर (4=2+3)	316.96	311.92
5	वर्ष 2019-20 में लागू डब्लूपीआई की 100% की दर से एआरआर का सूचकांकन (वर्ष 2019-20 के लिये 4.26%)	330.46	325.20
6	अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर)	330.46	325.20
7	प्रस्तावित दर पर आईजीटीपीएल द्वारा आकलित राजस्व	324.67	324.67
8	राजस्व मे अंतर	5.79	0.53

(xi). जहां तक विलंबित भुगतान और वापसियों पर ब्याज की दांडिक दर का संबंध है, आईजीटीपीएल ने 15% दांडिक ब्याज की दर का प्रस्ताव किया है जो प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 5.4.1 के अनुरूप है और इसलिए अनुमोदित है।

(xii). डालर मूल्यवर्ग प्रशुल्क को रुपयों में परिवर्तित करने से संबंधित सामान्य उपबंधों के अंतर्गत मौजूदा टिप्पणी संख्या vi (क) को आईजीटीपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 5.5.1 के अनुरूप आशोधित किया है इसलिए अनुमोदित है।

(xiii). सामान्य उपबंधों के अंतर्गत मौजूदा टिप्पणी संख्या xiii अनुबद्ध करती है कि प्रयोक्ता की गलती से यदि पोत टर्मिनल पर 2 घंटे से ज्यादा समय तक बेकार खडा रहता है तो 1 लाख रु. प्रति घंटा की उगाही की जायेगी। आईजीटीपीएल ने अब इसे बढ़ाकर 1.25 लाख रु. प्रति घंटा करने का प्रस्ताव किया है जिसे अनुमोदित किया जाता है क्योंकि यह टर्मिनल पर पोतों के बेकार खड़े रहने के भय के लिए है।

(xiv). आईजीटीपीएल ने अनुमोदित दरों पर छूट/रियायत देने की प्रचालक को अधिकतम दरों और शिथिलता से संबंधित मौजूदा टिप्पणी संख्या (xiv) (क) से (ग) को विलुप्त कर दिया है। मौजूदा टिप्पणी संख्या (xiv) (क) से (ग) संशोधित दरमान में भी निर्धारित रखी जायेंगी क्योंकि यह सभी महापत्तन न्यासों और बीओटी प्रचालकों के दरमानों में समान रूप से निर्धारित हैं और ये प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अनुसार हैं।

(xv). अनिवार्य प्रयोक्ता प्रभार के लिए 08 जून, 2018 के आदेश संख्या टीएएमपी/46/2018-एमयूसी के द्वारा मूल रूप से अनुमोदित दर को इस प्राधिकरण द्वारा दिल्ली- मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) के

प्रस्ताव के आधार पर और निर्धारित प्रशुल्क को शासित करने वाली संबंधित टिप्पणियों के साथ 24 जुलाई 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/12/2019-एमयूसी द्वारा संशोधित कर दिया गया था। आईजीटीपीएल ने अनिवार्य प्रयोक्ता प्रभार (एमयूसी) के लिए पहले नोट का प्रस्ताव किया है न कि अनुमोदित दरों को शासित करने वाले टिप्पणियों के पूरे सैट को। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एमयूसी की निर्धारित दरों की वैधता और आईजीटीपीएल की संशोधित दरों की वैधता भिन्न है, यह कहते हुए एक टिप्पणी निर्धारित करना उपयुक्त होगा कि एमयूसी सभी महापत्तनों और बीओटी प्रचालकों के लिए कॉमन अडॉप्शन के लिए प्राधिकरण् द्वारा 24 जुलाई 2019 के कॉमन अडॉप्शन आदेश संख्या टीएएमपी/46/2019-एमयूसी द्वारा शासित होंगे।

(xvi). जोखिमपूर्ण कंटेनरों के भंडारण प्रभार से संबंधित भाग – VIII के अंतर्गत मौजूदा टिप्पणी संख्या 7 को आईजीटीपीएल द्वारा आशोधित किया कि 25% प्रीमियम के स्थान पर 50% उगाहा जायेगा जो कार्यकारी दिशानिर्देश, 2019 के खंड 9.9.3 के अनुरूप है और इसलिए अनुमोदित है।

(xvii). इसके अतिरिक्त, आईजीटीपीएल ने मौजूदा दरमान में यथानिर्धारित सोपाधिकताओं को बनाये रखा है।

(xviii). आईजीटीपीएल को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा जारी 11 मई 2018 की अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमाशुल्क (एनटी) के निबंधन में एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन को श्रीलंका अथवा बांग्लादेश के सीमांतर्गत जल क्षेत्र से होकर गुजरने वाले जलयानों और कार्गो के लिए रियायती तटीय प्रशुल्क संबंधी उपबंधों के निर्धारण के बारे में 26 नवंबर 2015 के कॉमन अडाप्शन आदेश संख्या टीएएमपी/53/2015-बीओसीपीटी में 25 सितंबर, 2018 के संशोधन आदेश संख्या टीएएमपी/53/2015-बीओसीपीटी को अंतर्विष्ट करने का अनुरोध किया गया था। उक्त आदेश उन सभी महापत्तन न्यासों और संबंधित बीओटी प्रचालकों के लिए कॉमन अडॉप्शन के लिए पारित किया गया था जिनके दरमानों में संबंधित शर्तें निर्धारित हैं। आईजीटीपीएल ने उक्त कॉमन अडॉप्शन आदेश के अनुरूप उक्त टिप्पणियों को अंतर्विष्ट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में इस प्राधिकरण द्वारा 25 सितंबर, 2018 के आदेश के द्वारा यथानुमोदित टिप्पणियां अंतर्विष्ट की जाती हैं।

(xix). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.12 के अनुसार**,** दरमानों को संबंधित वर्ष के 1 जनवरी से 31 दिसंबर**,** के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भारत सरकार द्वारा घोषित विचलन के 60**%** की सीमा तक मुद्रास्फीति के प्रति वर्ष सूचकांकित किया जायेगा। ऐसे समंजित दरमान संगत वर्ष के 1 मई से लागू होंगे और आगामी वर्ष की 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। आईजीटीपीएल ने सामान्य उपबंधों के अंतर्गत टिप्पणी संख्या **xiv** का प्रस्ताव किया है कि दरमानों में डब्ल्यूपीआई के 60**%** की सीमा तक पहली वृद्धि 1 मई 2020 होगी और अंतिम 1 मई 2021 को होगी। उनके प्रशुल्क में वार्षिक सूचकांकन संबंधी प्रस्तावित टिप्पणी को मामूली से संशोधन के साथ अनुमोदित किया जाता है। चूंकि दरमानों की वैधता तीन वर्ष के लिये निर्धारित की जाती है इसलिये सूचकांकन के अंतिम वर्ष का विशेष रूप से निर्धारण करने की आवश्यकता नही है। ऐसी स्थिति में**,** प्रस्तावित टिप्पणी को उपयुक्तआशोधन के साथ दरमानों में अंतर्विष्ट किया जाता है।

आईजीटीपीएल ने प्रस्तावित टिप्पणी के अंतिम पैरा में बताया है कि वार्षिक वृद्धि लागू करने के पश्चात् निकला व्यक्तिक प्रशुल्क को एक पैसे के 1/100वें के समान पूर्णांकित किया जायेगा। इसे दो दशमलव तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए।

(xx). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का खंड 4.9 प्रशुल्क वैधता चक्र को वार्षिक सूचकांकन के अधीन तीन वर्ष के लिए निर्धारित करता है जैसा खंड 2.12 में उल्लिखित है। इसलिए संशोधित दरमान की वैधता संशोधित दरमान के प्रभावी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी जो दरमान में निर्धारित वार्षिक सूचकांकन खंड के अधीन होगी।

(xxi). जैसा इस प्राधिकरण द्वारा आईजीटीपीएल के संशोधित दरमानों को अधिसूचित कराते हुए पृथक अधिसूचित आदेश में बताया गया है, संशोधित दरमान आईजीटीपीएल के संशोधित दरमानों से संबंधित पृथक आदेश की भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के प्रश्चात् प्रभावी होंगे जो 03 मार्च 2020 तारीख के राजपत्र संख्या 92 में अधिसूचित हुए हैं और यह संशोधित दरमान के प्रभावी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक वैध रहेंगे। जैस उक्त आदेश में कहा गया है, तब प्रचलित दरमान जिनका विस्तार इस प्राधिकरण द्वारा 30 सितंबर, 2019 तक किया गया था उन्हें उनकी समाप्ति की तारीख से संशोधित दरमान के कार्यान्वियन की तारीख तक विस्तारित समझा जायेगा।

(xxii). **(क). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अनुसार दरमानों में निर्धारित दरे अधिकतम स्तर हैं, उसी प्रकार छूटे और रियायते न्यूनतम स्तर की हैं। आईजीटीपीएल कम दर की उगाही और/अथवा उच्च रियायत और छूट देने की शिथिलता का प्रयोग कर सकता है।**

(ख). इसके अतिरिक्त, आईजीटीपीएल किसी भी तर्कसंगत कारण से भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर पर्याप्त औचित्य/कारण बताते हुए निर्धारित प्रशुल्क की समीक्षा के लिए इस प्राधिकरण को संपर्क कर सकता है।

13.1. परिणामस्वरूप और ऊपर दिये गए कारणों से तथा समग्र विचार-विमर्श क आधार पर यह प्राधिकरण आईजीटीपीएल के संशोधित दरमानों का अनुमोदन प्रदान करता है**,** जिन्हे पृथक आदेश में अधिसूचित कराया गया है।

13.2. संशोधित दरमान और संशोधित दरमानों को शासी करने वाली सोपाधिकताएं वहीं रहेंगी जो आईजीटीपीएल के संशोधित दरमानों को अधिसूचित कराते हुए 20 फरवरी 2020 के पृथक आदेश में पहले ही दी गई हैं और यह दरमानों के प्रभावी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगी। उसके पश्चात् दिया गया अनुमोदन स्वत: की व्यपगत हो जायेगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा उनका विशेष रूप से विस्तार नहीं कर दिया जाता।

13.3. जैसा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 7 में अनुबद्ध है आइजीटीपीएल इस प्राधिकरण को प्रहस्तित कार्गो यातायात, और जलयान बर्थ दिवस उत्पादकता संबंधी वार्षिक रिपोर्ट बिना नागा प्रस्तुत करेगा। आईजीटीपीएल को वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 90 दिन

के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी । समय-समय पर इस प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अन्य कोई सूचना भी आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। आईजीटीपीएल को विशेष रूप से यह सलाह दी जाती है कि वह वांछितसूचना को रोक रखने से बचे।

13.4. आईजीटीपीएल के दरमानों की आगामी समीक्षा के दौरान, वास्तविक राजस्व और वस्तविक यातायात और तत्काल पहले के प्रशुल्क चक्र मे विश्वास मे लिये गये यातायात से तुलना की जायेगी। यदि ऐसी समीक्षा पर भिन्नता आकलनों और वास्तविक के बीच (+)/(-) 20% पाई जाती है तो अतिरेक/घाटे का समंजन अगले चक्र के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा में किया जायेगा जैसा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को खंड 3.2.1 में अनुबद्ध है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./01/2020]

तुलग्नक-I (क)

फार्म - 1

आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत महापत्तन न्यासों में कार्यरत बीओटी प्रचालकों के प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अंतर्गत वार्षिक राजस्व अपेक्षा का परिकलन।

रु. लाखों में

क्र.सं.	**विवरण**	**वाई1 (2016-17)**	**वाई2 (2017-18)**	**वाई3 (2018-19**
(1).	**कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार)**			
(i).	प्रचालन व्यय (मूल्यह्रास सहित)	18,986.30	19,685.00	21,663.21
(ii).	वित्त एवं विविध व्यय (एफएमई)	7,918.90	6,000.93	9,391.94
	कुल व्यय 1=(i)+(ii)	26,905.20	25,685.93	31,055.15
(2).	**उन मदों का समंजन जहां आईएनडीएएस (लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार) और आईजीएएपी के आंकडों में भिन्नता पाई जाती है।**			
(i).	मूल्यह्रास	(3.67)	(3.67)	(3.67)
(ii).	स्वामी पत्तन को दिया गया पट्टा शुल्क	8.72	7.99	8.42
	समायोजनों का योग 2=(i)+(ii)	5.04	4.32	4.74
(3).	**घटाएं समायोजन:**			
(i).	पत्तन को प्रदत्त वास्तविक रॉयल्टी/राजस्व हिस्सा	7,481.70	8,310.30	9,505.70
(ii).	ऋणों पर ब्याज	5,927.10	5,345.80	7,076.34
(iii).	अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			11.92
(iv).	कम खपत वाली माल सूची के लिए प्रावधान	11.20	2.65	-
(v).	वित्तीय परिसंपत्तियों / देयताओं के रूपांतरण पर विनिमय हानि	3.60	-	-
(vi).	विदेशी मुद्रा लाभ /हानि वित्तीय विवरणों के नोट 23 के तहत बुक	-	185.87	1,803.10
	जोड़े: समायोजन			
(vii)	देनदारियों की चुकौती पर वास्तविक विनिमय हानि	183.31	160.79	2,817.74
	3 का योग = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)-3(vii)]	13,240.30	13,683.82	15,579.32

(4).	**जोडे: ग्राह्य रॉयल्टी/राजस्व हिस्सा, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2 के अनुसार**			
(5).	**सभी समायोजनों के पश्चात् कुल व्यय (5 = 1+2+3)**	13,669.95	12,006.42	15,480.57
(6).	क्रमांक 5 का औसत व्यय = [Y1 + Y2 + Y3] / 3	**13,718.98**		
(7).	**नियोजित पूंजी**			
	(i).सकल स्थायी आस्तियां (संपत्ति, प्लांट और उपस्कर) वाई3 के 31 मार्च और वाई3 के 31 दिसंबर को जो बीओटी प्रचालक द्वारा अपनाया गया हो।(आईजीएएपी को अनुसार)	**111,269.04**		
	(ii). जोडे: प्रगति अधीन कार्य के वाई3 के 31 मार्च और वाई3 के 31 दिसंबर को बीओटी प्रचालक द्वारा अपनाया गया हो।(लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार)	-		
	(iii). जोडे: कार्यशील पूंजी प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार			
	(क). माल सूची	246.65		
	(ख). विविध देनदार	-		
	(ग). रोकड़	838.96		
	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़	**1,085.61**		
	(iv). कुल नियोजित पूंजी [(i)+(ii)-(iii)]	**112,354.65**		
(8).	**नियोजित पूंजी पर 16% प्रतिलाभ क्रमांक. 7(iv)**	17,976.74		
(9).	**वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) वाई3 के 31 मार्च वाई3 और वाई3 के 31 दिसंबर को [(6)+ (8)]**	31,695.72		
(10).	**वर्ष वाई4 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100% पर सूचकांकन उदाहरण यदि वाई4 2018-19 के लिए है तब लागू डब्ल्यूपीआई 3.45% है और वर्ष वाई4 के लिए सूचकांकित एआरआर होगा (9) x 1.0345)**	**4.26%**		
(11).	**जैसा कि ऊपर दिया गया क्र.सं.10 सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)**	**33,045.96**		
(12).	**अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा के भीतर प्रस्तावित सूचकांकित दरमान, ऊपर क्रमांक 11 पर आकलित, पर राजस्व आकलन**	32,466.74		

अनुलग्नक-I (ख)

फार्म - 1

आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत प्राधिकरण द्वारा आशोधित महापत्तन न्यासों में कार्यरत बीओटी प्रचालकों के प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अंतर्गत वार्षिक राजस्व अपेक्षा का परिकलन				
				(रु. लाख में)
क्र.सं.	**विवरण**	**वाई1 (2016-17)**	**वाई2 (2017-18)**	**वाई3 (2018-19**
(1).	**कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार)**			
(i).	प्रचालन व्यय (मूल्यह्रास सहित)	18,986.30	19,685.00	21,663.21
(ii).	वित्त एवं विविध व्यय (एफएमई)	7,918.90	6,000.93	9,391.94
	कुल व्यय 1=(i)+(ii)	26,905.20	25,685.93	31,055.15
(2).	**जोड़े: उन मदों का समंजन जहां आईएनडीएएस (लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार) और आईजीएएपी के आंकडों में भिन्नता पाई जाती है।**			
(i).	मूल्यह्रास	(3.67)	(3.67)	(3.67)
(ii).	स्वामी पत्तन को दिया गया पट्टा शुल्क	8.72	7.99	8.42
	समायोजनों का योग 2=(i)+(ii)	5.04	4.32	4.74
(3).	**घटाएं समायोजन:**			
(i).	पत्तन को प्रदत्त वास्तविक रॉयल्टी/राजस्व हिस्सा	7,481.70	8,310.30	9,505.70
(ii).	ऋणों पर ब्याज	5,927.10	5,345.80	7,076.34
(iii).	अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	11.92
(iv).	कम खपत वाली माल सूची के लिए प्रावधान	11.20	2.65	-
(v).	वित्तीय परिसंपत्तियों / देयताओं के अनुवाद पर विनिमय हानि	3.60	-	-
(vi).	विदेशी मुद्रा लाभ /हानि वित्तीय विवरणों के नोट 23 के तहत बुक	-	185.87	1,803.10
(vii).	सीआईएसएफ की तैनाती की लागत का प्रावधान	1,504.30		
	जोड़ें: समायोजन			
(viii)	देनदारियों की चुकौती पर वास्तविक विनिमय हानि	174.90	160.79	2,817.74
	3 का योग = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)-3(vii)]	14,753.01	13,683.82	15,579.32

(4).	**जोडे: ग्राह्य रॉयल्टी/राजस्व हिस्सा, प्रशुलूक दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2 के अनुसार**			
(5).	**सभी समायोजनों के पश्चात् कुल व्यय (5 = 1+2+3)**	12,157.24	12,006.42	15,480.57
(6).	(6). क्रमांक 5 का औसत व्यय = [वाई1+वाई2+वाई3]/3	**13,214.74**		
(7).	**नियोजित पूंजी**			
	(i). सकल स्थायी आस्तियां (संपत्ति, प्लांट और उपस्कर) वाई3 के 31 मार्च और वाई3 के 31 दिसंबर को जो बीओटी प्रचालक द्वारा अपनाया गया हो।(आईजीएएपी को अनुसार)	**111,269.04**		
	(ii).जोडे: प्रगति अधीन कार्य के वाई3 के 31 मार्च और वाई3 31 के दिसंबर को बीओटी प्रचालक द्वारा अपनाया गया हो।(लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार)	-		
	(iii). जोडे: कार्यशील पूंजी प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार			
	(क). माल सूची	246.65		
	(ख). विविध देनदार	-		
	(ग). रोकड़	838.96		
	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़	**1,085.61**		
	(iv). कुल नियोजित पूंजी [(i)+(ii)-(iii)]	**112,354.65**		
(8).	**नियोजित पूंजी पर 16% प्रतिलाभ क्रमांक. 7(iv)**	17,976.74		
(9).	**वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) वाई3 के 31 मार्च 2019 और वाई3 के 31 दिसंबर को [(6)+ (8)]**	31,191.49		
(10).	**वर्ष वाई4 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100% पर सूचकांकन उदाहरण यदि वाई4 2018-19 के लिए है तब लागू डब्ल्यूपीआई 4.26% है और वर्ष वाई4 के लिए सूचकांकित एआरआर होगा (9) x 1.0426)**	**4.26%**		
(11).	**जैसा कि ऊपर दिया गया क्र.सं.10 सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)**	**32,520.24**		
(12).	**अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा के भीतर प्रस्तावित सूचकांकित दरमान, ऊपर क्रमांक 11 पर आकलित, पर राजस्व आकलन**	**32,466.74**		

अनुलग्नक-II

इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड

वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक की अवधि के लिए आईजीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत और प्राधिकरण द्वारा आशोधित आईजीटीपीएल का पूर्वावधि विश्लेषण

क्र. सं.	विवरण									परिवर्तन (%) में		2015-16 अंतरिम लेखाओं पर आधारित दिसंबर 2015 तक	2015-16 अंतरिम लेखाओं पर आधारित जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक	योग पिछले प्रशुल्क आदेश में सुविचारित	लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार वास्तविक	परिवर्तन (%) में
		2016-17	2017-18	2018-19	योग	2016-17	2017-18	2018-19	योग			2015-16				
	यातायात (एमटी/टीईयू में)	471,300	554,400	622,600	1,648,300.00	491,087	555,812	594,644	1,641,543.00	-0.41%		306264	113,286	419,550	419,550	0.00%
I	**कुल उपस्कर आय**															
	(i) कंटेनर प्रहस्तन आय	23,114.67	28,327.95	32,705.65	84,148.27	22,399.30	25,051.30	28,363.90	75,814.50			14806.00	5,450.00	20,256	20,256.20	
	(ii) कार्गो प्रहस्तन आय															
	(iii) पोत संबंधी आय															
	(iv) अन्य															
	योग (i से iv)	23,114.67	28,327.95	32,705.65	84,148.27	22,399.30	25,051.30	28,363.90	75,814.50	-9.90%		14,806.00	5,450.00	20,256	20,256.20	0.00%
II	**प्रचालन लागत (मुल्यह्रास छोड़कर)**															
	(i) प्रचालन और प्रत्यक्ष श्रम	276.27	311.66	348.62	936.55	547.55	260.89	232.12	1,040.56			175.51	66.89	242	293.53	
	(ii) अनुरक्षण श्रम	36.80	37.71	38.64	113.15	46.68	16.33	7.31	70.32			27.73	8.19	36	35.92	
	(iii) उपकरण चलाने की लागत	1,409.07	1,625.97	1,795.78	4,830.82	1,399.42	1,582.33	1,913.80	4,895.55			938.31	302.36	1,241	1,261.42	
	(iv) अनुरक्षण ड्रेजिंग															
	(v) रॉयल्टी / राजस्व हिस्सेदारी															
	(vi) उपकरण किराया	678.92	896.58	1,026.75	2,602.25	586.67	795.38	939.02	2,321.07			374.28	133.44	508	507.72	

	(vii) रियायत करार के अनुसार देय किराया	8.13	8.14	8.14	24.41	8.72	7.99	8.42	25.12			2.32	3.20	6	5.91	
	(viii) बीमा	174.39	182.71	189.27	546.37	180.59	162.95	188.73	532.28			130.04	37.15	167	167.20	
	(ix) अन्य खर्चे	438.72	449.52	517.23	1,405.47	429.92	482.19	444.77	1,356.87			316.05	112.14	428	396.42	
	(x) तकनीकी सेवा शुल्क	631.54	742.90	834.28	2,208.72	808.55	886.91	1,000.04	2,695.50			406.42	160.28	567	566.70	
	(xi). अप्राप्य और संदिग्ध उधार का प्रावधान	-	-	-	-	-	-	(11.92)	(11.92)				-	-	-	
	(xii). कम खपत वाली मालसूची का प्रावधान	-	-	-	-	(11.20)	(2.65)	-	(13.85)				-	-	-	
	(xiii). वित्तीय आस्तियों पर क्षत हानि का प्रावधान	-	-	-	-	(3.60)	-	-	(3.60)				-	-	6.00	
	(xv). सीआईएसएफ तैनाती की लागत का प्रावधान	-	-	-	-	(1,504.30)	-	-	(1,504.30)				-	-	-	
	योग (i से xv)	3,653.84	4,255.19	4,758.71	12,667.74	2,489.01	4,192.32	4,722.28	11,403.61	-9.98%		2,370.66	823.65	3,194	3,240.81	1.46%
III	मूल्यह्रास	5,889.92	5,908.40	5,990.39	17,788.71	5,513.78	5,442.25	5,412.83	16,368.87	-7.98%		4515	1,488.00	6,003	6,003.23	0.00%
IV	उपरिव्यय															
	(i) प्रबंधन और प्रशासनिक उपरिव्यय	1,993.41	2,042.45	2,092.69	6,128.55	3,976.64	2,211.25	2,528.08	8,715.98			1311.34	595.17	1,907	1,908.85	
	(ii) सामान्य उपरिव्यय															
	(iii)बट्टे खाते आरंभिक व्यय और अपफ्रंट भुगतान															
	(iv) अन्य															
	योग (i से iv)	1,993.41	2,042.45	2,092.69	6,128.55	3,976.64	2,211.25	2,528.08	8,715.98	42.22%		1311.34	595.17	1,907	1,908.85	0.12%

V	परिचालन अधिशेष / (घाटा) (I) – (II) – (III) - (IV)	11,577.50	16,121.91	19,863.86	47,563.27	10,419.86	13,205.48	15,700.71	39,326.05			6,609.00	2,543.18	9,152	9,103.31	
VI	वित्त और विविध आय (एफएमई)															
	(i) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ				-			2.75	2.75			22		22		
	(ii) रियायत करार के अनुसार छूट प्राप्त टर्मिनल मूल्य (...... पर छूट)				-				-							
	(iii)अन्य (स्क्रैप बिक्री और विविध इंक)	5.40	6.35	7.13	18.88	41.94	50.79	66.78	159.51				11.80	12	28.21	
	योग	5.40	6.35	7.13	18.88	41.94	50.79	69.53	162.26			22.00	11.80	34	28.21	
VII	वित्त और विविध व्यय (एफएमई)															
	(i) विदेशी मुद्रा ऋणों के पुनर्भुगतान पर हानि, यदि कोई हो।					116.68	203.24	425.97	745.89							
	(ii) पेंशन भुगतान / अंशदान															
	(iii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि															
	(iv) अन्य (बैंक प्रभार)					14.10	1.64	2.78	18.52			19	1.00	20	19.33	
	(v). विदेशी देनदारियों पर (लाभ)/हानि					58.22	(42.45)	2,391.77	2,407.54						8.41	

	योग	-	-	-	-	189.00	162.44	2,820.52	3,171.96			19.00	1.00	20.00	27.73	
VIII	एफएमआई कम एफएमई (VI) - (VII)	5.40	6.35	7.13	18.88	(147.06)	(111.65)	(2,750.99)	(3,009.70)			3.00	10.80	13.80	0.48	
IX	**ब्याज और कर से पहले अधिशेष (V) + (VIII)**	11,582.90	16,128.26	19,870.99	47,582.15	10,272.81	13,093.83	12,949.72	36,316.36			6,612.00	2,553.98	9,165.98	9,103.79	
X	नियोजित पूंजी	68,173.56	64,824.97	60,114.47	193,113.00	66,353.38	61,009.14	55,692.67	183,055.18	-5.21%		71315.78	71,315.78	71,316	72,383.84	1.50%
XI	आरओसीई - अधिकतम अनुज्ञेय (15% / 6.35% / 0%)	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%			16%	16%	16%	16%	
XII	क्षमता उपयोग					15.48%	21.46%	23.25%	19.84%							
XIII	आरओसीई-क्षमता उपयोग के लिए समंजित	10,907.77	10,372.00	9,618.32	30,898.08	10,616.54	9,761.46	8,910.83	29,288.83	-5.21%		8,557.89	2,852.63	11,410.52	11,581.41	1.50%
XIV	**निवल अधिशेष / (घाटा) (IX) - (XIII)**	675.13	5,756.26	10,252.67	**16,684.07**	(343.73)	3,332.37	4,038.89	**7,027.53**			(1,945.89)	(298.65)	(2,244.54)	(2,477.62)	
(xv)	**आईसीटीटी पर निवल घाटा 42563.48 लाख रु. पिछले प्रशुल्क संशोधन में समंजित।**	(42,565.48)														
(xvi)	**647.74 लाख रु. के आरजीसीटी का निवल अतिरेक पिछले प्रशुल्क संशोधन में समंजित।**	647.74														

(xvii)	**पूर्वावधि के लिए पिछले प्रशुल्क आदेश में किया गया कुल समंजन**	(16,378.45)														
		(5,459.48)	(5,459.48)	(5,459.49)	(16,378.45)											
(xviii)	पूर्वावधि हानियों के समंजन के पश्चात् निवल अतिरेक /घाटा	(4,784.35)	296.78	4,793.18	305.62											
	जरवरी 2016 से मार्च 2016 के दौरान 299.02 लाख रु. का निवल घाटा पिछले संशोधन के दौरान भी सुविचारित				-299.02											
	पूर्वावधि हानियों के समंजन के पश्चात् निवल अतिरेक /घाटा				6.60											
XV	**प्रचालन आय के % के रूप में निवल अतिरेक/ (घाटा) (XIV/ % में)**				**0.01%**	-1.53%	13.30%	14.24%	**9.27%**			-13.14%	-5.48%	-11.08%	-12.23%	

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th March, 2020

No. TAMP/46/2019-IGTPL.—This Authority, in exercise of the powers conferred on it under Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), had disposed of the proposal received from the India Gateway Terminal Private Limited (IGTPL) for general revision of its Scale of Rates, in the Meeting of this Authority held on 20 February 2020. However, considering the time involved for notifying (Speaking) Order along with the Scale of Rates, approved by this Authority, this Authority decided to notify only the revised Scale of Rates immediately. Accordingly, the Scale of Rates approved by this Authority on 20 February 2020 was notified in the Gazette of India on 03 March 2020 vide Gazette No.92. It was stated in the said Notification that this Authority will notify the Speaking Order, in due course of time. Accordingly, this Authority hereby notifies the Speaking Order connected with disposal of the proposal of the IGTPL for general revision of its Scale of Rates as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/46/2019-IGTPL

India Gateway Terminal Pvt. Ltd. --- **Applicant**

QUORUM:

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 20^{th} day of February 2020)

This case relates to the proposal dated 28 August 2019 received from India Gateway Terminal Private Limited (IGTPL) for general revision of its Scale of Rates (SOR).

2.1. The existing SOR of IGTPL was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/81/2015-IGTPL dated 17 September 2016 following 2005 Tariff Guidelines which was notified in the Gazette of India on 14 October 2016 vide Gazette No.380. Subsequently, a detailed speaking Order was notified vide Gazette No.408 dated 15 November 2016. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2019.

2.2. Further, this Authority had passed an Order No.TAMP/81/2015-IGTPL dated 03 May 2019 extending validity of existing SOR upto 30 September 2019, as requested by the IGTPL which was notified in the Gazette of India on 07 June 2019 vide Gazette No.191.

3. In the meantime, the MOS vide its letter No.PR-14019/20/2009-PG (Pt.IV) dated 05 March 2019 has issued a Tariff Guidelines for BOT operators operating in all Major Port Trusts and previously governed by 2005 Tariff Guidelines in exercise of powers conferred on it by Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, and directed this Authority to act accordingly with immediate effect. The Tariff Guidelines for BOT operators operating in Major Port Trust and previously governed by 2005 Tariff Guidelines has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 07 March 2019 vide Gazette No.92. Thereafter, as per Clause 1.7 of the Tariff Policy, 2019, Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy is notified in the Gazette of India vide Gazette No.244 dated 11 July 2019 after consultation with Major Port Trusts and the BOT operators governed under the erstwhile 2005 Tariff Guidelines.

4.1. In this backdrop, the IGTPL which was previously governed by 2005 Tariff Guidelines has filed its proposal dated 28 August 2019 following Tariff Policy, 2019 for general revision of its SOR. The IGTPL has submitted the following:

(i). Details of Proposal:

(a). Annual Revenue Requirement (ARR) has been computed in accordance with Clause 2.1 of Tariff Guidelines at ₹31,235.56 lakhs as on 31 March 2019. (2016-17, 2017-18 and 2018-19 as 3 years considered.)

(b). Since bidding process for IGTPL was not concluded before 29 July 2003, the whole of royalty expense has been excluded while computation of ARR in line with Clause 2.2 of Tariff Guidelines.

(c). Since IGTPL Financial Statements are IND AS compliant, the relevant IND AS adjustments have been excluded and instead depreciation or other adjustments as per IGAAP have been included for computation of ARR in accordance with Clause 2.3.2.

(d). The ARR so computed has been indexed by 4.26% as per escalation factor announced by TAMP for Financial Year 2019-2020. Indexed ARR has been computed at INR 32,566.19 lakhs.

(e). In order to provide world class terminal services at competitive rates, port is proposing to maintain Handling Charges for Normal Containers (Bother Laden & Empty) under Foreign Category at the existing rates and not proposing any increase therein. However, charges for Foreign Restow, Foreign Hatch covers, Foreign Reefer Plug in charges, Foreign PTI and Storage Rates for Foreign Containers have been proposed to be increased by nominal 5% over existing tariff.

(f). As regards Coastal tariff, IGTPL has aligned the tariff at 60% of normal handling charges for Foreign Containers in accordance with Policy Directions of Government, Ministry of Shipping and Clause 8.3 of Working Guidelines 2019 with reference to Tariff Guidelines 2019.

[While doing so, the IGTPL has restated the coastal container tariff whose foreign counter part is prescribed in US$ to the prevailing exchange rate of 1US$=₹71.00 and then proposed the tariff at 60% thereof.]

(g). In order to attract Transshipment Cargo, IGTPL has proposed reduction in the Foreign Laden tariff by 18% and Foreign Empty tariff by 22% of Coastal Transshipment, same are being aligned at 60% of Foreign in line with Government directives.

(h). The tariff proposed in the attached SOR will be indexed by 60% of Wholesale Price Index as announced by Government of India. Such revisions will be first made on 01 May 2020 and subsequently on 01 May 2021.

(i). Tariff for Hazardous and Over Dimension Cargo has been proposed at a premium of 50% on Handling and Storage Charges in accordance with Clause 9.9.3.

(j). Exchange rate used for calculating US Dollar denominated revenue is ₹71.

(ii). Past Period Performance Analysis:

(a). As per Clause 2.13 of Tariff Guidelines 2005, actual physical and financial performance will be reviewed at the end of the prescribed tariff validity period with reference to the projections relied upon at the time of fixing the prevailing tariff, if performance variation of more than + or – 20% is observed as compared to the projections, tariff will be adjusted prospectively.

(b). A comparison of estimates as provided and approved in previous TAMP Order No.TAMP/81/2015-IGTPL dated 17 September 2016, Gazette No.380 and actuals as per Financial Statement is given below:

	Comparison of Actual V/s Estimates				
	2015-16 Jan-Mar	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**Total**
Volume (TEU's)					
Estimate	1,13,286	4,71,300	5,54,400	6,22,600	17,61,586
Actual	1,13,286	4,91,087	5,55,812	5,94,592	17,54,777
Variation (%)					-0.39%
Revenue (INR Lakhs)					
Estimate	5,450.00	22689.25	25,940.75	28,659.85	82,739.85
Actual	5,450.00	22,399.30	25,051.30	28,363.90	81,264.50
Variation (%)					-1.78%

(c). As per Para (b) above, both physical and financial performance variation are far less than 20%. Therefore, no surplus/deficit over and above admissible costs and return on capital employed have been carried forward from previous tariff validity period.

4.2. The IGTPL has furnished detailed computation of Annual Revenue Requirement (ARR) under Form-1 and Revenue estimation at the proposed rate in Form-3.

(i). A summary position of ARR computation furnished by IGTPL is tabulated below (after correcting arithmetic error appears in Form-1):

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Description	Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)
(1).	**Total Expenditure** **(As per Audited Annual Accounts)**			
(i).	Operating expenses (including depreciation)	18,986.30	19,685.00	21,663.21
(ii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	7,918.90	6,000.93	9,391.94
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)	26,905.20	25,685.93	31,055.15
(2).	**Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS** **(As per Audited Accounts)**			
(i).	Depreciation	(3.67)	(3.67)	(3.67)
(ii).	Lease Fee to Landlord Port	8.72	7.99	8.42
	Total of Adjustments 2=(i)+(ii)	5.05	4.32	4.74
(3).	**Less Adjustments:**			
(i).	Actual Royalty/Revenue share paid to the port	7,481.70	8,310.30	9,505.70
(ii).	Interest on loans	5,972.10	5,345.80	7,076.34
(iii).	Provision for bad and doubtful debts			11.92
(iv).	Provision for slow moving inventory	11.20	2.65	-
(v).	Other provisions, if any			
	Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)]	13,420.00	13,658.75	16,593.96
(4).	**Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff Guidelines, 2019**	-	-	-
(5).	**Total Expenditure after Total Adjustments** **(5=1+2-3)**	13,490.24	12,031.49	14,465.93
(6).	Average Expenses of Sl. No.5 = [Y1+Y2+Y3]/3			
(7).	**Capital Employed**			13,329.22
	(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per IGAAP)			
	(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per Audited Annual Accounts)			1,11,269.04
	(iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019			
	(a). Inventory			246.65
	(b). Sundry Debtors			-

Sl. No.	Description	Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)
	(c). Cash			398.93
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)			645.58
	(iv).Total Capital Employed [(i)+(ii)+(iii)]			1,11,914.62
(8).	**Return on Capital Employed 16% on Sl. No.7(iv)**			17,906.34
(9).	**Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March Y3 or 31 December of Y3 as applicable [(6)+(8)]**			31,235.56
(10).	**Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 for example, if Y4 is 2019-20, then the applicable WPI is 4.26% and the indexed ARR for the year Y4 will be (9) x 1.0426)**			**4.26%**
(11).	**Ceiling Indexed ARR as given in Sr.No.10 above**			**32,566.91**
(12).	**Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at Sl. No.11 above**			**31,554.79**

(ii). The proposed tariff will have validity period until 30 April 2022 being three years after the initial expiry of current tariff in accordance with clause 2.12 and 2.13 of Tariff Guidelines, 2019.

(iii). Since the information given in various Forms as well as Audited Accounts are confidential information of a private company, IGTPL has requested this Authority not to circulate or publish said information or documents to general public or various stakeholders / trade bodies.

(iv). The IGTPL has proposed increase / (decrease) to meet the estimated ARR as given below:

Descriptions	% Increase / Decrease
Charges for normal & reefer containers	Upto 35%
Charges for all transshipment containers	-18% to 33%
Charges for all hazardous & over dimensional containers	18% to 36%
Wharfage charges	Status quo
Charges for handling hatch cover of vessels	5% to 71%
Charges for shifting of containers within vessels	5% to 71%
Reefer related charges	-8% to 5%
Storage charges	5%
Miscellaneous charges	5%

5.1. In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the proposal excluding Audited Annual Accounts was forwards to Cochin Port Trust (COPT) and users/ user organizations for their comments.

5.2. A copy each of comments received from the COPT and concerned users/ representative bodies of users on the subject proposal were forwarded to IGTPL as feedback information. The IGTPL vide its letters dated 29 October 2019 has furnished its reply. Further, at the joint hearing, the CSAA has furnished further comments which were forwarded to IGTPL vide our letter dated 22 November 2019 followed by reminder dated 10 December 2019 for their pointwise comments. The IGTPL has responded vide its email dated 16 January 2020.

6. A joint hearing in this case was held on 19 November 2019 at the COPT premises. The COPT made a brief Power Point presentation of its proposal. At the joint hearing, the COPT, IGTPL and the concerned users/ user organizations and representative bodies have made their submissions.

7. As agreed at the joint hearing, the IGTPL vide our letter dated 22 November 2019 was requested to take action on the following points followed by reminder dated 10 December 2019 arising out of joint hearing proceedings:

(i). At the joint hearing, the most of the users/ user associations objected the hike proposed for coastal containers. Steep hike in tariff of few categories of coastal container arise because, the IGTPL has arrived at rate for coastal container by restating it with the prevailing exchange rate and then pegging it at 60% thereof. The coastal concession policy of the Government is not amended to allow restatement with reference to prevailing exchange rate for coastal cargo/ container handling rate during each general revision. As agreed by the IGTPL at the joint hearing, the IGTPL was requested to examine the proposal and file a revised proposal by 29 November 2019.

(ii). The IGTPL was, requested to furnish its response on the above points to by 29 November 2019 to TAMP. A copy of the revised proposal to be filed to be forwarded by the IGTPL and COPT as well.

8. With reference to point of action decided at the joint hearing at Para No.7, point no.(i), the IGTPL vide its letter dated 29 November 2019 has furnished the revised computation of revenue, proposed SOR and revised estimation of revenue at the proposed rate as summarized below:

(i). The IGTPL in the revised proposed SOR has removed effect of restatement with the prevailing exchange rate for arriving at the tariff for coastal containers. The IGTPL has now sought uniform increase in the tariff of foreign container and coastal container where the tariff for foreign container is prescribed in US$. The increase proposed in the revised SOR is tabulated in subsequent paragraphs and hence not reiterated here.

(ii). The revised revenue estimate at the revised proposed SOR is ₹324.62 crores as against ₹315.55 crores estimated in the original proposal.

9.1. Based on the preliminary scrutiny of the proposal, the IGTPL was vide our letter dated 10 December 2019 requested to furnish additional information / clarifications on a few points by 26 December 2019. The IGTPL has furnished its reply on additional information/ clarification vide its email dated 20 December 2019 and subsequent emails dated 16 and 22 January 2020. A summary of additional information / clarification sought by us and reply furnished by IGTPL thereon is tabulated below:

Sl. No.	Information/ Clarification sought by us	Reply furnished by IGTPL
1.	**Annual Revenue Requirement (ARR) (Form No.1):**	
(i).	As per Clause 2.3.2 of Tariff Guidelines, 2019 in case there is variation in the expenditure reported under IND AS and IGAAP, then necessary adjustments need to be done in ARR computation by excluding IND AS figure and considering figures as per IGAAP. In this regard, Form 6A, furnished by the IGTPL at Sr. No.2 shows adjustments for lease rent from IND AS to IGAAP by adding ₹8.72 lakhs, ₹7.99 lakhs and ₹8.42 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively. In this regard, the IGTPL to clarify the following:	
	(a). It is understood from the Note B Right to Use of Land given under Note 3 and read with Note 4 B of the Financial Statement that the IGTPL has considered lease fee to	(i). IGTPL is required to pay "License Fee" to COPT in accordance with Clause 5.3 (c) of the License Agreement (LA), same is attached as Annexure-I. The actual amount paid to COPT

	landlord port at ₹8.72 lakhs, ₹7.89 lakhs and ₹8.42 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively for the purpose of ARR computation. The IGTPL to give working to support these figures with a detailed note.	during the year 2016-17 to 2018-19 is ₹8.72 lakhs, ₹7.89 lakhs and ₹8.42 lakhs. Copies of relevant invoices are attached herewith as Annexure II. [Annex-II attached are not invoices. They appear to be ledger balance]. (ii). Present value of all Lease payments are capitalized to "Right to Use Land" and at the same time, a liability account is created. These payments are not debited to P & L but are debited to Liability Account in compliance with Ind AS 116. However, the Intangible Asset is amortised over the life of Concession. The amortization on above Intangible Asset has not been considered. Hence in Form 6A, Depreciation & Amortization as per IGAAP is less than D&A as per Books by ₹3.67 Lakhs. (iii). According to IGAAP, the License Fee is required to be debited to Expense Account which was done until FY 2015-16. It is for this reason that above amounts have been added under Form 6A.
	(b). The IGTPL to also confirm that Gross Fixed Assets considered for the purpose of ROCE does not capture the intangible asset pertaining to Right to use of land.	The IGTPL hereby confirms that Gross Fixed Assets does not include Intangible Asset pertaining to Right to Use Land.
	(c). The IGTPL to confirm the actual lease rent paid to COPT.	Actual Lease Rent paid to COPT is ₹8.72 lakhs, ₹7.89 lakhs & ₹8.42 lakhs for FY 2016-17 to FY 2018-19 respectively.
(ii).	(a). The IGTPL has considered for exclusion the provision for bad and doubtful debts of ₹11.92 lakhs in the year 2018-19 and provision for slow moving inventory of ₹11.20 lakhs and ₹2.65 lakhs in the years 2016-17 and 2017-18 respectively from the total expenses as per clause 2.3 (ii) of the Tariff Guidelines 2019. These figures could not be cross checked with the Audited Annual Accounts. The IGTPL to clarify under which head these items are reported in the Audited Annual Accounts.	In case of Provision of Bad Debts in FY 2018-19, kindly refer to Note 23 – Other Expenses, item under the head "Allowances for credit losses on financial assets". In case of Provision for slow moving Inventory, the same are subsumed into Repairs & Maintenance Costs of Plant & Machinery under Note 19 of Financial Statements. However, copies of Ledger are attached as Annexure III for verification.
	(b). Clause 2.3. (ii) of the Tariff Guidelines 2019 require to exclude interest on loans, provision for bad and doubtful debts, provision for slow moving inventory etc., for computation of the Annual Revenue Requirement. The Audited Annual Accounts of the IGTPL for the year 2016-17 report provision for impairment loss on financial assets to the tune of ₹3.6 lakhs which may also be excluded as it is in nature of provision which is not captured for exclusion in ARR computation as per the said clause of the Tariff Guidelines.	The said amount was not excluded from ARR computation due to oversight. IGTPL agrees to exclude it in accordance with Tariff Guidelines 2019 Clause 2.3 (ii).

<table>
<tr>
<td>(iii).</td>
<td>Under Note 23 - Other expenses, ₹185.90 lakhs, ₹1,803.10 lakhs is reported as exchange loss on realisation and translation of financial assets and liabilities. The IGTPL to give break up of these items and clarify for each items whether exchange loss is on account of actual payment of foreign currency or arising due to restatement of assets and liability at the end of each financial year to meet the accounting standards. The IGTPL to capture only net foreign exchange loss (after adjusting foreign exchange gain) in respect of actual repayment of foreign exchange. Foreign exchange gain or loss arising on account of restatement of loan/ assets/ expenses are not considered while determining the tariff. The same approach was followed uniformly across all the BOT operators governed under the erstwhile Tariff Guidelines 2005 as well.</td>
<td>(a). The said amount considered are merely the exchange loss incurred during respective Financial Year since the exchange loss was computed with reference to Rate of Exchange as at beginning of FY. Kindly note that as Unrealised Exchange Gain / Loss in previous Financial Years have been disallowed.

Therefore, exchange gain / loss on actual repayment of liabilities with reference to ROE at the time of booking of said liabilities for each FYs are computed as under:
<table>
<tr><th>Financial Year</th><th>₹ (In Lakhs)</th></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>115.11</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>197.88</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>3060.74</td></tr>
</table>

It is, therefore, required that Admissible Expenditure for each years is revised as under:
<table>
<tr><th>Description</th><th>FY 2016-17</th><th>FY 2017-18</th><th>FY 2018-19</th></tr>
<tr><td>As per Form 1</td><td>13,490.24</td><td>12,031.49</td><td>14,465.93</td></tr>
<tr><td>Less : Exch Loss 1(i)(a)</td><td>3.60</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Less: Other Exps (Note 23)</td><td>-</td><td>185.87</td><td>1,803.10</td></tr>
<tr><td>Add : Forex Loss on Actual Payment</td><td>115.11</td><td>197.88</td><td>3,060.74</td></tr>
<tr><td>Revised Admissible Expenditure</td><td>13,601.75</td><td>12,043.50</td><td>15,723.57</td></tr>
</table>
(b).Subsequently, IGTPL vide its email dated 16 January 2020 has further clarified that IGTPL availed ECB Loans in FY2014-15 from ADCB (USD 50,000,000) and Standard Chartered (USD 15,000,000) in total USD 65,000,000. These Loans are backed by Corporate Guarantee from DP World Limited, Dubai. Against the said Corporate Guarantee, a Commission is also payable to DP World Limited @ 1.50% per annum of Outstanding Loan of ADCB on a monthly basis. Kindly refer to Note 12 of Financial Statements detailing various borrowings undertaken by IGTPL. Thus, major Forex Payments include Interest and Repayments of ECB Loans, Guarantee Commission payable to DP World Limited and Management Fees payable to DP World Limited.

(c). As regards Repayment of Forex Loans, it may kindly be noted that as of every Financial Year end, ECB Loans are re-stated at Current exchange rate and the unrealized Gain/Loss is debited to Profit & Loss in compliance with Accounting Standard 11 as mandated under erstwhile IGAAP. However, unrealized Exchange Gain/Loss have not been taken into account by TAMP during previous Tariff Orders. Annexure I (Page 56) of TAMP Order TAMP/25/2008 dated 5th August 2009 includes calculation of Surplus/Deficit from FY2005-06</td>
</tr>
</table>

until FY2008-09 and Annexure 1(c) (Page 66) of TAMP Order TAMP/81/2015-IGTPL dated 17th September 2016 includes Surplus/Deficit from FY2010-11 to FY2015-16. In said workings, no forex loss has been considered as the accounted losses were unrealized.

(d). Therefore, IGTPL has added back the entire Finance Costs of each FY in Form 1. Said Finance Costs head also include unrealized gain/loss on re-statement of ECB Loans. Further, IGTPL has adjusted entire amount of Unrealized Forex Losses from admissible expenditure as reported under Note 23 of AFS. I.e. ₹185.87 Lakhs and ₹1,803.10 Lakhs for FY2017-18 and FY2018-19 respectively.

(e). The IGTPL has now computed exchange gain/loss on actual repayment of liabilities for each FY with reference to exchange rate at the time of booking of said liabilities which must be admitted as an eligible expenditure. Forex Gain/ (Loss) for each FY are computed as under.

i) Forex Gain/ (Loss) on payment of Foreign Currency Loans :

FY2015-16 (Jan to Mar) ₹ NIL

FY2016-17 ₹(116.68) Lakhs

FY2017-18 ₹(203.24) Lakhs

FY2018-19 ₹(425.97) Lakhs

ii) Forex Gain/(Loss) on payment of Foreign Currency Liabilities :

FY2015-16 (Jan to Mar) ₹(8.41) Lakhs

FY2016-17 ₹(58.22) Lakhs

FY2017-18 ₹42.45 Lakhs

FY2018-19 ₹(2,391.77) Lakhs

It is therefore required that Admissible Expenditure for each year be considered in the ARR.

The working of Forex Losses and relevant supportings are furnished.

IGTPL have accordingly revised Form 1 which is also furnished.

The summary of working showing Forex losses is given below: (₹ in lakhs)

Sr. No.	Items	FY 2015-16 (Jan-Mar)	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19
(i).	On Payment of Guarantee Commission to DP World Limited	(8.41)	(31.40)	5.52	(29.32)
(ii).	On Payment of Management	0.00	(26.82)	36.93	(2,362.45)

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>Fees to DP World</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Total Forex Loss on Repayment of Foreign Liabilities</td><td>(8.41)</td><td>(58.22)</td><td>42.45</td><td>(2,391.77)</td></tr>
<tr><td>(iii).</td><td>On Re-payment of ECB Loans</td><td>-</td><td>(116.68)</td><td>(203.24)</td><td>(425.97)</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Fore Gain / (Loss)</td><td>(8.41)</td><td>(174.90)</td><td>(160.79)</td><td>(2,817.74)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(iv).</td><td>The Annual Accounts for the years 2016-17 report ₹1504.3 lakhs under miscellaneous expense under the head Other Expenses. The interlinked note under 24(ii) states it is towards claim made by the IGTPL on the COPT for loss of profit in business due to delay on the part of the Licensor to meet the obligation of the License Agreement and the IGTPL has captured this in the year 2016-17 based on the arbitration award received in May 2017 in the favour of the IGPTL. Please elucidate this item. Clarify as to how this is in the nature of operating expense. Claim made by IGTPL from COPT will be income to IGTPL when received. How it is treated as expenditure? If at all, it can be only receivable.</td><td>While IGTPL has initiated legal action against COPT for loss of profit, COPT has also submitted counter claim against IGTPL for various matters. One of those claims include Cost of Deployment of CISF personnel in ICTT during the period Feb 2011 to December 2015. Total amount claimed by COPT as of date is ₹18.20 Crores while IGTPL has made a provision of ₹15.03 Crores in books as a matter of prudence. Further, according to Arbitration Award dated 12 May 2017, it has been ruled that cost of deployment of CISF is to be borne by IGTPL. Thus, ₹15.03 Crores was provided by IGTPL during FY 2016-17 as a matter of prudence and also based on independent legal opinion.</td></tr>
<tr><td>(v).</td><td>(a). In the Form 3 relating to computation of working capital (as per norms), the IGTPL has considered Cash as ₹398.93 lakhs at Sr. No.(iii) which is not found to be in line with the clause 2.6. of the Working Guidelines. Cash expense for working capital computation may be corrected and considered as one month cash expense of the year 2018-19. To explain, as the per the cost statement furnished by the IGPTL cash expense works out to ₹754.41 lakhs (i.e. admissible expenses ₹14465.93 for the year 2018-19 – 5413.02 depreciation / 12 = 754.41 lakhs). The IGTPL to make necessary modification based on the revised cost statement to be formulated to comply with the Tariff Guidelines.</td><td>Noted the observation and shall comply accordingly.

In this regard, kindly refer to Sr. No.1 (iii) above where IGTPL has re-calculated admissible working capital of FY 2018-19. Accordingly, admissible cash expense for the purpose of cost statement is computed as below and the same is considered in the revised Cost Statement.

(In Lakhs)
<table>
<tr><td>Total Admissible Expense</td><td>₹ 15,723.57</td></tr>
<tr><td>Less : Depreciation</td><td>₹ 5,413.02</td></tr>
<tr><td>Annual Cash Expense</td><td>₹ 10,310.55</td></tr>
<tr><td>One Month's Expense</td><td>₹ 859.21</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Revenue estimation (Form-4):</td><td></td></tr>
<tr><td>(i).</td><td>As regard the revenue estimation furnished in Form 4, the proposed tariff from Restow containers - coastal at sr. No 6 (B) i.e. shifting of container other than (A) considered by the IGTPL is ₹2705.85, ₹4058.77 and ₹5411.71 for 20', 40' and above 45' containers respectively. The tariff in the excel working sheet named "Tariff" shows consolidated tariff including transportation from QC to Yard, Lift off/ on at ₹4809.75, ₹7214.71 and ₹9619.47 for 20', 40' and above 45' containers respectively which should be captured flowing from the approach followed by IGTPL for foreign</td><td>Observation has been well noted. We have made necessary changes to Form 4.</td></tr>
</table>

	Restow container. The IGTPL to, therefore, make necessary correction in the revenue estimates.	
(ii).	In the excel working named "Tariff", for proposing tariff for lift off / on for empty under Schedule 1.4., the IGPTL has considered 20% increase proposed over the existing tariff and also added some amount. Thereby, the increase comes 69% for foreign container and 80% for coastal container. The amount shown as addition to arrive at the proposed tariff may be explained. The reasons for steep increase in comparison to other items may also be explained. Further, the tariff proposed for coastal container for this item does not comply with the coastal concession policy i.e. it should not exceed 60% of the rate for foreign container. The IGTPL to, therefore, modify the rate for coastal container for empty under schedule 1.4 to comply with the coastal concession policy of the Government.	Kindly refer to Coastal Empty Rate of 20 FT Container. Existing Tariff is ₹2,316.05 (Cell S60 of Sheet "Tariff"). An increase of 20% means proposed tariff is ₹2,779.26 (Cell AF60). Kindly refer Cell AO60 which shows that in totality, Coastal Empty Tariff is at 44.37 and Coastal laden is at 52.32% of Foreign (Cell AO78). Thus, overall the Coastal Rates are far lower than 60% of Foreign as mandated by Government. Subsequently, IGTPL has vide its email dated 16 January 2020 further stated that IGTPL have made the necessary changes in Coastal Tariff in order to be in compliance with Coastal Concession Policy. Accordingly IGTPL have revised the SOR which is also furnished.
3.	**Scale of Rates:**	
(i).	As per clause 4.2 of the License Agreement (LA), the tariff has to be competitive with the tariff level existing at international container transshipment hubs and major competing ports in the region. In this regard, the IGTPL to confirm that the revised proposal filed for general revision of its Scale of Rates complies with clause 4.2 of LA.	IGTPL confirms that tariff proposed under the revised Scale of Rates is competitive with tariff level of existing International Transshipment Hubs and competing ports in the region.
(ii).	General Terms and Conditions: The Authority has passed common adoption Orders for all Major Port Trusts and BOT operators operating thereat including IGTPL from time to time and all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat including IGPTL are requested to include suitable notes in the SOR. However, the IGTPL has not included suitable notes in the proposed SOR in line with following common adoption Order:	Kindly refer Section 2 of IGTPL Proposed Scale of Rates. The said clauses were already included during Tariff Revision in 2016. [Amended clauses not incorporated by IGTPL in the proposed SOR].
	(a). (i). Amendment Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 10 June 2016 in common adoption Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 relating to provision prescribed for System of classification of vessel for levy of Vessel Related Charges (VRC) and Criteria for levy of Vessel Related Charges and Concessional Coastal rate.	
	(ii). Amendment Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 25 September 2018 in common adoption Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 relating to provision	

	prescribed for concessional coastal tariff for ships and cargo that move from one Indian Port to another Indian Port through the territorial waters of Sri Lanka or Bangladesh in terms of Notification No.38/2018-Customs (N.T.) dated 11 May 2018 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance.	
	(b). The Authority had passed the Order No.TAMP/12/2019-MUC dated 24 July 2019 as common Order incorporating a provision towards levy of Mandatory User Charge (MUC) on containers for the Logistics Data Bank Service to be rendered by Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat for a period of two years as per the common adoption Order by all Major Port Trusts and BOT terminals thereat shall be applicable in case of IGTPL also. The IGTPL to incorporate the provisions in the SOR stipulated in these common Orders.	We have noted the observation and have incorporated said provision in the Proposed SOR. Kindly refer to Clause XVII of revised proposed SOR.
(iii).	The IGTPL has proposed new tariff items viz. Radiological Scanning Charges at ₹1800 per 20' container and ₹800 per 20' Container for printing of Shipping Bill/ Other Customs Documents. The basis for the proposed new tariff items may be explained. The Revenue estimate does not capture, revenue from these new tariff items. The IGTPL may include probable revenue estimate for these new items even if no revenue would have been not earned during the year 2018-19.	IGTPL has installed and implemented a Radiation Portal Monitor in order to scan containers for any radioactive material. This is especially for Containers with commodity of Unshredded Metalic Scrap. Thus, we have proposed a charge of ₹1,800 per 20' for scanning these Containers. Estimated revenue from this item is ₹54 lakhs. IGTPL levies a charge of ₹800 per 20' container for printing of Shipping Bill for Export Containers and/or Out of Charge (OOC) for Import/DPD Containers. This entails additional costs of manpower, IT hardware, connection etc. It is, therefore, proposed to recover this costs through separate charge. Revenue from above two items are already included in the revenue estimation.
4.	**Past Period Surplus:**	
(i).	Clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines, 2019 stipulates that in case of operators who have not approached Courts, the surplus/deficit upto the period of first tariff fixation under this Guidelines shall be dealt with as per Clause 2.13 of the 2005 Tariff Guidelines as reproduced below: *"The actual physical and financial performance will be reviewed at the end of the prescribed tariff validity period with reference to the projections relied upon at time of fixing the prevailing tariff. If performance variation of more than + or - 20% is observed as compared to the*	Kindly refer to the Covering letter along with Highlights of the proposal submitted to TAMP vide our letter with reference no IGTPL/Fin/TAMP/2019/002 dated 28 August 2019. The past period performance comparing actual physical and financial performance with estimates as per previous TAMP order has been given in the original proposal. The said letter is attached herewith as Annexure IV. Both volumes (physical) and revenue (financial) do not exceed 20% of the estimates and therefore no adjustment is required in

	projections, tariff will be adjusted prospectively. While doing so 50% of the benefit/ loss already accrued will be set off while revising the tariff." The IGTPL to, therefore, furnish the statement reviewing the actual physical and financial performance vis-à-vis the estimates relied upon in the previous tariff cycle as done in earlier tariff revision under erstwhile Tariff Guidelines, 2005 and make necessary adjustments from the estimated ARR in case there is variation in both physical and financial parameters by +/-20%.	estimated ARR. Subsequently, IGTPL has vide its email dated 16 January 2020 has further stated that In addition to above, it has also provided a comparison of Estimates as considered by TAMP in previous order with Actuals for the corresponding period. These are given. In the said Annexure, IGTPL has also provided a comparison of provisional figures of FY2015-16 considered in previous TAMP order with Actuals as per Audited Financial Statements.
(ii).	The Authority during the last tariff revision Order No TAMP/81/2015- IGPTL dated 17 September 2016 (speaking Order) in para 10(iii)(I)(A) (g) and para 10 (iii) (II). (iv). while admitting Management service fee for the past period analysis and in tariff fixation for ICTT has advised the IGTPL to produce the IT assessment orders for each of the years from 2013-14 onwards obtained from the Income Tax Authorities at the time of next review to show that the IT department has admitted this item of cost and also confirm the payments have been done by the IGTPL. If such evidence is not produced, expenditure allowed now will be set off in the next tariff review. The IGPTL to, therefore, furnish the IT assessment Orders from the years 2013-14 onwards to show that the Income Tax Authorities have allowed this expenditure.	We have enclosed relevant IT Assessment Orders for FY 2013-14 & FY 2014-15 as Annexure V. IT Assessment for FY 2015-16 is ongoing. We will share the order as and when received. Subsequently, IGTPL vide its email dated 16 January 2020 have furnished relevant IT Assessment Orders for FY2013-14 (AY2014-15), FY2014-15 (AY2015-16) & FY2015-16 (AY2016-17).
(iii).	Further, during the last revision, the figures considered for the year 2015-16 upto December 2015 in the past period analysis and January 2016 to March 2016 considered in the tariff fixation was based on provisional Accounts 2015-16. In para 10 (iii) (II) (vii) of the Order, it is stated that the figures for the year 2015-16 will in any case be reviewed at the time of next review with reference to the final Audited Accounts for the year 2015-16. The IGTPL to, therefore, furnish the 2015-16 actuals as per provisional accounts considered during the last revision vis-à-vis the actuals as per the Audited Accounts to comply with the decision on the last tariff Order.	IGTPL vide its email dated 16 January 2020 has furnished calculation of Past Period surplus wherein a comparison of provisional accounts considered by TAMP in previous order has been compared with Audited Account numbers of FY2015-16.
5.	As per clause 1.9 of the Tariff Guidelines 2019, the BOT operator shall continue to abide by the provisions contained in the existing Concession Agreement entered into with the concerned Major Port Trust. Simultaneously, the *BOT operator shall agree to abide by this guidelines, by way of a separate* Agreement with the concerned Major Port Trust. The IGTPL to furnish a copy of the separate Agreement as per the prescribed format forwarded by the MOS	IGTPL will provide a duly executed agreement by 1st week of January. Subsequently, IGTPL vide its email dated 16 January 2020 agreed to provide a duly executed agreement by 3rd week of January.

	vide letter No PR-14019/20/2009-PG(PTIV) dated 8 March 2019 to all the Major Port Trusts including the COPT duly signed by the IGTPL and the COPT.	

9.2. The COPT vide our letter dated 10 December 2019 was requested to furnish information / clarification on a few points sought by us latest by 26 December 2019. In response, the COPT vide its email dated 27 December 2019 has furnished their reply. A summary of information/ clarification sought by us and reply furnished by COPT thereon is tabulated below:

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Information/ Clarification sought by us</th><th>Reply furnished by COPT</th></tr>
<tr><td>(i).</td><td>As per Clause 2.3.2 of Tariff Guidelines, 2019 in case there is variation in the expenditure reported under IND AS and IGAAP, then necessary adjustments need to be done in ARR computation by excluding IND AS figure and considering figures as per IGAAP. In this regard, Form 6A, furnished by the IGTPL at Sr. No.2 shows addition to the total expenditure towards lease rent to the tune of ₹8.72 lakhs, ₹7.99 lakhs and ₹8.42 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively. However, the Annual Accounts of the IGTPL do not report lease rent for these three years. Clause 5.3 (c) of the License Agreement entered between the IGTPL and the COPT prescribe provisions relating the license fee payable by the IGTPL and COPT for terminal development, additional land, for berth construction and land for development of railway siding. The COPT to furnish the actual lease rent, if any, paid by IGTPL in this regard for the years 2016-17 to 2018-19.</td><td>Actual lease rent paid by IGTPL is given below:
<table>
<tr><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th></tr>
<tr><td>₹11,11,875*</td><td>₹8,00,844</td><td>₹ 8,28,844</td></tr>
</table>
*Includes License fee within wharf area ₹1,12,363 and Arrear lease rentals for 2015-16 ₹1,85,874.</td></tr>
<tr><td>(ii).</td><td>Also, furnish comments on the computation of ARR as furnished by IGTPL in its Form no.1.</td><td>No comments to furnish on the computation of ARR.</td></tr>
<tr><td>(iii).</td><td>In Form 4, the IGTPL has indicated the actual traffic for the years 2016-17 to 2018-19 as given below and average traffic at 5,47,181 TEUS for revenue estimation. The COPT to confirm the actual traffic considered by the IGTPL for the said years and the average traffic of 5,47,181 TEUs considered by the IGTPL in the revenue estimation.
<table>
<tr><th colspan="3">Actual Traffic in TEUs</th><th rowspan="2">Average</th></tr>
<tr><th>Y1 (2016-17)</th><th>Y2 (2017-18)</th><th>Y3 (2018-19)</th></tr>
<tr><td>491,087</td><td>555,812</td><td>594,644</td><td>547,181</td></tr>
</table></td><td>The actual traffic reported by IGTPL is correct.</td></tr>
<tr><td>(iv).</td><td>Also furnish its comments on the estimation of revenue at the proposed level of tariff as furnished by IGTPL in its Form no. 4.</td><td>No comments on the revenue estimation.</td></tr>
<tr><td>(v).</td><td>The Audited Annual Accounts of the IGTPL</td><td>M/s.IGTPL had filed claim before the</td></tr>
</table>

	for the years 2016-17 report ₹1,504.3 lakhs under miscellaneous expense under the head “Other Expenses”. The interlinked note under 24(ii) states that it is towards claim made by the IGTPL on the COPT for loss of profit in business due to delay on the part of the Licensor to meet the obligation of the License and the IGTPL has captured this in the year 2016-17 based on the arbitration award received in May 2017 in favour of the IGPTL. The COPT to elucidate this item.	Arbitral Tribunal to the tune of ₹300 Crores against which port had filed counter claim amounting to ₹1070.71 Crores which comprises of claims raised in connection with capital and maintenance dredging work, loss due to concession on Vessel related charges, loss of revenue share on account of under utilization of facilities, cost of deployment of CISF at ICTT, reimbursement of leave salary and gratuity contribution in respect of port employees deputed to IGTPL from 01.04.2005 to 28.02.2011. The Arbitral Tribunal passed Award on 12.05.2017. The issue in respect of date of commencement of Licence period was awarded in IGTPL’s favour. In respect of the issue of cost of CISF deployment at ICTT and reimbursement of leave salary, pension and gratuity contribution, the tribunal stated that IGTPL has to bear the cost but did not specify the amount to be paid. The Arbitral Tribunal in the order stated that the parties have to sort out what amount are payable by the claimant and sort it out between themselves. Based on the Expert opinion of Attorney General of India, CoPT filed petition against the Award dated 12.05.2017 passed by the Arbitral Tribunal in the Hon’ble District Court, Ernakulam on 16.08.2017. Since no money claim has been awarded to either party, the loss of profit provided by IGTPL in 2016-17 is not correct.
(vi).	As per clause 4.2 of the License Agreement (LA), the tariff has to be competitive with the tariff level existing at international container transshipment hubs and major competing ports in the region. In this regard, the COPT to confirm that the proposal filed by the IGTPL for general revision of its Scale of Rates complies with clause 4.2 of LA.	As per Clause 5.8 of the Tariff Guidelines 2019, the rates prescribed in the SOR are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The BoT operators may, if they so desire, charge lower rates and/ or allow higher rebates and discounts. IGTPL is providing concession on case to case basis on the SOR rates, which are the ceiling rates. During the last 5 years there has been an average annual increase of 11.50% in the total volume handled by IGTPL. However, the transshipment volume is only 5% of the total volume handled by IGTPL.
(vii).	As per clause 1.9 of the Tariff Guidelines 2019, the BOT operator shall continue to abide by the provisions contained in the existing Concession Agreement entered into with the concerned Major Port Trust. Simultaneously, the *BOT operator shall agree to abide by this guidelines, by way of a separate* Agreement with the concerned Major Port Trust. The COPT to furnish a copy of the separate Agreement as per the prescribed format forwarded by the MOS vide letter No PR-14019/20/2009-PG (PTIV) dated 8 March 2019 to all the Major Port Trusts including the COPT duly signed by the IGTPL and the COPT.	IGTPL is yet to submit separate agreement for execution.

10.1. While furnishing the additional information/ clarifications which is brought out earlier paragraph, the IGTPL vide its email dated 20 December 2019 and 16 January 2020 has furnished revised proposal comprising revised Form-1 (ARR) and revised Form-4 (Revenue Estimation). The main highlights of the revised proposal are summarized below:

(i). **Highlights of the Proposal:**

(a). The IGTPL has incorporated the adjustment relating to foreign exchange gain/loss i.e. excluded exchange gain/loss arising on account of restatement during the year end and captured the actual exchange gain/loss on account of repayment of liabilities.

(b). The IGTPL has revised the working capital figures as relating to cash as per prescribed norms.

(c). The revised ARR has been computed in accordance with Clause 2.1 of Tariff Guidelines at ₹331.23 crores after applying 4.26% indexation for the year 2019-20.

(d). Tariff increase proposed in the revised SOR in terms of percentage is tabulated below for main tariff items:

Particulars	Foreign		Coastal	
	Laden	Empty	Laden	Empty
Charges for all normal and reefer containers				
Gantry Crane Charges including Lashing/ unlashing, stowage planning	13%		13%	
Transportation from QC to Yard and vice versa	13%	20%	13%	20%
Transportation from Container Yard to Rail Yard and vice versa	13%	20%	13%	20%
Handling at Container Yard for lift on / off while receiving from Quay	13%	69%	13%	80%
Handling from truck / rail for delivery / receipt to and from customers	13%	69%	13%	80%
Charges for all transshipment containers	5%		5%	
Charges for all hazardous containers and over dimensional containers	36%	-	36%	-
Wharfage charges	13%	20%	13%	20%
Storage charges	5%		5%	
Miscellaneous charges	5%		5%	

(e). The IGTPL has furnished revised revenue estimation at the revised proposed rate. Exchange Rate used for calculating US Dollar denominated revenue is ₹70.

(f). Computations of revised ARR:

Sl. No.	Description	Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)
(1).	**Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)**			
(i).	Operating expenses (including depreciation)	18,986.30	19,685.00	21,663.21
(ii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	7,918.90	6,000.93	9,391.94
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)	26,905.20	25,685.93	31,055.15
(2).	**Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS**			

Sl. No.	Description	Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)
	(As per Audited Accounts)			
(i).	Depreciation	(3.67)	(3.67)	(3.67)
(ii).	Lease Fee to Landlord Port	8.72	7.99	8.42
	Total of Adjustments 2=(i)+(ii)	5.04	4.32	4.74
(3).	**Less Adjustments:**			
(i).	Actual Royalty/Revenue share paid to the port	7,481.70	8,310.30	9,505.70
(ii).	Interest on loans	5,927.10	5,345.80	7,076.34
(iii).	Provision for bad and doubtful debts			11.92
(iv).	Provision for slow moving inventory	11.20	2.65	-
(v).	Exchange Loss on Translation of Financial Assets / Liabilities	3.60		
(vi).	Exchange Gain/Loss as booked under Note 23 of Financial Statements		185.87	1,803.10
	Add : Adjustments			
(vii).	Realised Exchange Loss on Repayment of Liabilities	183.31	160.79	2,817.74
	Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)-3(vii)]	13,240.30	13,683.82	15,579.32
(4).	**Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff Guidelines, 2019**			
(5).	**Total Expenditure after Total Adjustments (5=1+2+3)**	13,669.95	12,006.42	15,480.57
(6).	Average Expenses of Sl. No.5 = [Y1+Y2+Y3]/3	13,718.98		
(7).	**Capital Employed**			
	(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per IGAAP)	1,11,269.04		
	(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per Audited Annual Accounts)	-		
	(iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019			
	(a). Inventory	246.65		
	(b). Sundry Debtors	-		
	(c). Cash	838.96		
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)	1,085.61		
	(iv).Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)]	1,12,354.65		
(8).	**Return on Capital Employed 16% on Sl. No.7(iv)**	17,976.74		
(9).	**Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March Y3 or 31 December of Y3 as applicable [(6)+(8)]**	31,695.72		
(10).	**Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 for example, if Y4 is 2018-19, then the applicable WPI is 3.45% and the indexed ARR for the year Y4 will be (9) x 1.0345)**	**4.26%**		

Sl. No.	Description	Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)
(11).	**Ceiling Indexed ARR as given in Sr.No.10 above**			**33,045.96**
(12).	**Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at Sl. No.11 above**			**32,466.74**

(g). The IGTPL has furnished each of relevant Forms duly certified by practicing Chartered Accountant.

(h). The IGTPL vide its letter dated 22 January 2020 has also furnished statements and impact of net gain / loss on account of foreign exchange variation on actual payments duly certified by practicing Chartered Accountant.

10.2. As per clause 1.9 of the Tariff Guidelines 2019, the BOT operator shall continue to abide by the provisions contained in the existing Concession Agreement entered into with the concerned Major Port Trust. Simultaneously, the *BOT operator shall agree to abide by this guidelines, by way of a separate* Agreement with the concerned Major Port Trust. The IGTPL has furnished a copy of the separate Agreement as per the prescribed format forwarded by the MOS vide letter No.PR-14019/20/2009-PG (PTIV) dated 8 March 2019 duly signed by both IGTPL and COPT.

11. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

12. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i). The Scale of Rates (SOR) of India Gateway Terminal Private Limited (IGTPL) was last revised by this Authority vide Order No.TAMP/81/2015-IGTPL dated 17 September 2016, following the Tariff Guidelines of 2005, which stipulated cost plus pricing model. The validity of the SOR was prescribed till 31 March 2019.

Subsequently, this Authority had passed an Order No.TAMP/81/2015-IGTPL dated 03 May 2019 extending validity of existing SOR upto 30 September 2019, as requested by the IGTPL which was notified in the Gazette of India on 07 June 2019 vide Gazette No.191.

(ii). The Ministry of Shipping (MOS), as a policy direction under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, has issued Tariff Guidelines, 2019, for BOT operators who were previously governed by 2005 Tariff Guidelines. Consequent to the issue of the Tariff Guidelines, 2019, by the MOS, the tariff fixation exercise in respect of the IGTPL is to be governed by the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019.

The proposal dated 28 August 2019 filed by the IGTPL for general revision of its SOR is under the Tariff Guidelines, 2019 and Working Guidelines to operationalize the Tariff Guidelines, 2019. In the original proposal of August 2019, the IGTPL had proposed steep hike in tariff of few categories of coastal containers viz. loaded and empty coastal transshipment containers at 33% and 26% respectively as against reduction proposed in its foreign counter part, and 14% and 35% increase in normal laden and empty coastal containers as against status quo proposed its corresponding foreign category. This was strongly objected by most of the users/ user association like, Indian Ship Owners Association (INSA), Cochin Steamer Agents Association, etc. The steep increase in the proposed rates for coastal category arose because the IGTPL had arrived at rate for coastal container by restating it with the prevailing exchange rate and then pegging it at 60% thereof which is not in line with the prevailing applicable coastal concession policy of the Government. In view of the strong objection raised by users/ user association and also in view the coastal concession policy of the Government brought out by us to the notice of IGTPL, the IGTPL has subsequently filed the revised proposal removing this wide disparity in the

proposed rates between foreign container and coastal container. The tariff increase proposed by the IGTPL in the revised proposal is tabulated in the earlier paragraphs and hence not reiterated for the sake of brevity. The final revised proposal filed by IGTPL vide its letter dated 20 December 2019 and subsequent emails dated 16 January 2020 and 22 January 2020 along with revised Annual Revenue Requirement (ARR), revised draft SOR and modified estimates of revenue along with submissions made by the IGTPL and port during the processing of the case are considered in this analysis. The IGPTL has furnished requisite revised cost statements and modified revenue estimates duly certified by a practicing Chartered Accountant.

(iii). (a). Clause 2.1 of the Tariff Guidelines, 2019, requires each BOT Operator to assess the Annual Revenue Requirement (ARR) which is the average of the sum of Actual Expenditure as per the final Audited Annual Accounts of the immediate preceding three years (Y1), (Y2) and (Y3) at the time of submitting the proposal subject to certain exclusions as prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued by this Authority plus Return at 16% on Capital Employed obtaining as on 31st March Y3, duly certified by a practicing Chartered Accountant/ Cost Accountant.

(b). The IGTPL has assessed the ARR based on Audited Annual Accounts for three years i.e. 2016-17 (Y1), 2017-18 (Y2) and 2018-19 (Y3) duly certified by a practicing Chartered Accountant. While assessing the ARR, the IGTPL has made exclusions of the expenses not admissible in ARR computation, as prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019. The following adjustments done by IGTPL in line with provisions prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines are brought out for specific mention:

(i). Clause 2.2 of the Tariff Guidelines, 2019, interalia, stipulates that Royalty/Revenue share' payable to the landlord port by the BOT operator in those cases where the bidding process was finalized before 29 July 2003 tariff computation will be taken into account to the extent of the next highest bidder in the ARR computation. As per Clause 2.3.1 (ii) of the Tariff Guidelines, 2019 royalty/ Revenue share payment is to be excluded to the extent not admissible in tariff fixation complying with provisions prescribed at clause 2.2 above

In the case of IGTPL, since the bidding was done subsequent to 29 July 2003, IGPTL is not eligible for pass through of revenue share in computation of tariff, by virtue of the relevant condition in its License Agreement and clause 2.3.1 (ii) of the Tariff Guidelines of 2019 issued by the Government. Revenue share was not admitted as cost in the last tariff Order. The IGTPL has rightly excluded revenue share to the extent of ₹7481.70 lakhs, ₹8310.30 lakhs and ₹9505.71 lakhs from the total expenditure for each of the years 2016-17 to 2018-19 for computation of ARR.

(ii). As per Clause 2.3.1 (ii) of the Tariff Guidelines, 2019, Interest on loans, provision for bad and doubtful debts, provision for slow moving inventory etc., are to be excluded. The IGTPL has accordingly, excluded ₹5,927.10 lakhs, ₹5,345.80 lakhs and ₹7,076.34 lakhs during the years 2016-17 to 2018-19 respectively as interest on loan; ₹11.92 lakhs in the year 2018-19 towards provision for bad and doubtful debts; ₹11.20 lakhs, ₹2.65 lakhs and Nil for the years 2016-17 to 2018-19 respectively towards provision for slow moving inventory. The Audited Annual Accounts of the IGTPL for the year 2016-17 report provision for impairment loss on financial assets to the tune of ₹3.60 lakhs. This has also been excluded by IGTPL in ARR computation as it is in nature of provision.

(iii). The Annual Accounts of the IGTPL under Note 23 - Other expenses, report ₹185.90 lakhs and ₹1,803.10 lakhs for the years 2017-18 and 2018-19 as exchange loss on realisation and translation of financial

assets and liabilities. Foreign exchange gain or loss arising on account of actual payment is admitted as cost during tariff fixation. Foreign exchange gain or loss arising out of restatement of loan/ assets/ expenses are not considered while determining the tariff. The same approach was followed uniformly across all the BOT operators governed under the erstwhile Tariff Guidelines 2005 as well. In this regard, IGTPL has clarified that IGTPL has availed ECB Loans in FY2014-15 from ADCB to the tune of USD 50,000,000 and USD 15,000,000 from Standard Chartered thus total loan aggregating to USD 65,000,000. These Loans are backed by Corporate Guarantee from DP World Limited, Dubai for which a Commission is also payable to DP World Limited @ 1.50% per annum of Outstanding Loan of ADCB on a monthly basis as shown under Note 12 of Financial Statements. The IGPTL has stated that major Forex Payments include Interest and Repayments of ECB Loans, Guarantee Commission payable to DP World Limited and Management Fees payable to DP World Limited. Further, every Financial Year end, ECB Loans are re-stated at Current exchange rate and the unrealized Gain/Loss is debited to Profit & Loss in compliance with Accounting Standards.

The IGTPL has furnished the detail computation of the actual foreign exchange gain/ loss arising on account of repayments of loans, payment of Management fees and Guarantee Commission during the years 2016-17 to 2018-19 duly certified by practicing Chartered Accountant. The summary position of actual foreign exchange gain/ loss on account of repayments for the period January 2016 to March 2016 and for the years 2016-17 to 2018-19 based on the working furnished by IGTPL is tabulated below:

₹ in lakhs

Sr. No.	Items	FY 2015-16 (Jan- Mar)	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19
(i).	On Payment of Guarantee Commission to DP World Limited	(8.41)	(31.40)	5.52	(29.32)
(ii).	On Payment of Management Fees to DP World	0.00	(26.82)	36.93	(2,362.45)
(iii).	**Total Forex Loss on Repayment of Foreign Liabilities (i) +(ii)**	**(8.41)**	**(58.22)**	**42.45**	**(2,391.77)**
(iv).	On Re-payment of ECB Loans	-	(116.68)	(203.24)	(425.97)
(v).	**Total Forex Gain / (Loss) (iii +iv)**	**(8.41)**	**(174.90)**	**(160.79)**	**(2,817.74)**
	Foreign exchange loss on account of actual payment considered by IGPTL in ARR computation		**(183.31) [174.90+8.41 of 2015-16 Jan 2016 to March 2016)**	**(160.79)**	**(2,817.74)**

Relying on the detailed computation of Foreign exchange loss arising on account of actual payment furnished by the IGPTL duly certified by the practicing Chartered Accountant, the same is considered except for minor correction in the year 2016-17. The IGPTL has

added loss for foreign exchange loss of ₹8.41 lakhs pertaining to the year 2015-16 i.e. January 2016 to March 2016. The proposal filed by the IGPTL for tariff revision captures Y1, Y2 and Y3 as 2016-17, 2017-18 and 2018-19 for computation of ARR. Hence, foreign exchange loss arising on account of payment for the year 2015-16 (January to March 2016) to the tune of ₹8.41 lakhs cannot be considered for the year 2016-17 and hence excluded. This shall, however, be captured while reviewing the estimates for the year 2015-16 as compared to the actuals as brought out in the subsequent paragraphs. Subject to the above modification, the foreign exchange loss arising on account of actual payment considered in the ARR computation is ₹174.90 lakhs, ₹160.79 lakhs and ₹2817.74 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively.

(iv). The Annual Accounts for the years 2016-17 report ₹1504.3 lakhs under miscellaneous expense under the head Other Expenses. The interlinked note under 24(ii) states it is towards claim made by the IGTPL on the COPT for loss of profit in business due to delay on the part of the Licensor to meet the obligation of the License Agreement and the IGTPL has captured this in the year 2016-17 based on the arbitration award received in May 2017 in the favour of the IGPTL. Both the IGPTL and the licensor port COPT were requested to elucidate this item. In this regard, the IGTPL has clarified that it has taken legal action against COPT for loss of profit and one of those claims made on the COPT includes Cost of Deployment of CISF personnel in ICTT during the period Feb 2011 to December 2015 to the total amount of ₹18.20 Crores. Of this, IGTPL has made a provision of ₹15.03 Crores in books. In the Arbitration Award dated 12 May 2017, it has been ruled that cost of deployment of CISF is to be borne by IGTPL. Hence, the contention of the IGPTL is that ₹1504.30 lakhs is provided by IGTPL during FY 2016-17 as a matter of prudence and also based on independent legal opinion.

However, the COPT has, in this regard, stated that based on the Expert opinion of Attorney General of India, COPT has filed petition against the Award dated 12.05.2017 passed by the Arbitral Tribunal in the Hon'ble District Court, Ernakulum. The port has viewed that since no money claim has been awarded to either party, the loss of profit provided by IGTPL in 2016-17 is not correct.

In view of the position brought out by the port and also recognizing that this item captured by the IGTPL is in the nature of provision for loss of profit, this item is not considered as item of expense in the computation of ARR in the current tariff revision exercise. This is also to fall in line with Clause 2.3.1 (ii) of the Tariff Guidelines, 2019 which stipulates to exclude provision for bad and doubtful debts etc., from the computation of ARR. Thus, the ARR computation is modified to that extent by excluding ₹1504.30 lakhs from the total expenditure for the year 2016-17.

(v). Clause 2.3.2 stipulates that in case there is variation in the expenditure reported under IND AS and IGAAP (like depreciation), then necessary adjustments are to be done in ARR computation by excluding IND AS figure and considering figures as per IGAAP. The Audited accounts of IGAAP are IND AS compliant. The IGTPL has made necessary adjustment in the Depreciation & Amortisation and lease rent paid to COPT to capture these items as per IGAAP to comply with the Guideline position. The IGTPL has shown adjustment of reduction of ₹3.67 lakhs towards depreciation for each of the years 2016-17 to 2018-19. Further, the IGTPL has made necessary adjustment for lease rent from IND AS to IGAAP by adding ₹8.72 lakhs, ₹7.99 lakhs and ₹8.42 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively. The COPT has stated that the Actual Lease Rent paid by IGTPL to COPT is ₹11.19 lakhs (including

arrears for 2015-16), ₹8.01 lakhs & ₹8.29 lakhs for FY 2016-17 to FY 2018-19 respectively. There is slight mismatch in the figures given by the COPT vis-à-vis IGTPL. For the purpose of the analysis, the lease rent for the years 2016-17 to 2018-19 as furnished by the IGTPL duly certified by the practicing Chartered Accountant is considered. The IGTPL has furnished the requisite working in Form 6A which is duly certified by practicing Chartered Accountant and the same is relied upon.

(c). Following the provisions prescribed at Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines and based on the adjustments as discussed above, the IGTPL has arrived at average expenses for the years 2016-17 to 2018-19 at ₹13,718.98 lakhs. The modified average expenses works out to ₹13,214.74 lakhs in view of above modifications as per the stipulation prescribed in clause 2.4 of the Tariff Guidelines, 2019.

(iv). (a). As per clause 2.5 of the Tariff Guidelines 2019 Capital Employed will comprise of Gross Fixed assets (Property, Plant & Equipment) [as arrived as per the Indian Generally Accepted Accounting Principles (IGAAP)] plus capital work in progress as on 31 March/ 31 December of the year Y3 to be restated from the figures reported under IND AS in the Audited Annual Accounts and working capital as per norms prescribed. The Audited Annual Accounts for the year 2018-19 reports Gross fixed Tangible Assets of ₹1,755.19 crores under the IND AS. The IGTPL has considered gross fixed assets at ₹1,112.69 crores as per IGAAP in line with provision prescribed in Clause 2.5 of the Tariff Guidelines, 2019. The IGTPL has also confirmed that Gross Fixed Assets do not include Intangible Asset pertaining to Right to Use Land as suitable adjustment is done to capture lease rent in the ARR computation as per IGAAP. The IGTPL has furnished prescribed Form 7 giving computation of gross fixed assets as per IGAAP duly certified by practicing Chartered Accountant. The IGTPL has also furnished a reconciliation in this regard. The Gross Fixed Assets as on 2018-19 considered by the IGTPL as per IGAAP duly certified by the practicing Chartered Accountant is relied upon and considered.

The IGTPL has not considered capital work-in-progress as per the audited Annual Accounts for the year 2018-19.

(b). Working capital comprises of Inventory, Sundry debtors and Cash balances, as per Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019. The IGTPL has given details of inventory consumption during the year 2018-19 and considered six months there of in the computation of working capital as per the prescribed norm. The cash balance is seen to have been computed as per norm prescribed in clause 2.6 of Tariff Guidelines, 2019. Following the provisions prescribed at Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines, the IGTPL has arrived at working capital at ₹1,085.61 lakhs. This is considered.

(c). The total capital employed arrived by IGTPL is ₹1123.55 crores [i.e. gross fixed assets ₹1,112.69 crores + ₹10.86 crores]. Return on Capital Employed (ROCE) considered by IGTPL at 16% is ₹179.77 crores. The same is taken into account.

(v). The ARR comprises of the average of the expenditure for the three financial years 2016-17 to 2018-19 plus 16% ROCE. The ARR arrived by IGTPL is ₹316.96 crores (₹137.19 crores + ₹179.77 crores). The modified ARR arrived by us works out to ₹311.92 crores (₹132.15 crores + ₹179.77 crores). Further, as per Clause 2.8 of Tariff Guidelines, 2019, the said ARR needs to be indexed @ 100% of the WPI applicable for the year 2019-20 which is 4.26%. The indexed ceiled ARR assessed by the IGTPL is ₹330.46 crores applying 4.26% indexation. As per the modified ARR computation done by us the modified indexed ceiling ARR works out to ₹325.20 crores for the year 2019-20 (₹311.92 crores * 1.0426). This does not include of past period adjustment. The analysis relating to the past period is brought out in subsequent paragraphs.

The final detailed working of ARR calculation furnished by the IGTPL which has been duly certified by practicing Chartered Accountant is relied upon. This is subject to minor modification as explained above. The detailed ARR calculation furnished by the IGTPL and modified ARR calculation as discussed above are attached as **Annex-I** (**a**) and (**b**) respectively.

(vi). Clause 3.1.2.of the Tariff Guidelines 2019 stipulates that in case of the BOT operators who have not gone to the Court against the previous Order of this Authority, the surplus/ deficit for the past period till the period of tariff fixation during the first fixation of Tariff under the Tariff Guidelines of 2019 is to be done as per clause 2.13 of the Tariff Guidelines 2005.

The IGTPL has furnished Cost Statement for the past period 2016-17 to 2018-19 reviewing the estimates considered in last tariff Order vis-à-vis the actuals in line with clause 3.1.2.of the Tariff Guidelines 2019 read with clause 2.13 of the Tariff Guidelines 2005. The review of past period actuals vis-à-vis estimates furnished by the IGTPL for the years 2016-17 to 2018-19 is modified/ corrected for the reasons explained alongwith analysis in the subsequent paragraphs.

(vii). The analysis is as given below:

(a). The actual traffic handled by IGTPL during the period from 2016-17 to 2018-19 is 4.91, 5.56 and 5.95 lakh TEUs respectively aggregating to 16.42 lakh TEUs as against the estimated traffic of 4.71, 5.54 and 6.23 lakh TEUs for the corresponding period respectively aggregating to 16.48 lakh TEUs estimated in the tariff Order of September 2016.

The total actual traffic of the IGTPL reported by COPT for the years 2016-17 to 2018-19 aggregates to 16.42 lakh TEUs which slightly varies from the actual aggregate traffic reported by the IGTPL at 16.48 lakh TEUs for the corresponding period. For the purpose of this analysis, the actual traffic reported by the IGTPL is considered.

The variation in the physical performance is 0.41% negative which is found to be less than +/-20%.

(b). The income estimates considered in the last tariff Order for the year 2016-17 is adjusted for five months i.e. the period from November 2016 to 31 March 2017 and for the years 2017-18 and 2018-19 on pro rata basis to capture the effect of tariff increase granted in the tariff Order of September 2016 for a like to like comparison with the actual income from the date of implementation of the Order.

The opinion of Attorney General for India conveyed by Ministry of Shipping vide its letter dated 12 June 2015 is that the actual income earned by the operator based on their Audited Accounts should be considered and not any notional income. Therefore, for the purpose of analysis of the past period, the actual income as reported in the Annual Accounts is considered.

(c). The IGTPL has considered the depreciation figure as per the IGAAP in the cost statement prepared by it for the past period. The same is considered on the premise, that the cost statement prepared during the last revision was based on the estimates which at that time was based on IGAAP. From the year 2016-17, the IGTPL has followed IND AS method of accounting. But, for a like to like comparison as done by the IGTPL, the depreciation figure under IGAAP duly certified by the Practicing Chartered Accountant is considered as done by the IGTPL.

(d). It is seen that the IGTPL has made necessary adjustment for lease rent from IND AS to IGAAP by adding ₹8.72 lakhs, ₹7.99 lakhs and ₹8.42 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively. Since the estimates for the years 2016-17 to 2018-19 considered during the last tariff revision was based on the then accounting method as per IGAAP followed by the IGTPL, while comparing the actuals vis-à-vis the estimates for the same period, the lease rent as furnished by IGTPL is considered. As stated earlier, for the purpose of the analysis, the lease rent for the years 2016-17 to 2018-19 as furnished by the IGTPL duly certified by the practicing Chartered Accountant is considered.

(e). It is seen that the IGTPL has not made necessary adjustment as regards provisions for bad and doubtful debts, provision for slow moving inventory and provision for impairment loss on financial assets in the past period cost statement for the years 2016-17 to 2018-19 though it has made necessary adjustment of excluding these items in the ARR computation. Hence, in the cost statement for the past period prepared by us, the above provision items are excluded from the years 2016-17 to 2018-19. For the reasons explained in the earlier paragraphs, ₹15.04 crores towards provision for cost of deployment of CISF in the year 2016-17 is also excluded.

(f). The IGTPL has excluded the net impact of exchange gain/ loss reported in the Audited Annual Accounts and has separately captured the foreign exchange gain / loss arising on account of actual payments done during the years 2016-17 to 2018-19. The adjustments done by the IGTPL are considered in this regard. As stated earlier, the IGTPL has captured the exchange loss of ₹8.41 lakhs for the year 2015-16 (January 2016 to March 2016) which is considered in this analysis while reviewing the actuals for the said three months which is brought out in the subsequent paragraph.

(g). The IGTPL has excluded Revenue share paid to COPT for each of the years 2016-17 to 2018-19 in line with the Tariff Guidelines, 2005 and Tariff Guidelines, 2019.

(h). The interest on loans has also been excluded by IGTPL for each of the years 2016-17 to 2018-19 in line with the general approach followed by this Authority.

(i). All the other cost items are considered as reported in the Annual Accounts. On the expenditure side, the actual aggregate expenditure for the years is ₹12,937.28 lakhs as against the estimated expenditure of ₹12,667.74 lakhs in the last Order for the corresponding period. The total actual expenditure thus shows negative variance of 2.13% in comparison to the expenditure estimated in the last tariff Order.

(j). The Capital employed considered during the last tariff revision under the then applicable Tariff Guidelines of 2005 is Net Fixed Assets + working capital as per the prescribed norms. The Net Fixed Assets reported in the Audited Annual Accounts for the year 2016-17 to 2018-19 is based on IND AS. The IGTPL has considered capital employed at ₹67,358.25 lakhs, ₹62,425.74 lakhs and ₹57,380.66 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively for the purpose of computing ROCE. The capital employed considered by the IGTPL is supported with working.

However, the Net Fixed Assets under IGAAP as furnished by the IGTPL duly certified by the practicing Chartered Accountant at ₹66,353.38 lakhs, ₹61,009.14 lakhs and ₹55,692.67 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 is considered for like to like comparison of the estimate of net fixed assets considered during the last tariff revision which was also based on IGAAP method of accounting then followed by the IGTPL.

The working capital is considered as per norms. The stores and spares consumed is captured in line with the norm prescribed in the Tariff Guidelines of 2005. The cash balance is considered at one month cash expense in line with the guideline position. The current liabilities as reported in the audited annual accounts of the respective years is considered. Subject to the above adjustments, Working Capital works out to negative and hence treated as Nil.

Thus, the modified Capital Employed comprises of only Net Block of Assets at ₹66,353.38 lakhs, ₹61,009.14 lakhs and ₹55,692.67 for the years 2016-17 to 2018-19 respectively.

(k). A copy of the cost statement reviewing estimates of 2016-17 to 2018-19 vis-à-vis actuals of the corresponding period is attached as **Annex-II**.

(l). A summary of the comparison of the actuals vis-à-vis the estimates considered in the last tariff Order is tabulated below:

(₹ in crores)

Particulars	Aggregate for the years 2016-17 to 2018-19 in absolute terms		Variation in %
	Estimates as per tariff Order	Actuals	
Traffic (in TEUs)	16.48	16.41	(0.41%)
Total Operating Income	841.48*	758.15	(9.90%)
Total Expenditure including FME less FMI, Depreciation and overheads	365.66	394.98	8.02%
Surplus/ deficit before Return	475.82	363.16	--
Capital Employed (Average)	643.71	610.19	(5.21%)
16% Return on Capital Employed	308.98	292.89	(5.21%)
Net Surplus after ROCE (before adjustment of past surplus)	166.84	70.28	--
Total adjustments done in the last tariff Order for the past period and estimated net deficit from Jan 2016 to March 2016.	(163.79) + (2.99)	--	--
Net Surplus/ deficit after adjusting past period losses	0.07	--	--

* *The operating income estimates are updated to reflect the effect of tariff increase effected in tariff Order of September 2016 from November 2016 till 31 March 2019.*

(m). The findings of the analysis with reference to the past period relating to the period from 2016-17 to 2018-19 are given below:

(i). The actual aggregate traffic handled by the IGTPL is 16.41 lakhs TEUs as against the estimated traffic of 16.48 lakhs TEUs during the period from 2016-17 to 2018-19. The variation in the physical parameters i.e. actual traffic handled is 0.41% negative in comparison to the estimates.

(ii). The operating income earned by the IGTPL is ₹758.15 crores as against estimation of ₹848.48 crores for the corresponding period resulting in negative variance of 9.90%.

(iii). On the expenditure side, the actual aggregate expenditure for the years 2016-17 to 2018-19 is ₹394.98 crores as against the estimated expenditure of ₹365.66 crores considered in the last Order for the corresponding period. The total actual expenditure thus shows positive variance of 8.02% in comparison to the expenditure estimated in the last tariff Order.

(iv). The average capital employed for the period from 2016-17 to 2018-19 is ₹610.19 crores as against average estimated capital employed of ₹643.71 crores. The variation in the average capital employed comes to 5.21% negative.

(v). As per the modified cost statement for the past period prepared by us, the IGTPL has earned aggregate surplus of ₹70.28 crores after admissible cost and 16% ROCE for the period from 2016-17 to 2018-19.

(vi). When we see the position before ROCE to determine the average ROCE earned by IGTPL for the said three years, it is seen from the cost statement prepared by us, that the IGTPL has earned aggregate surplus of ₹363.16 crores before return on capital employed for the period from 2016-17 to 2018-19. The average annual return earned

on the average capital employed thus works out to 19.84%, as shown in the following table:

(₹ in crores)

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19	AVG.
Actual Surplus/ deficit before return	102.73	130.94	129.50	363.17 (Total) 121.06 (Avg.)
Actual Capital Employed	663.53	610.09	556.93	610.18 (Avg.)
Actual Return earned on capital employed	15.48%	21.46%	23.25%	19.84%

(vii). As per clause 2.13 of the tariff guidelines, if review of actual physical and financial performance for the previous tariff cycle shows the variation of more than + or – 20%, then 50% of such accrued benefit / loss has to be adjusted in the next tariff cycle. As per the opinion of AG also as conveyed by the MOS, variation in both physical and financial parameters should be taken into account for the purpose of clause 2.13. Further, as per the opinion of the AG, if the variation in both the physical and financial parameters is more than 20%, then 20% of the surplus is to be allowed to be retained by the operator. It is only the surplus over and above the 20% that shall be shared equally i.e.50:50 between the operator and the users. In nutshell, 60% of additional surplus is allowed to be retained with the operator and 40% additional is to be shared with users by considering adjustment in future tariff.

It can be seen from the above analysis that the variation in the physical parameter i.e., actual traffic handled is less than 20% i.e. 0.41% negative and financial performance in terms of return on capital employed is positive and the same is more than 20% variation (20% variation over 16% comes to 19.20%). Whereas the ROCE earned by IGTPL is 19.84% which is more than 20% variation. However, since the variation is not found in both the parameters more than +/-20%, there is no case for adjustment of past period surplus in the current tariff cycle following the opinion of the AG on the interpretation of clause 2.13 of the Tariff Guidelines of 2005.

(n). During the last revision, the figures considered for the year 2015-16 upto December 2015 in the past period analysis and January 2016 to March 2016 figures considered in the tariff fixation was based on provisional Accounts of 2015-16. In para 10 (iii) (II) (vii) of the Order, it was stated that the figures for the year 2015-16 will be reviewed at the time of next review with reference to the final Audited Accounts for the year 2015-16. In this regard, the IGTPL, has furnished actuals for the year 2015-16 alongwith the reconciliation with the figures reported in the Audited Annual Accounts. The same are considered except for exclusion of provision which is not considered by the IGTPL. This is in line with the approach followed for review of the actuals of the past period of 2016-17 to 2018-19. The review of the actuals of 2015-16 is shown separately in the **Annex-II**. It can be seen from said annex that there is no variation in the traffic and income in the actuals as per Audited Accounts vis-à-vis the figures considered in the last tariff revision based on provisional accounts. The variation in expenditure and capital employed is negligible of 0.12% to 1.5%. The actual net deficit is ₹24.78 crores as against net deficit of ₹22.45 crores which was already considered during the last tariff revision Order.

(o). In the current tariff cycle, review of the actuals vis-à-vis the estimates considered in the last tariff Order is done following clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines 2019 for the years 2016-17 to 2018-19. The existing SOR of IGPTL has been extended upto 30 September 2019 and has been deemed to have been extended till the revised approved SOR comes into effect. By the

time the revised SOR comes into effect it may be around beginning of the financial year 2020-21. Hence, actuals for the year 2019-20 shall also be reviewed at the time of next review with reference to the final Audited Accounts for the year 2019-20 and adjusted following the approach prescribed in clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines 2019.

(viii). As brought out in the preceding paragraphs, the modified indexed ceiling ARR is arrived at ₹325.20 crores for the year 2019-20. As stated earlier, there is no case for past period adjustment in the current tariff cycle.

(ix). (a). As per Clause 2.10 of Tariff Guidelines, 2019, for drawing the SOR, the traffic to be considered would be the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3, duly certified by the concerned port. The average traffic considered by the IGTPL for the years 2016-17 to 2018-19 is 5,47,181 TEUs. The Cochin Port Trust (COPT) has confirmed that the traffic figures are correct. Therefore, the average traffic for the years 2016-17 to 2018-19 considered by the IGTPL for revenue estimation is relied upon.

(b). The tariff increase proposed by the IGTPL in the revised proposal is tabulated in the earlier paragraphs and hence not reiterated for the sake of brevity.

Clause 2.11.1 of Tariff Guidelines, 2019, gives flexibility to the BOT Operators to determine the rates within the estimated ARR to respond to the market forces based on commercial judgment. The proposal of the IGTPL is within the guideline provision.

At the revised proposed rate, the IGTPL has estimated revenue of ₹324.67 crores. The IGTPL has given detailed working of revenue estimation indicating each of the tariff items in the proposed SOR for corresponding average traffic for the years 2016-17 to 2018-19, as required as per Clause 2.11.1 of the Tariff Guidelines, 2019. The revenue estimation statement has been duly certified by a Chartered Accountant. The revenue estimation furnished by the IGTPL is relied upon.

(x). Based on the above analysis, a summary of the ceiling indexation ARR furnished by the IGTPL and as considered by us based on the modified cost statement is given below:

(₹ in crores)

Sr. No.	**Particulars**	**ARR computation furnished by the IGTPL**	**ARR computation modified by us**
1	Average admissible Expenses for the years 2016-17, 2017-18 and 2018-19 [Y1+Y2+Y3]/3	137.19	132.15
2	Capital employed as on 31.03.2019 including capital work in progress as on 31.03.2019 and working capital as per norms	1,123.55	1,123.55
3	Return on capital employed @ 16%	179.77	179.77
4	ARR as on 31 March 2019 (4=2+3)	316.96	311.92
5	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2019-20 (4.26% for the year 2019-20)	330.46	325.20
6	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)	330.46	325.20
7	Revenue estimated by the IGTPL at proposed rate	324.67	324.67
8	Revenue gap	5.79	0.53

(xi). As regards the penal rate of interest for delayed payment and refund, the IGTPL has proposed the rate penal interest at 15% which is in line with clause 5.4.1 of the Tariff Guidelines 2019 and hence it is approved.

(xii). The existing note no.vi (a) under General provisions relating to conversion of Dollar denominated tariff into Rupee term is modified by IGTPL to fall in line with clause 5.5.1 of the Tariff Guidelines 2019 and hence it is approved.

(xiii). The existing note no.xiii under General provisions prescribes levy of 1 lakh per hour in case vessel idles at the terminal for more than two hours due to fault of user. The IGTPL has now proposed to increase it to ₹1.25 lakhs per hour which is approved as it is to act as a deterrent from idling of vessels at the terminal.

(xiv). The IGTPL has deleted the existing note nos.(xiv) (a) to (c) dealing with ceiling rates and flexibility given to operator to give discount / rebates over the approved rates. The existing note nos.(xiv) (a) to (c) are continued to be prescribed in the revised SOR as it is uniformly prescribed in SOR of all the Major Ports and BOT operators and it is in line with the Tariff Guidelines, 2019.

(xv). The rate originally approved by this Authority vide Order No.TAMP/46/2018-MUC dated 08 June 2018 for mandatory users charge has been subsequently revised by this Authority vide Order No.TAMP/12/2019-MUC dated 24 July 2019 based on the proposal of Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) alongwith relevant notes governing the tariff prescribed. The IGTPL has proposed only the 1st note for Mandatory User Charge (MUC) and not complete set of notes governing the approved rates. Considering that the validity of the rates prescribed for MUC will be different from the validity of the revised SOR of the IGTPL, it is appropriate to prescribe a note stating that MUC will be governed by separate common adoption Order No.TAMP/46/2018-MUC dated 24 July 2019 approved by TAMP for common adoption by all Major Port Trusts and BOT terminals.

(xvi). The existing note no.7 under Section – VIII relating to storage charge on hazardous container is modified by IGTPL to state that premium shall be levied at 50% as against 25% premium to fall in line with clause 9.9.3 of the Working Guidelines, 2019 and hence it is approved.

(xvii). Apart from this, the IGTPL has retained the conditionalities as prescribed in the existing SOR.

(xviii). The IGTPL was requested to incorporate the provisions in the SOR stipulated in Amendment Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 25 September 2018 in common adoption Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 relating to provision prescribed for concessional coastal tariff for ships and cargo that move from one Indian Port to another Indian Port through the territorial waters of Sri Lanka or Bangladesh in terms of Notification No.38/2018- Customs (N.T.) dated 11 May 2018 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance. The said Order passed is for common adoption by all the Major Port Trusts and the concerned BOT operators in whose Scale of Rates the relevant conditions are prescribed. The IGTPL has not incorporated said notes in line with the said common adoption Order. That being so, the notes incorporated as approved by this Authority vide Order dated 25 September 2018.

(xix). As per Clause 2.12 of the Tariff Guidelines, 2019, the SOR will be indexed annually to inflation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Government of India occurring between 1st January to 31 December of the relevant year. Such adjusted SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year. The IGTPL has proposed a note no.xiv under General provisions to state that first escalation in the SOR at 60% of WPI will come into effect from 1 May 2020 and last one on 1 May 2021. The proposed note on annual indexation in its tariff is approved subject to slight modification. Since the validity of the SOR is prescribed for three years, there is no need for specific prescription of last year of indexation. That being so, the proposed note incorporated in the SOR is suitably modified to that extent.

The IGTPL has in concluding para of the proposed note stated that the individual tariff arrived after applying the annual escalation shall be rounded off to $1/100^{th}$ of a paise. This is simplified to state that it shall be rounded off to two decimals.

(xx). Clause 4.9 of the Tariff Guidelines, 2019 prescribe tariff validity cycle of three years subject to annual indexation as mentioned in clause 2.12. Therefore, the validity of the revised SOR is prescribed for a period of 3 years from the date of effect of revised SOR subject to annual indexation clause prescribed in the SOR.

(xxi). As stated in the separate Order notified by the Authority notifying the revised SOR of IGTPL, the revised SOR shall come into force after expiry of 30 days from the date of notification of the separate Order relating to the revised SOR of IGTPL in the Gazette of India vide Gazette No.92 dated 03 March 2020 and shall be valid for a period of 3 years from the date the revised SOR comes into effect. As stated in the said Order, the then prevailing SOR whose validity was last extended by this Authority upto 30 September 2019 is deemed to have been extended from the date of expiry till the date of implementation of revised SOR.

(xxii). (a). **As per the Tariff Guidelines, 2019, the rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The IGTPL may exercise the flexibility to charge lower rates and/or allow higher rebates and discounts.**

(b). **If there is any error apparent on the face of record considered or for any other justifiable reasons, the IGTPL may approach this Authority for review of the tariff fixed, giving adequate justification/ reasoning within 30 days from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India.**

13.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the revised SOR of the IGTPL is approved which has been notified separately.

13.2. The effective date of the revised SOR and conditionalities governing the application of revised SOR will remain the same as already indicated in the separate Order dated 20 February 2020 notifying the revised SOR of IGTPL and shall be in force for a period of three years from the date the revised SOR comes into effect. The approval accorded may automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

13.3. As per clause 7 of the Tariff Guidelines 2019, the IGTPL shall furnish to TAMP without fail annual reports on cargo traffic handled and ship berth day output. The annual reports shall be submitted by the IGTPL within 90 days following the end of each of the year. Any other information which is required by TAMP shall also be furnished to them from time to time. The IGTPL is advised specifically to refrain from withholding requisite information.

13.4. During the next review of Scale of Rates of IGTPL, the actual revenue and actual traffic will be compared with the ARR and the traffic relied upon in the immediate previous tariff cycle. If, on such review, variation in both physical and financial parameters is more than +/- 20%, then the surplus/ deficit shall be adjusted in the Annual Revenue Requirement of the next tariff cycle as per clause 3.2.1 of the Tariff Guidelines 2019.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./01/2020]

Annex-I (a)

Form - 1

Sl. No.	Description	Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)
	Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2019 for Determination of Tariff for BOT operators operating at Major Port Trusts furnished by IGTPL.			
				Rs. in lakhs
(1).	**Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)**			
(i).	Operating expenses (including depreciation)	18,986.30	19,685.00	21,663.21
(ii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	7,918.90	6,000.93	9,391.94
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)	26,905.20	25,685.93	31,055.15
(2).	**Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS (as per Audited Accounts) and IGAAP**			
(i).	Depreciation	(3.67)	(3.67)	(3.67)
(ii).	Lease Fee to Landlord Port	8.72	7.99	8.42
	Total of Adjustments 2=(i)+(ii)	5.04	4.32	4.74
(3).	**Less Adjustments:**			
(i).	Actual Royalty / Revenue share paid to the port	7,481.70	8,310.30	9,505.70
(ii).	Interest on loans	5,927.10	5,345.80	7,076.34
(iii).	Provision for bad and doubtful debts			11.92
(iv).	Provision for slow moving inventory	11.20	2.65	-
(v).	Exchange Loss on Translation of Financial Assets/Liabilities	3.60	-	-
(vi).	Exchange Gain / Loss As Booked Under Note 23 of Financial Statements	-	185.87	1,803.10
	Add : Adjustments			
(vii)	Realised Exchange Loss on Repayment of Liabilities	183.31	160.79	2,817.74
	Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)-3(vii)]	13,240.30	13,683.82	15,579.32
(4).	**Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff Guidelines, 2019**			
(5).	**Total Expenditure after Total Adjustments (5 = 1+2+3)**	13,669.95	12,006.42	15,480.57
(6).	Average Expenses of Sl. No.5 = [Y1 + Y2 + Y3] / 3		**13,718.98**	

(7).	**Capital Employed**	
	(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per IGAAP)	**111,269.04**
	(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per Audited Annual Accounts)	-
	(iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019	
	(a). Inventory	246.65
	(b). Sundry Debtors	-
	(c). Cash	838.96
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)	**1,085.61**
	(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)]	**112,354.65**
(8).	**Return on Capital Employed 16% on Sl. No.7(iv)**	17,976.74
(9).	**Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March Y3 or 31 December of Y3 as applicable [(6)+ (8)]**	31,695.72
(10).	**Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 for example, if Y4 is 2018-19, then the applicable WPI is 3.45% and the indexed ARR for the year Y4 will be (9) x 1.0345)**	**4.26%**
(11).	**Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) as given in Sr. No.10 above.**	**33,045.96**
(12).	**Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at Sl. No.11 above**	**32,466.74**

Annex-I (b)

Form - 1

Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2019 for Determination of Tariff for BOT operators operating at Major Port Trusts furnished by IGTPL and modified by TAMP.				
				Rs. in lakhs
Sl. No.	**Description**	**Y1 (2016-17)**	**Y2 (2017-18)**	**Y3 (2018-19**
(1).	**Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)**			
(i).	Operating expenses (including depreciation)	18,986.30	19,685.00	21,663.21
(ii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	7,918.90	6,000.93	9,391.94
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)	26,905.20	25,685.93	31,055.15
(2).	**Add: Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS (as per Audited Accounts) and IGAAP**			
(i).	Depreciation	(3.67)	(3.67)	(3.67)
(ii).	Lease Fee to Landlord Port	8.72	7.99	8.42
	Total of Adjustments 2=(i)+(ii)	5.04	4.32	4.74
(3).	**Less Adjustments:**			
(i).	Actual Royalty / Revenue share paid to the port	7,481.70	8,310.30	9,505.70
(ii).	Interest on loans	5,927.10	5,345.80	7,076.34
(iii).	Provision for bad and doubtful debts	-	-	11.92
(iv).	Provision for slow moving inventory	11.20	2.65	-
(v).	Provision for impairment loss on financial assets	3.60	-	-
(vi).	Exchange Gain / Loss As Booked Under Note 23 of Financial Statements	-	185.87	1,803.10
(vii).	Provision towards cost of deplyoment of CISF	1,504.30		
	Add : Adjustments			
(viii)	Realised Exchange Loss on Repayment of Liabilities	174.90	160.79	2,817.74
	Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)-3(vii)]	14,753.01	13,683.82	15,579.32

(4).	**Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff Guidelines, 2019**			
(5).	**Total Expenditure after Total Adjustments (5 = 1+2+3)**	12,157.24	12,006.42	15,480.57
(6).	Average Expenses of Sl. No.5 = [Y1 + Y2 + Y3] / 3	**13,214.74**		
(7).	**Capital Employed**			
	(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per IGAAP)	**111,269.04**		
	(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per Audited Annual Accounts)	-		
	(iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019			
	(a). Inventory	246.65		
	(b). Sundry Debtors	-		
	(c). Cash	838.96		
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)	**1,085.61**		
	(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)]	**112,354.65**		
(8).	**Return on Capital Employed 16% on Sl. No.7(iv)**	17,976.74		
(9).	**Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March Y3 or 31 December of Y3 as applicable [(6)+ (8)]**	31,191.49		
(10).	**Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 for example, if Y4 is 2019-20, then the applicable WPI is 4.26% and the indexed ARR for the year Y4 will be (9) x 1.0426)**	**4.26%**		
(11).	**Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) as given in Sr. No.10 above.**	**32,520.24**		
(12).	**Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at Sl. No.11 above**	**32,466.74**		

Annex-II

India Gateway Terminal Private Limited

Analysis of the Past Period Performance of IGTPL for the years 2015-16 to 2018-19 furnished by IGTPL and modified by TAMP

Sr. No.	Particulars									Variation in Percentage (%)		2015-16 upto Dec 2015 based on provisional accounts	2015-16 Jan2016 to March 2016 based on provisional accounts	Total considered in last tariff Order	Actuals as per audited Annual Accounts	Variation in Percentage (%)
		2016-17	2017-18	2018-19	Total	2016-17	2017-18	2018-19	Total			2015-16				
	Traffic (In MTs/ TEUs)	471,300	554,400	622,600	1,648,300.00	491,087	555,812	594,644	1,641,543.00	-0.41%		306264	113,286	419,550	419,550	0.00%
I	**Total Operating Income**															
	(i) Container handling income	23,114.67	28,327.95	32,705.65	84,148.27	22,399.30	25,051.30	28,363.90	75,814.50			14806.00	5,450.00	20,256	20,256.20	
	(ii) Cargo handling income															
	(iii) Vessel related income															
	(iv) Others															
	Total (i to iv)	23,114.67	28,327.95	32,705.65	84,148.27	22,399.30	25,051.30	28,363.90	75,814.50	-9.90%		14,806.00	5,450.00	20,256	20,256.20	0.00%
II	**Operating Costs (excluding depreciation)**															
	(i) Operating & Direct Labour	276.27	311.66	348.62	936.55	547.55	260.89	232.12	1,040.56			175.51	66.89	242	293.53	
	(ii) Maintenance Labour	36.80	37.71	38.64	113.15	46.68	16.33	7.31	70.32			27.73	8.19	36	35.92	
	(iii) Equipment Running Costs	1,409.07	1,625.97	1,795.78	4,830.82	1,399.42	1,582.33	1,913.80	4,895.55			938.31	302.36	1,241	1,261.42	
	(iv) Maintanence dredging															
	(v) Royalty / revenue share															
	(vi) Equipment Hire	678.92	896.58	1,026.75	2,602.25	586.67	795.38	939.02	2,321.07			374.28	133.44	508	507.72	
	(vii) Lease Rentals payable as per concession agreement	8.13	8.14	8.14	24.41	8.72	7.99	8.42	25.12			2.32	3.20	6	5.91	
	(viii) Insurance	174.39	182.71	189.27	546.37	180.59	162.95	188.73	532.28			130.04	37.15	167	167.20	

	(ix) Other expenses	438.72	449.52	517.23	1,405.47	429.92	482.19	444.77	1,356.87			316.05	112.14	428	396.42	
	(x) Technical Service Fee	631.54	742.90	834.28	2,208.72	808.55	886.91	1,000.04	2,695.50			406.42	160.28	567	566.70	
	(xi). Provision for bad and doubtful debts	-	-	-	-	-	-	(11.92)	(11.92)				-	-	-	
	(xii). Provision for slow moving inventory	-	-	-	-	(11.20)	(2.65)	-	(13.85)				-	-	-	
	(xiii). Provision for impairment loss on financial assets	-	-	-	-	(3.60)	-	-	(3.60)				-	-	6.00	
	(xv). Provision towards cost of deplyoment of CISF	-	-	-	-	(1,504.30)	-	-	(1,504.30)				-	-	-	
	Total (i to x)	3,653.84	4,255.19	4,758.71	12,667.74	2,489.01	4,192.32	4,722.28	11,403.61	-9.98%		2,370.66	823.65	3,194	3,240.81	1.46%
III	Depreciation	5,889.92	5,908.40	5,990.39	17,788.71	5,513.78	5,442.25	5,412.83	16,368.87	-7.98%		4515	1,488.00	6,003	6,003.23	0.00%
IV	Overheads															
	(i) Management & Administration overheads	1,993.41	2,042.45	2,092.69	6,128.55	3,976.64	2,211.25	2,528.08	8,715.98			1311.34	595.17	1,907	1,908.85	
	(ii) General Overheads															
	(iii) Preliminary expenses & Upfront Payment write-off															
	(iv) Others															
	Total (i to iv)	1,993.41	2,042.45	2,092.69	6,128.55	3,976.64	2,211.25	2,528.08	8,715.98	42.22%		1311.34	595.17	1,907	1,908.85	0.12%
V	Operating Surplus / (Deficit) (I) – (II) – (III) - (IV)	11,577.50	16,121.91	19,863.86	47,563.27	10,419.86	13,205.48	15,700.71	39,326.05			6,609.00	2,543.18	9,152	9,103.31	
VI	Finance & Miscellaneous Income (FMI)															
	(i) Profit on sale of assets				-			2.75	2.75			22		22		
	(ii) Discounted terminal value receivable as per				-				-							

	the concession agreement (discounted at ...)															
	(iii) Others (Scrap Sales & Misc Inc)	5.40	6.35	7.13	18.88	41.94	50.79	66.78	159.51				11.80	12	28.21	
	Total	5.40	6.35	7.13	18.88	41.94	50.79	69.53	162.26			22.00	11.80	34	28.21	
VII	Finance & Miscellaneous Expenses (FME)															
	(i) Loss on repayment of foreign currency loans if any					116.68	203.24	425.97	745.89							
	(ii) Pension payment / contribution															
	(iii) Loss on sale of assets															
	(iv) Others (Bank Charges)					14.10	1.64	2.78	18.52			19	1.00	20	19.33	
	(v). (Gain) / Loss on Repayment of Foreign Liabilities					58.22	(42.45)	2,391.77	2,407.54						8.41	
	Total	-	-	-	-	189.00	162.44	2,820.52	3,171.96			19.00	1.00	20.00	27.73	
VIII	FMI Less FME (VI) - (VII)	5.40	6.35	7.13	18.88	(147.06)	(111.65)	(2,750.99)	(3,009.70)			3.00	10.80	13.80	0.48	
IX	**Surplus Before Interest and Tax (V) + (VIII)**	11,582.90	16,128.26	19,870.99	47,582.15	10,272.81	13,093.83	12,949.72	36,316.36			6,612.00	2,553.98	9,165.98	9,103.79	
X	Capital Employed	68,173.56	64,824.97	60,114.47	193,113.00	66,353.38	61,009.14	55,692.67	183,055.18	-5.21%		71315.78	71,315.78	71,316	72,383.84	1.50%
XI	RoCE - Maximum permissible (15% / 6.35% / 0%)	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%			16%	16%	16%	16%	
XII	Capacity Utilization					15.48%	21.46%	23.25%	19.84%							
XIII	RoCE adjusted for capacity utilization	10,907.77	10,372.00	9,618.32	30,898.08	10,616.54	9,761.46	8,910.83	29,288.83	-5.21%		8,557.89	2,852.63	11,410.52	11,581.41	1.50%
XIV	**Net Surplus / (Deficit) (IX) - (XIII)**	675.13	5,756.26	10,252.67	**16,684.07**	(343.73)	3,332.37	4,038.89	**7,027.53**			(1,945.89)	(298.65)	(2,244.54)	(2,477.62)	

(xv)	**Net deficit at ICTT Rs.42565.48 lakhs adjusted in last tariff revision**	(42,565.48)														
(xvi)	**Net Surplus of RGCT of Rs.647.74 lakhs adjusted in last tariff revision**	647.74														
(xvii)	**Total adjustments done in the last tariff Order for the past period**	(16,378.45)														
		(5,459.48)	(5,459.48)	(5,459.49)	(16,378.45)											
(xviii)	Net Surplus/ deficit after adjusting past period losses	(4,784.35)	296.78	4,793.18	305.62											
	Net Deficit of Rs.299.02 lakhs from January 2016 to March 2016 also considered during the last revision				-299.02											
	Net Surplus/ deficit after adjusting past period losses				6.60											
XV	**Net Surplus / (Deficit) as a % of operating income (XIV/I in %)**				**0.01%**	-1.53%	13.30%	14.24%	**9.27%**			-13.14%	-5.48%	-11.08%	-12.23%	

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.04.21 20:54:19 +05'30'